



निष्पादन प्रतिवेदन 2016-17



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली
www.cag.gov.in

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

निष्पादन प्रतिवेदन 2016-17

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डेस्क से

मुझे वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह विभाग भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था होने के अतिरिक्त भारत के अधिकतर राज्यों के लेखा और हकदारी के कार्य भी करता है। यह प्रतिवेदन 2016-17 के दौरान विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों का विहंगावलोकन है।

वर्ष के दौरान, हमारे लेखापरीक्षा संसाधनों को लेखापरीक्षा के लिए पहचाने गये केन्द्र बिन्दु क्षेत्रों के अनुसार लगाया गया था जिसमें इक्विटी, लिंग न्याय, नागरिक केन्द्रित सेवाएं, पर्यावरण, आईटी लेखापरीक्षा आदि शामिल थे। यह वर्ष के दौरान हमारे द्वारा तैयार किए गए 150 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है जिनमें से संसद में 49 और राज्य विधान मंडलों में 101 प्रस्तुत किए गए थे।

भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के प्रभाव की गम्भीरता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि हमारे प्रतिवेदनों में 2016 सिफारिशों की गई जिनमें से 838 को पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। हमारे प्रतिवेदनों में ₹1,28,458.56 करोड़ की वसूलियों को इंगित किया गया, जिसमें से सरकार ₹6,917.08 करोड़ की वसूली पहले ही कर चुकी थी। यह बताना संतुष्टिपरक है कि लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूलियां साई-इंडिया के कुल व्यय से काफी अधिक हैं, जो 2016-17 में ₹4042.53 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, हमने 4,000 से अधिक सरकारी लेखाओं की जांच की, वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण जन सेवा देने वाले लगभग 28.25 लाख सरकारी सेवकों के जीपीएफ एकाउंट का अनुरक्षण किया और लगभग 4.18 लाख पेंशन भुगतान प्राधिकृत किए।

विभाग की उपलब्धियों का श्रेय वर्तमान में सेवारत 46,600 से अधिक कर्मचारियों के समर्पित कार्य को जाता है। हमने अपने प्रशिक्षण संस्थानों में क्षमता निर्माण की उच्च प्राथमिकता के अनुसार अपने व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण रूप से निवेश किया है जिसके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण और सीखने के बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिकीकरण और आधारभूत ढांचे का अद्यतन कर कई परियोजनाओं को आरंभ किया था। वर्ष के दौरान हमारे प्रशिक्षण संस्थानों ने लगभग 670 पाठ्यक्रम आयोजित किये और लगभग 14,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त, लगभग 2,000 आन्तरिक पाठ्यक्रम आयोजित किये गये जिसमें 32,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।



निष्पादन प्रतिवेदन 2016-17

साई इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता और सहयोग में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। हमारे प्रशिक्षण संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये हैं। इसके अतिरिक्त, हम इंटोसाई और एस्सोसाई की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह विभाग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का द्योतक है कि भारत के सीएजी संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड में हैं और अब बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह विभाग को अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे विश्व खाद्य कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रव्रजन संगठन आदि के लेखापरीक्षण के बहुमूल्य अनुभव के उच्चतम स्तर पर ले जाता है।

मुझे विश्वास है कि यह निष्पादन प्रतिवेदन विभाग के कार्य तथा कार्यकलापों का बेहतर अवलोकन करने में विधायिका, कार्यपालिका, शिक्षा जगत और सार्वजनिक सदस्यों सहित हमारे हितधारकों द्वारा उपयोगी पाया जाएगा।

शशिकांत शर्मा

(शशिकांत शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



विषय-सूची

अध्याय	विषय सूची	पृष्ठ
	निष्पादन की मुख्य बातें	i-viii
1	इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में	1-2
2	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में	3-20
3	महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ-लेखापरीक्षा	21-95
4	महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ-लेखा एवं हकदारी	96-104
5	व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन	105-111
6	हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं	112-122
7	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में क्षमता निर्माण	123-141
8	संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम	142-149
9	प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा सम्पर्क	150-154
10	अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान	155-176
	अनुबंध I	177
	अनुबंध II	178-185



निष्पादन की मुख्य बातें

I. निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

यह प्रतिवेदन हमारे लेखापरीक्षा, मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष और हमारे संसाधनों के उपयोग की प्रभाव सहित वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई इंडिया) के महत्वपूर्ण कार्यकलापों और उपलब्धियों का सार प्रस्तुत करता है।

II. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के विषय में

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं।
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार का वर्णन करने वाला मूल विधान है जिसमें संघ और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और अन्य निकाय या सार्वजनिक कोष से आंशिक रूप से वित्तपोषित प्राधिकरण या अन्य निकाय/प्राधिकरण आते हैं जिनकी लेखापरीक्षा जनहित में सीएजी को सौंपी गई है। संसद के कई अन्य अधिनियमों में भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ सांविधिक प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतीकरण का भी प्रावधान है।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग (आईएएण्डएडी) के माध्यम से करते हैं। नई दिल्ली स्थित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मुख्यालय की सहायता, 138



क्षेत्रीय कार्यालयों (समूचे भारत में फैले 133 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश स्थित 5 कार्यालय) द्वारा की जाती है।

III. लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम

- हमने 56,437 इकाइयों की लेखापरीक्षा की, जो नियोजित लेखापरीक्षाओं का संघ स्तर पर 94.56 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 97.34 प्रतिशत था।
- हमने विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों को 51,061 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये। संघ स्तर पर 93.19 प्रतिशत और राज्यों में 75.86 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर; अर्थात् 30 दिनों में जारी किये गये थे।
- हमने 150 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किये, जिसमें 183 निष्पादन लेखापरीक्षा विषय शामिल थे, जिसमें से 49 संसद में तथा 101 राज्य विधान मण्डलों में प्रस्तुत करने हेतु थे। वर्ष के दौरान इनमें से 39 प्रतिवेदन संसद के समक्ष और 75 प्रतिवेदनों को राज्य विधान मण्डलों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- हमने संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाइयों को 2,016 सिफारिशें की। इनमें से, 838 सिफारिशें स्वीकार की गई थीं।
- हमने वर्ष के दौरान 183 निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर प्रतिवेदन तैयार किये। हमने 1,318 सिफारिशें की जिनमें से 567 सिफारिशें लेखापरीक्षा इकाइयों द्वारा स्वीकार की गई थीं।
- हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य के 4,046 लेखाओं की जाँच की। 83.34 प्रतिशत लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र निर्धारित समय के अंदर जारी किए गए थे।
- लेखापरीक्षित इकाइयों ने हमारे द्वारा बताई गई 33.25 प्रतिशत वसूलियां (₹ 1,28,458.56 करोड़) स्वीकार कर ली और इनमें से



₹ 6,917.08 करोड़ की वसूलियां की गईं जो 2016-17 के दौरान आईएएंडएडी के कुल व्यय से अधिक थीं जो ₹ 4042.53 करोड़ था।

- अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप हमने 168 कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं में संशोधन किए। इन परिवर्तनों का निहितार्थ था: (क) लेखाओं की टिप्पणियों में संशोधन: ₹ 26,865 करोड़ (ख) वर्गीकरण त्रुटियां: ₹ 35,574.14 करोड़ (घ) लाभ और हानि में परिवर्तन: ₹ 5,539.75 करोड़ और (ड.) परिसंपत्तियों और देयताओं में संशोधन: ₹ 17,739.63 करोड़।
- हमने योजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में नियमों, विनियमों से विचलन, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव आदि के बारे में बहुत से दृष्टांत बताए।
- 31 मार्च 2017 को संघ तथा राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर हमें 12,027 की गईं कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन) अभी प्राप्त नहीं हुई थीं।

IV. लेखा और हकदारी के मुख्य परिणाम

- हमने वर्ष 2016-17 के दौरान 4,17,609 पेंशन प्राधिकार तथा संशोधन मामलों का निपटान किया।
- वर्ष के दौरान हमने राजकोष/उप-राजकोष के 2493 निरीक्षण किये। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, हमने 1974 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये और 1268 सिफारिशें कीं।
- वर्ष के दौरान हमने सामान्य भविष्य निधि लेखाधारकों को समय पर 97 प्रतिशत लेखा विवरण जारी किए।

V. व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन

- भारत सरकार द्वारा मार्च 2017 तक तीन भारतीय सरकारी लेखाकरण मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए गए थे। चार आईजीएएस तथा पांच



आईजीएफआरएस (भारतीय सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक) भारत सरकार के विचाराधीन थे।

- मार्च 2014 में गठित व्यावसायिक प्रथाओं के तकनीकी बोर्ड को लेखापरीक्षा और लेखाकरण नीति एवं उनके कार्यान्वयन के क्षेत्र के मामलों से संबद्ध किया गया है।
- आन्तरिक नियंत्रण तंत्र के उपाय के रूप में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के 33 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के आधार पर 2016-17 के दौरान निरीक्षण रिपोर्टों में 548 सिफारिशें शामिल की गई थीं।

VI. संसाधन प्रबंधन

- हमने 2016-17 में ₹ 4042.53 करोड़ खर्च किए।
- हमारी एचआर नीति का मुख्य फोकस क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफ़ पर जारी रहा।

VII. भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में क्षमता निर्माण

- पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीइडी) ने 22 साई से 15 भागीदारों के लिये 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और साई बंगलादेश तथा साई ओमान से 43 भागीदारों के लिये दो द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए।
- हमने आईसीसा नोयडा, आईसीईडी जयपुर, लेखा और लेखापरीक्षा राष्ट्रीय अकादमी, शिमला और हमारे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (आरटीआईज़)/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों (आरटीसीज़) में हमारी प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए मुख्य आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचना उन्नयन कार्यक्रम आयोजित किये। आरटीआई और आरटीसी ने 671 पाठ्यक्रम आयोजित किये और वर्ष के दौरान 13,947 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।



- 133 कार्यालयों में आंतरिक प्रशिक्षण केन्द्रों ने 1,975 पाठ्यक्रम आयोजित किये और वर्ष के दौरान 32,209 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

VIII. संगोष्ठी और कार्यक्रम

- XXVIII महालेखाकार सम्मेलन, जो कि एक द्विवर्षीय आयोजन है और भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए मंच है, 20 से 21 अक्टूबर 2016 तक आयोजित किया गया था।
- 28वें महालेखाकार सम्मेलन के बाद, 22 अक्टूबर 2016 को एक दिन की संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का मुख्य विषय “सार्वजनिक लेखापरीक्षण और लेखांकन: सुशासन हेतु उत्प्रेरक” था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया और मुख्य भाषण दिया।
- माल और सेवाकर (जीएसटी) पर एक दिवसीय पैनल चर्चा 3 मार्च 2017 को मुंबई में आयोजित की गई।
- “पारितंत्र का आर्थिक मूल्यांकन और राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार आर्थिक विकास के इंजन हैं और इनके प्रभावी जोन में जीविका को कैसे बढ़ाते हैं” पर एक दिवसीय पैनल चर्चा 10 मार्च 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

IX. प्रमुख पणधारियों के साथ हमारा परस्पर व्यवहार

- संघ और राज्य स्तरों पर गठित लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी अर्द्धवार्षिक बैठकें आयोजित की।

X. अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी एवं योगदान

- 24 जून 2016 को बीजिंग में ब्रिक्स साईं नेताओं की प्रथम बैठक की गई थी। आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाते हुए अपनी संबंधित



सरकारों को महत्व प्रदान करने के मद्देनजर समान हित के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित सहयोग और सहकार्यता, बैठक की चर्चा के विषय थे।

- इस बैठक के अतिरिक्त, नानजिंग में एक अन्य कार्यक्रम किया गया, सीएजी को चीन के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा विश्वविद्यालय की मानद प्रोफेसरशिप प्रदान की गई थी।
- सीएजी जुलाई 2014 से जून 2020 तक संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के सदस्य हैं और 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2018 तक बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
- साई-इंडिया विभिन्न यूएन संगठनों जैसे यूएन सचिवालय (संस्करण I), यूनीसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि), यूएनओपीएस (परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय), यूएनजेएसपीएफ (संयुक्त राष्ट्र संयुक्त स्टाफ पेंशन निधि), यूएनसीसी (संयुक्त राष्ट्र क्षतिपूर्ति कमीशन), एस्क्रो एकाउंट, आईटीसी (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र), यूएनपीकेओ (संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना कार्यक्रम) मिशन, सीएमपी (केपीटल मास्टर प्लान) यूएमओजेए (संयुक्त राष्ट्र की ईआरपी प्रणाली), और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नीति की लेखापरीक्षा के लिए मुख्य लेखापरीक्षक है।
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक 2012 से छः वर्षों की अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के बाह्य लेखापरीक्षक हैं।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक इंटोसाई तथा एसोसाई शासी बोर्ड के सदस्य हैं।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आईटी लेखापरीक्षा के इंटोसाई कार्यचालन ग्रुप तथा ज्ञान सहभागिता एवं ज्ञान सेवाओं की इंटोसाई समिति और इसकी मुख्य समिति के अध्यक्ष हैं।
- केएससी अध्यक्ष के रूप में साई इंडिया ने इंटोसाई डेवलपमेंट इनीशिएटिव, नोर्वे के सहयोग से इंटोसाई कम्यूनिटी पोर्टल (www.intosaicommunity.org) विकसित किया।



- राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षक के XXIII सम्मेलन की 21-23 मार्च 2017 तक नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मेजबानी की गई थी। 25 साई प्रमुखों सहित 36 देशों से 74 प्रतिनिधियों द्वारा तीन दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया गया।

XI. नई पहल

- सितम्बर 2015 में स्वीकृत आईएएडी बिग डाटा प्रबंधन नीति, डाटा विश्लेषणों में विभागीय कुशलता निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसी दिशा में जून 2016 में डाटा प्रबंधन और विश्लेषणों (सीडीएमए) के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया। डाटा विश्लेषण गतिविधियों के मुख्य अभियान के रूप में क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्लेषण समूहों का निर्माण किया गया। सीडीएमए और डाटा विश्लेषण समूहों को आवश्यक तकनीकी और भौतिक आधारभूत संरचना प्रदान की गई थी।
- अधिकारी प्रशिक्षण और एसएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में नये विषय के रूप में “डाटा विश्लेषण हेतु आंकड़े” लागू किया गया था।
- ‘डाटा विश्लेषण’ पर संरचित प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किया गया था और डाटा विश्लेषण समूहों के सदस्यों के लिए विभिन्न आरटीआई/आरटीसी में सीडीएमए विंग के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये गये थे। इन कार्यक्रमों में आरटीआई/आरटीसी से 17 मूल संकाय सदस्यों सहित 272 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। 2016-17 के दौरान लगभग 26 विषयों को पायलट परियोजना के रूप में लिया गया था।
- ‘सरकार के सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों का सार’ एक नकद आधारित मसौदा मानक तैयार किया गया।
- भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में तैयार किये गये विभिन्न कागजातों में रिपोर्टिंग और प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डाटा विजुअलाइजेशन और इन्फोग्राफिक्स के उपयोग हेतु ‘प्रेक्टिशनर गाइड’ को डाटा और सूचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार किया गया है।



- (i) लाभार्थी उन्मुख योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले एसपीवी/समितियों की अनुपालन लेखापरीक्षा (ii) पीपीपी प्रबंधनों की अनुपालन लेखापरीक्षा (iii) नियामक निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा: और (iv) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रासंगिकता और सामयिकता बढ़ाने पर मार्ग दर्शिका टिप्पणियां जारी की गईं।
- आईएएडी की प्रादेशिक प्रशिक्षण कुशलता को सुदृढ़ करने और आरटीआई की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए एक साकल्यवादी मध्यावधि योजना अनुमोदित की गई थी। इस उन्नत कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान 2015-17 के वर्षों के दौरान उन्नत किए गए हैं।
- आरटीआई की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए आईएएण्डएडी की क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु एक निष्पादन मानीटरिंग फ्रेमवर्क अर्थात् मध्यावधि रोड मैप 2016-17 के दौरान सफलतापूर्वक लागू किया गया था।



अध्याय 1

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के संविधान में संघ और राज्यों तथा अन्य इकाइयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा का उत्तरदायित्व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) है और उनसे लेखापरीक्षित इकाइयों के मामले में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों (इस्साई 20) में यह प्रावधान है कि साई के बारे में सूचना सहज सुलभ और संगत होनी चाहिए। उनकी कार्य प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ और उत्पाद पारदर्शी होने चाहिए। उन्हें मीडिया तथा अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में दिखना चाहिए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन प्रतिवेदन इस्साई 20 और 21 में यथा परिकल्पित पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य निम्नलिखित पर रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है-

- साई इण्डिया ने अपने लेखापरीक्षा अधिदेश तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी कानूनी बाध्यताओं को किस सीमा तक पूरा किया है;
- हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव; और
- साई संसाधनों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता।

यह प्रतिवेदन हमारी स्थिति, अधिदेश, रणनीति, गतिविधियाँ, वित्तीय प्रबंधन, संचालन और निष्पादन पर विश्वसनीय, स्पष्ट तथा संगत सार्वजनिक रिपोर्टिंग करके पारदर्शिता मानदण्डों को भी पूरा करता है। अतः यह निम्नलिखित बातों का प्रयास करता है:

- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना;



- हमारे ग्राहकों और पणधारियों, आन्तरिक एवं बाह्य दोनों को प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना; तथा
- हमारे संगठन के अन्दर नव-परिवर्तनों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना।



अध्याय 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में

। हम कौन हैं?

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा उसके तहत कार्य करने वाला भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (आईएएडी) संघीय ढाँचे में एक एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र गठित करता है। संसदीय लोकतंत्र में नियंत्रण और संतुलन की सांविधिक योजना में, यह तंत्र विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकार्य मानको का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राज्यों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट तथा पूरक विनियोजनों का अनुमोदन करते हैं और करों के संग्रहण के लिए सरकार को प्राधिकृत करते हैं। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमावली हैं। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढाँचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका का संघीय बहुदलीय प्रजातंत्र में बहुत महत्व है जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें पर्याप्त सार्वजनिक संसाधन शामिल हैं। सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बढ़ाए गए केन्द्र और विशेष उद्देश्य वाली संस्थाओं (सीपीवी) जैसे न्यासों, समितियों तथा एनजीओज़ के माध्यम से किए जा रहे लोक



निधि से व्यय के बढ़ते स्तरों के साथ अभी हाल ही में देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक आदर्श परिवर्तन हुआ है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में सिविल सोसायटी भी एक प्रमुख पणधारी के रूप में उभर रही है।

II हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

हमारी दूरदृष्टि यह दर्शाती है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं: हम विश्व में अग्रणी बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के आरम्भकर्ता और स्वतंत्र, विश्वसनीय सार्वजनिक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।

हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित हम उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण व लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने पणधारियों, विधानमण्डल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से अपेक्षित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

हम जो कुछ करते हैं उसके लिए हमारे नैतिक मूल्य उन सभी के लिए मार्गदर्शक हैं और हमारे निष्पादन: स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तथा सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए हमें बेंचमार्क देते हैं।

III साई की स्वतंत्रता

इस्साई 1 में यह परिकल्पित है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनकी स्वतंत्रता की आवश्यक डिग्री संविधान में निर्धारित की जाएगी; जबकि विवरण विधान मण्डल में निर्धारित किए जाय।

भारत का संविधान भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की कार्यकारी शाखा से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 149 और 150 सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य विधान-मंडल के



समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने हैं। भारत के सीएजी एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी हैं जो न तो कार्यपालिका और न ही विधानपालिका का भाग हैं।

संविधान निम्नलिखित बातों के प्रावधान से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाता है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की नियुक्ति;
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को हटाने की विशेष प्रक्रिया, जैसा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए लागू है।
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और भत्ते संसद में दत्तमत नहीं होने पर; तथा
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वे होगी जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से ही निर्धारित की जाएं।

IV हमारा लेखा अधिदेश¹

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डीपीसी (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन का प्रावधान करता है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखे तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों और विधानसभा वाले संघ-राज्य क्षेत्रों; के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित सूचना भी देता है और सहायता भी करता है। हम कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते हैं। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के ढंग की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करते हैं और निधियों से अधिक व्यय, वापस की गई राशि, व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं।

¹ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10, 11 और 12



V हमारा लेखापरीक्षा अधिदेश

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 और संसद द्वारा बनाए गए अन्य कानूनों में परिभाषित किया गया है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित की लेखापरीक्षा करने एवं रिपोर्ट करने का अधिदेश है:

- संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि की सभी प्राप्तियाँ और उनसे किया गया व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केन्द्र और राज्य स्तरों पर न्यास अथवा बैंकर के रूप में सरकार द्वारा धारित जनता के निजी धन का अन्तर्बाह तथा बहिर्बाह (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;
- सभी सरकारी कम्पनियों के लेखे जहां सरकार का इक्विटी निवेश 51 प्रतिशत से कम नहीं है;
- सभी नियामक निकायों और अन्य सांविधिक निगमों/प्राधिकरणों के लेखे जहां शासी विधियां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रावधान करती हैं;
- सरकारी कोष से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे;
- निकायों अथवा प्राधिकरणों के लेखे जिसकी लेखापरीक्षा सीएजी के डीपीसी एक्ट 1971 के समर्थकारी प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल/उप राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक हित में सीएजी को विशिष्ट रूप से सौंपी गई है।



सीएजी को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं:

- राज्य सरकारों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा शाखाओं को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं।
- नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को, 2012 में यथा संशोधित वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में संघ सरकार के निष्पादन की समीक्षा करना।
- केंद्रीय करों/शुल्कों की निवल आय को प्रमाणित करना, जो राज्यों में बांटने योग्य हैं।

VI हम किसकी लेखापरीक्षा नहीं करते

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अधिदेश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों; सरकारी निगमों की लेखापरीक्षा तक विस्तृत नहीं है जिनकी संविधियों में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है जैसे जीवन बीमा निगम और वे कम्पनियाँ जहाँ सरकारी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम है। तथापि, सीएजी निजी कम्पनी के लेखाओं की भी लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत है, जो सामान्यतः सीएजी के लेखापरीक्षा अधिदेश के अंतर्गत नहीं हैं, यदि कम्पनी को लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग अनुमत किया गया है, जो कम्पनी से इस प्रकार उत्पन्न राजस्व का भाग सरकार के साथ बांटने की अपेक्षा करते हैं। यह प्राधिकार टेलीकाम सेवाएँ प्रदान करने वाली कम्पनियों के संबंध में अपने निर्णय दिनांक अप्रैल 17, 2014 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कायम रखा गया था। इसके अतिरिक्त कम्पनी जो सरकारी कम्पनी नहीं हैं, सहित किसी निकाय या प्राधिकरण की लेखापरीक्षा सार्वजनिक हित में सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 20 के अंतर्गत सीएजी को सौंपी जाय।

VII हमारी शक्तियाँ

ऊपर उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वाह करने में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास निम्नलिखित करने की शक्तियाँ² हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;

²नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18, 21, 22, 23, और 24



- किसी लेखापरीक्षित इकाई से किन्हीं अभिलेखों, कागज़ों, दस्तावेजों को मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और रीति का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जाँच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

शक्तियों का प्रत्यायोजन:

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है, इस अपवाद को छोड़कर कि जब तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित नहीं है तो कोई अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियम बनाने की शक्तियाँ:

सीएजी सरकारी विभागों के मार्गदर्शन के लिए सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा से संबंधित व्यापक सिद्धान्त निर्धारित करने सहित जहां तक वे लेखापरीक्षा के क्षेत्र तथा सीमा से संबंध रखते हैं डीपीसी, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम बना सकते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, की धारा 23 के अन्तर्गत 2007 में "लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम जारी किए गए थे।" विनियम लेखापरीक्षण के कार्यक्षेत्र, तरीके और सीमा तथा साई, इण्डिया के लेखाकरण अधिदेश को भी विस्तृत रूप में परिभाषित करते हैं।

नियम बनाने की शक्तियाँ:

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरान्त केन्द्र सरकार लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों को लेखे सौंपने वाले कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रारंभिक और सहायक लेखाओं को रखने के तरीके सहित संघ तथा राज्य सरकारी विभागों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिये नियम बनाने के लिए प्राधिकृत है।



VIII हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं

कोई लेखापरीक्षा करने में अपनाए जाने वाले लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, सीमा और कार्यप्रणाली एवं अभिगम तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का विवेकाधिकार है। हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाए गए, मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप लेखापरीक्षित इकाइयों में वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

VIII क अनुपालन लेखापरीक्षा:

अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के अनुपालन के लिए सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पतियों और देयताओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

- भारत के संविधान और लागू कानूनों के प्रावधान; और
- या तो भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों के अनुपालन में अथवा उच्च प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यायोजित शक्तियों के बल पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियम, विनियम, आदेश एवं अनुदेश।

अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावकारिता के नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है अर्थात् क्या वे निम्नलिखित के अनुसार हैं:

- भारत के संविधान और विधि (वैधानिकता) के प्रावधानों के अधिकाराधीन;
- अपशिष्ट, दुरुपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं (पर्याप्तता) के कारण हानि के प्रति पर्याप्त रक्षा के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पतियों और देयताओं के ऊपर पर्याप्त रूप से व्यापक और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना;
- अस्पष्टता से दूर तथा मुक्त और निर्णय लेने में (पारदर्शिता) सत्यनिष्ठा के अनुपालन को बढ़ावा देना;
- विवेकपूर्ण तथा बुद्धिमान (औचित्य तथा विवेक); और
- प्रभावी और अभिप्रेत उद्देश्य तथा लक्ष्य (प्रभावकारिता) प्राप्त करना।



VIII ख वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा मूल रूप से वित्तीय विवरणों के समूह पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने से सम्बन्धित है। इसमें निम्न शामिल है

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता का आश्वासन सुनिश्चित करते हैं।

VIII ग निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र निर्धारण अथवा जाँच-पड़ताल है जहाँ तक एक संगठन, कार्यक्रम और योजना का संचालन मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी रूप से होता है। निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारण करती है:

1. **मितव्ययिता** - मितव्ययिता उपयुक्त गुणवत्ता वाले किसी कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त संसाधनों की लागत को न्यूनतम करना है। मितव्ययिता वहाँ होती है जहाँ समान गुणवत्ता संसाधन कम लागत पर प्राप्त किए जाते हैं।
2. **दक्षता** – दक्षता आउटपुट (वस्तुओं, सेवाओं अथवा अन्य परिणामों) और उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों (इनपुट) के बीच संबंध है। दक्षता वहाँ विद्यमान है जहाँ संसाधनों (वित्तीय, मानव, भौतिक और सूचना) का उपयोग ऐसा है कि आउटपुट को संसाधन इनपुट के दिए गए सैट के लिए अधिकतम किया जाता है अथवा इनपुट को आउटपुट की दी गई मात्रा और गुणवत्ता के लिए न्यूनतम किया जाता है।
3. **प्रभावकारिता** - प्रभावकारिता वह सीमा है जहाँ तक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और कार्यकलाप के अभिप्रेत प्रभाव और वास्तविक प्रभाव के बीच संबंध है। प्रभावकारिता उस मुद्दे का समाधान करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।



IX हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साईं स्तर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया अनेक चरणों का अनुपालन करती है, जैसा कि अग्रलिखित चित्र में दर्शाया गया है:



नीतिगत योजना भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में लम्बे समय अनुभव स्तर के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर योजना के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

नीतिगत लेखापरीक्षा योजना 2020 में निर्धारित उच्च स्तर नीतिगत लक्ष्य

लक्ष्य 1: एकीकृत लेखापरीक्षा प्रयास

लक्ष्य 2: सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण में व्यावसायिकता को उन्नत करना

लक्ष्य 3: पणधारियों के साथ संचार को सुधारना तथा उच्च दृश्यता सुनिश्चित करना

लक्ष्य 4: लेखापरीक्षा प्रभावकारिता को बढ़ाना

लक्ष्य 5: लेखाकरण तथा हकदारी कार्यों की सुपुर्दगी सुधारना

लक्ष्य 6: मानव संसाधन प्रबंधन को सुधारना



नीतिगत लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास उस नीतिगत निदेश के अनुसार किया जाता है जिसका आईएण्डएडी लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण, मुद्दे का महत्व और उपलब्ध संसाधन के अनुसरण के लिए निर्णय लेता है। इन योजनाओं में वे लेखापरीक्षाएं शामिल हैं जिन्हें उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यप्रणालियों में प्रत्येक के अन्तर्गत किया जाना है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास समग्र नीतिगत लेखापरीक्षा योजना के आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान की जाने वाली योजनाबद्ध प्रत्येक लेखापरीक्षा का विस्तृत उल्लेख है। वार्षिक योजना कबायद में मामले या यूनिट के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण और अन्य सुसंगत प्राचलों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। इसे आगे लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधन, मानव एवं वित्त दोनों द्वारा भी परिभाषित किया गया है।

हम नियोजित किए जाने वाले दल, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए एक विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय, सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साईं इण्डिया के लेखापरीक्षण मानकों तथा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में जानी जाने वाली एक रिपोर्ट जारी की जाती है। उच्च मूल्य अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आगे परिष्कृत किए जाते हैं और संघ तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए उनकी संवीक्षा की जाती है।

लेखापरीक्षित इकाइयों से लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने और उनसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजने की आशा की जाती है। संघ और राज्य स्तरों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित लोक लेखा समिति (पीएसी) और लोक उपक्रम समिति (कोप्) की बैठकों में चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों तथा सिफारिशों के अनुपालन की



भी जाँच-पड़ताल की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा गठित लेखापरीक्षा समितियां लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिये नियोजित तंत्र है। लेखापरीक्षा समितियाँ जिनमें लेखापरीक्षित इकाई और आईएंडएएडी के अधिकारी सम्मिलित होते हैं, अनुवर्ती प्रक्रिया की निगरानी करती हैं ताकि, मुख्यतः निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबन्धित बाकी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त अनुबोध अंतराल को कम किया जा सके एवं संचार स्तर को बढ़ाया जा सके।

अलग-अलग कार्यालयों की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की समीक्षा करके विभागीय स्तर की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में समेकित किया जाता है, ताकि विभिन्न अनुभागों और विषयों के बीच संसाधनों और अपेक्षाओं के संतुलन के पश्चात् इसे लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं में दर्शाया जा सके। लेखापरीक्षा योजना की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाती है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2016-17 के मुख्य बिंदु

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2016-17 को विगत योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए लेखाओं के प्रमाणन और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाह्य रूप से पोषित परियोजनाओं के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्रों सहित वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा संबंधित कार्यों को प्रथम प्राथमिकता दी गई। सामरिक योजना 2012-17 में पहचाने गये मुख्य क्षेत्रों के अनुरूप विषयों अर्थात् राजकोषीय प्रबंधन, मानव विकास, आधारभूत ढांचा, ग्रामीण और शहरी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा का चयन किया गया। इक्विटी और पर्यावरणीय समस्याओं पर आईएंडएडी की नियमित चिन्ताएं जारी हैं और उचित रूप से लेखापरीक्षा परियोजनाओं में जोड़ी गई हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा के विषय निम्नलिखित तीन श्रेणियों में चयनित किये गये थे:

- (क) 3 से 5 वर्ष पहले की निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में की गई स्वीकृत सिफारिशों की अनुवर्ती लेखापरीक्षा;
- (ख) चालू कार्यक्रमों/योजनाओं के लिंग-आयामों के आधार पर, सामान्य लेखापरीक्षा में 'लिंग-न्याय मामलों और लिंग बजटिंग/लेखापरीक्षण समस्याओं वाले क्षेत्रों की लेखापरीक्षा;




(ग) नागरिक केंद्रित प्रशासन तंत्र और नागरिकों को जन सेवा के लिए सुपुर्दगी प्रणाली की लेखापरीक्षा।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2016-17 में उत्पाद अनुकूलन से प्रक्रिया अनुकूलन को लेखापरीक्षा केन्द्र को पुनराभिमुख करने का निर्णय लिया गया अर्थात् लेखापरीक्षा उत्पाद पर इसके परिणाम के आधार पर लेखापरीक्षा के समापन बाद निर्णय लिया जाएगा। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2016-17 में संघ स्तर पर 407 पीएसयू, 379 स्वायत्त निकायों और 74 बाह्य रूप से पोषित परियोजनाओं और राज्य स्तर पर 1288 पीएसयू, 1047 स्वायत्त निकायों और 255 बाह्य रूप से वित्तपोषित परियोजनाओं की वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा करने की योजना बनाई गई। इसके अतिरिक्त, संघ स्तर पर लेखापरीक्षा योग्य 56,288 इकाईयों में से 18,128 की और राज्य स्तर पर लेखापरीक्षा योग्य 3,68,114 इकाईयों में से 43,338 के लेखापरीक्षण की योजना की परिकल्पना की गई।

XI हमारा संगठन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 46,000 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय आईएएडी का मुख्यालय है। इसकी सहायता 138 क्षेत्रीय कार्यालयों (133 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश स्थित पाँच कार्यालय) द्वारा की गई थी। कार्यालयों की सूची अनुबंध II में है।





नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय

नई दिल्ली स्थित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों का निर्देश, निगरानी और नियंत्रण करता है। यह साईं इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, मिशन और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षण मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रक्रियाकरण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यवसायिक प्रथाएँ, नीतिगत प्रबंधन कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, बिग डाटा प्रबन्धन इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक तथा उपनिदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध 1 में दिया गया है।

XII आईएएडी के क्षेत्रीय कार्यालय

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय के कार्यात्मक विंग की सहायता देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। ये कार्यालय वास्तव में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा एवं लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रकारों की चर्चा नीचे की गई है:

- **महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालय (37)** संघ सरकार के कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें सिविल मंत्रालय और विभाग, रक्षा, भारतीय रेल और डाक एवं दूरसंचार शामिल हैं।
- **प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड (एमएबी) के कार्यालय (12)** केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज) की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित करते हैं और सरकारी कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। वे पीएसयूज में अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं।



- **विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय (3)**, वाशिंगटन, लंदन तथा कुआलालम्पुर में प्रधान निदेशकों की अध्यक्षता में प्रत्येक क्षेत्र में दूतावासों तथा अन्य सरकारी स्थापनाओं की लेखापरीक्षा करते हैं।

लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार और विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय)	
सिविल	12
रक्षा	6
डाक एवं दूरसंचार	1
रेलवे	18
वाणिज्यिक	12
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	3
कुल	52
बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय	02
राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय	41
राज्य लेखा एवं हकदारी कार्यालय	28
राष्ट्रीय स्तर संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान / क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	15
जोड़	138

- **बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय (2):** रोम में पीडीए का कार्यालय विश्व खाद्य कार्यक्रम (जुलाई 2016 में यह बंद कर दिया गया था) की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी था। यूएन बोर्ड के बाह्य लेखापरीक्षक के सदस्य के रूप में साईं इंडिया द्वारा की जा रही संयुक्त राष्ट्र की लेखापरीक्षा का निरीक्षण करने के लिए बाह्य लेखापरीक्षा निदेशक का एक नया कार्यालय जून 2014 में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया है।

- **प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय (41)** प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार की सभी

प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा, राज्य में सरकारी कम्पनियों, निगमों और स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

- **लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक) कार्यालय (28)** जिनके प्रमुख प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (ले. एवं हक) हैं, राज्य सरकार के लेखाओं के रख-रखाव और उनके कर्मचारियों के जीपीएफ एवं पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के कार्य में लगे हैं।
- **प्रशिक्षण संस्थान (15):** तीन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आईएएडी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में लगे हैं।
- कार्यालयों की विस्तृत सूची इस रिपोर्ट के **अनुबंध II** में है।



XIIIAक संघ सरकार की लेखापरीक्षा हेतु संगठनात्मक ढांचा

- मुख्यालय स्तर पर संघ सरकार की लेखापरीक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा संक्षिप्त रूप में नीचे दिया गया है।

	क्षेत्र
डीएआई (वाणिज्यिक)	आर्थिक तथा अवसंरचना मंत्रालय
डीएआई (रिपोर्ट केन्द्रीय एवं स्थानीय निकाय)	सामाजिक एवं सामान्य सेवा मंत्रालय तथा स्थानीय निकाय
डीएआई (सरकारी लेखे)	सरकारी लेखे
डीएआई (केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	केन्द्रीय राजस्व/प्राप्तियाँ
डीएआई (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	रक्षा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे

- मंत्रालयों की लेखापरीक्षा में लगे क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आर्थिक सेवा मंत्रालय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग), महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे), महानिदेशक और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा तथा प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालयों को भी क्षेत्र (सेक्टर) की रूपरेखा दी गई है।
- केन्द्र सरकार की इकाईयों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा हेतु नई दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में तीन मौजूदा कार्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न शहरों में विद्यमान आठ शाखा कार्यालयों के साथ संलग्न, अप्रैल 2012 से प्रभावी नौ कार्यालयों सहित पोर्ट ब्लेयर, गुवाहटी, ग्वालियर, कोच्ची, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, पटना, रांची और जयपुर सहित छह अन्य कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद तथा लखनऊ में खोले गए हैं। ये नौ कार्यालय तथा नौ शाखा कार्यालय केन्द्र सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा का कार्य करते हैं।
- वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संघ सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु मुख्यालय में एक विशेष सैल का गठन किया गया है।

XIII ख राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा

राज्यों में सभी लेखापरीक्षा कार्यकलाप अर्थात् सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा, राज्य स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की



लेखापरीक्षा, कार्य के निम्नलिखित वितरण के अनुसार एडीएआईज द्वारा समन्वित तथा पर्यवेक्षित किए जाते हैं:

एडीएआई - उत्तर क्षेत्र	एडीएआई - मध्य क्षेत्र	एडीएआई - पूर्व क्षेत्र	एडीएआई - पश्चिम क्षेत्र	एडीएआई - दक्षिण क्षेत्र	एडीएआई - उत्तर-पूर्व क्षेत्र
दिल्ली	बिहार	आंध्र प्रदेश	गोवा	कर्नाटक	अरुणाचल प्रदेश
हरियाणा	छत्तीसगढ़	तेलंगाना	गुजरात	केरल	असम
हिमाचल प्रदेश	झारखंड	ओडिशा	महाराष्ट्र	तमिलनाडु	मणिपुर
जम्मू एवं कश्मीर	मध्य प्रदेश	पश्चिम बंगाल	राजस्थान	पुदुचेरी	मेघालय
पंजाब	उत्तर प्रदेश				मिजोरम
उत्तराखंड					नागालैंड
					सिक्किम
					त्रिपुरा

- 2 अप्रैल 2012 से 10 राज्यों³ में दो राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् प्रधान महालेखाकार (सामाजिक तथा सामान्य क्षेत्र) तथा प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र) हैं। महाराष्ट्र के मामले में, प्रधान महालेखाकारों के बीच क्षेत्राधिकार का आवंटन भौगोलिक आधार पर है। अन्य राज्यों के मामलों में, जहां पर केवल एक महालेखाकार कार्यालय है वहाँ ग्रुप अधिकारियों के बीच अधिकार का आवंटन क्षेत्र के आधार पर किया गया है।
- स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के कार्यालयों का प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) से संबंधित कार्यालयों के साथ विलय, 2 अप्रैल 2012 से कर दिया गया है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने वाली राज्य एजेंसियों की लेखापरीक्षा राज्य महालेखाकारों द्वारा की जानी जारी रखी गयी है।

³ आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।



XIV लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा से सम्बन्धित विषयों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सलाह देने और निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड है। बोर्ड में विविध क्षेत्रों से प्रख्यात पेशेवर शामिल हैं। यह बाहरी सलाह के लिए हमारी स्पष्टता का प्रतिबिम्ब है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू दल द्वारा एक उत्तम प्रयास के रूप में पहचाना गया है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है। 2015-17 के दो वर्षों के लिए अगस्त 2015 में गठित आठवे सलाहकार बोर्ड के सदस्य निम्न प्रकार से हैं:

श्री शशि कांत शर्मा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन अध्यक्ष
श्री के.वी. चौधरी केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	सदस्य
सीए निलेश शिवजी विक्रमसे अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	सदस्य
डॉ. एल्विन दीदार सिंह महासचिव, भारतीय वाणिज्यिक तथा उद्योग मंडल संघ	सदस्य
श्री प्रदीप कुमार पूर्व सीवीसी एवं सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी	सदस्य
श्री शिव शंकर मेनन पूर्व एनएसए एवं सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी	सदस्य
श्री नरेन्द्र सिंह सेवानिवृत्त उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	सदस्य
डॉ. अरुणा रॉय सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
डा. पार्थ सारथी शोम अर्थशास्त्री	सदस्य
डॉ. वन्दना शिवा पर्यावरणविद	सदस्य



श्री आमिर खान अभिनेता एवं सामाजिक कैम्पेनर	सदस्य
डॉ. नरेश त्रेहन चिकित्सा विशेषज्ञ	सदस्य
श्री सत्यजीत भटकल विजुअल मीडिया निर्देशक	सदस्य
सभी उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन सदस्य
सभी अपर उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन सदस्य

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्ष 2016-17 के दौरान 7 अप्रैल 2016 तथा 10 नवम्बर 2016 को दो बैठकें हुई थीं। इन दो बैठकों के दौरान, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण अघोगति, नदी सफाई परियोजनाएं, भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़ा, सामाजिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, बिग डाटा विश्लेषण, स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और पीपीपी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार किया गया।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता के अन्तर्गत लगभग सभी राज्यों में भी किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के सदस्य हैं। नामित सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से लिए जाते हैं।



अध्याय 3

लेखापरीक्षण के महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ

विभाग के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना शामिल है।


निरीक्षण रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र इन लेखापरीक्षाओं के मुख्य परिणाम हैं। इन लेखापरीक्षा उत्पादों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना आईएण्डएडी का मुख्य परिणाम क्षेत्र है। इस अध्याय में हम 2016-17 के दौरान हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा उत्पादों को उजागर करते हैं।

I अनुपालन, निष्पादन, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आईएण्डएडी निष्पादन, वित्तीय तथा अनुपालन लेखापरीक्षाओं का संचालन करता है। 2016-17 में की गई लेखापरीक्षाओं का विवरण निम्न पैराग्राफों में दिया गया है:

क अनुपालन लेखापरीक्षा:

(i) लेखापरीक्षा कवरेज

2016-17 के दौरान कुल 56,437 ईकाईयों की लेखापरीक्षा की गई। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 94.56 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 97.34 प्रतिशत पूरा हो गया था।



**(ii) निरीक्षण प्रतिवेदन**

प्रत्येक लेखापरीक्षित इकाई की लेखापरीक्षा के समापन पर जारी निरीक्षण रिपोर्टें लेखापरीक्षा का मुख्य उत्पाद हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित 56,437 इकाइयों में से 2016-17 में 51,061 इकाइयों (90.47%) के मामले में निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए थे। संघ स्तर पर 93.19 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर जारी किये गये अर्थात्, 30 दिनों के भीतर, जबकि राज्य स्तर पर 75.86 प्रतिशत निष्पादन समय पर था।

	जारी निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों के अंदर जारी निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिशतता
संघ	16,222	15,117	93.19%
राज्य	34,839	26,429	75.86%
कुल	51,061	41,546	81.37%

(iii) अनुपालन लेखापरीक्षा में की गई आपत्तियां:

अनुपालन लेखापरीक्षा में की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल किया जाता है। 2016-17 के दौरान 2,619 पैराग्राफ (1,159 संघ रिपोर्टों में और 1,460 राज्य रिपोर्टों में) इन प्रतिवेदनों में शामिल किये गये थे। संघ स्तर पर 1,159 में 812 पैरा स्वीकार किए गए थे और 87 पैरा लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा आंशिक रूप से स्वीकृत किए गए थे।

राज्य स्तर पर, लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा 1460 पैराओं में से 567 स्वीकृत किए गए और 161 आंशिक रूप से स्वीकृत किए गए थे।

।ख निष्पादन लेखापरीक्षा

2016-17 के दौरान 183 निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुमोदन किया गया था जैसा नीचे संक्षेप में दिया गया है।

	निष्पादन लेखापरीक्षा विषय
संघ स्तर	46
राज्य स्तर	137
जोड़	183



। ग वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ एवं राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के अलावा आईएएंडएडी सहायता समझौतों के भाग के तौरपर बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर हुए व्यय को भी प्रमाणित करता है।

हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयूज, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य के 4,046 लेखाओं की जांच की। निर्धारित समय सीमा के अन्दर 3,372 लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र जारी किये गए।

	जांच किए गए लेखे	समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण
संघ सरकार/राज्य सरकार	299	279
पीएसयूज	1,471	1,170
स्वायत्त निकाय	700	460
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	194	160
अन्य	1,382	1,303
जोड़	4,046	3,372 (83.34 प्रतिशत)

अपूर्ण लेखे की प्राप्ति, लेखाओं के सत्यापन हेतु अभिलेखों की प्राप्ति न होने के कारण विलम्ब तथा आपत्तियों का निपटान न होना, लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर की प्राप्ति में विलम्ब, महत्वपूर्ण मामलों पर प्रबंधन के साथ चर्चा, प्रोफार्मा लेखाओं की विलम्बित प्राप्ति, लेखाओं की बंचिंग, एसएपी-ईआरपी का कार्यान्वयन, धोखाधड़ी सूचित करना और विस्तृत जांच की आवश्यकता लेखाओं के विलम्बित प्रमाणन के कुछ कारण थे।

। घ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संविधान का अनुच्छेद 151 यह दर्शाता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनों को तैयार करेंगे और संसद या राज्य विधान मंडल, जैसा भी मामला हो; में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे।

हमने 2016-17 के दौरान 49 संसद तथा 101 राज्य विधानमण्डलों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु 150 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जिसमें 183 निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर रिपोर्टों के परिणाम शामिल हैं) तैयार किए। इनमें से 10 रिपोर्टें संसद



हेतु तथा 24⁴ रिपोर्टें राज्य विधानमण्डलों में 31 मार्च, 2017 के पश्चात प्रस्तुत की गईं। इनके अलावा, पिछले वर्षों की 6 संघ लेखापरीक्षा रिपोर्टें तथा 49 राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टें भी 2016-17 के दौरान संसद/विधानमण्डलों में प्रस्तुत की गई थीं।

हमने संघ तथा राज्य स्तर पर अपने लेखापरीक्षित इकाइयों को 2,016 सिफारिशों की। इनमें से 838 सिफारिशों को स्वीकार किया गया था।

	वर्ष के दौरान तैयार प्रतिवेदनों की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ सरकार	49@	388	173
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकार	101@@	1,628	665
जोड़	150	2,016	838

@ इन 49 प्रतिवेदनों में से, 39 प्रतिवेदन 2016-17 के दौरान संसद को प्रस्तुत किये गए थे।

@@ इनमें से केवल 75 प्रतिवेदन 2016-17 के दौरान राज्य विधानमण्डलों में प्रस्तुत किए गए।

II हमारा लेखापरीक्षा प्रभाव

IIक लेखापरीक्षा के बताने पर वसूलियां

हमारी कुछ लेखापरीक्षा आपत्तियों संबंधित पार्टियों से वसूलियों को अनिवार्य बनाते हुए करों के कम निर्धारण या राजकोष में विशेष हानि से सम्बन्धित हैं। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के बताने पर की गई वसूलियां नीचे दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

	बताई गई वसूलियां	स्वीकार की गई वसूलियां	प्रभावित वसूलियां
संघ स्तर	39,952.56	19,965.22	2,566.58
राज्य स्तर	88,506.00	22,746.78	4,350.50
जोड़	1,28,458.56	42,712.00	6,917.08

⁴ पश्चिम बंगाल के दो प्रतिवेदन अर्थात् 2016 का प्रतिवेदन सं. 4 तथा 2017 का प्रतिवेदन सं. 3 अभी प्रस्तुत किये जाने हैं ।



लेखापरीक्षित इकाइयों ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूलियों में करीब 33.25 प्रतिशत स्वीकार किया। सरकार ने ₹ 6,917.08 करोड़ की वसूली की जो वसूली के लिये बताई गई राशि का केवल लगभग 5.38 और स्वीकृत राशि का 16.19 प्रतिशत है। 2016-17 के दौरान वसूली गई राशि आईएएंडएडी के कुल व्यय से बहुत अधिक है जो कि ₹ 4,042.53 करोड़ था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, लेखापरीक्षित इकाइयों ने हमारे द्वारा इंगित ₹ 6,58,067 करोड़ की वसूलियों में से ₹ 2,28,249 की वसूली स्वीकार की है और ₹ 20,909 करोड़ की वसूली की है जो राजकोषीय प्रबंधन में आईएएंडएडी के योगदान को दर्शाता है।

II ख निष्पादन लेखापरीक्षा

2016-17 के दौरान 183 निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों को अन्तिम रूप दिया गया था। हमने 1,318 सिफारिशों की इनमें से लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा 567 सिफारिशों को स्वीकार किया गया, जैसा नीचे दर्शाया गया है।

	निष्पादन लेखापरीक्षा विषय	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ स्तर	46	303	142
राज्य स्तर	137	1,015	425
जोड़	183	1,318	567

II ग पीएसयूज के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में, हम कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 168 कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं में अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सुधार किये गये। इन परिवर्तनों का निहितार्थ: (क) लेखाओं की टिप्पणियों में सुधार: ₹ 26,865 करोड़ (ख) वर्गीकरणीय चूकें: ₹ 35,574.14 करोड़ (ग) लाभ तथा हानि में परिवर्तन: ₹ 5,539.75 करोड़ और (घ) परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन: ₹ 17,739.63 करोड़ था।

III प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष के दौरान संसद के समक्ष 45 प्रतिवेदन (पिछले वर्षों के 6 प्रतिवेदनों सहित) तथा राज्य विधानमंडलों के समक्ष 124 प्रतिवेदनों (पिछले वर्षों के 49 प्रतिवेदनों



सहित) को प्रस्तुत किया गया था। इन प्रतिवेदनों की प्रतियां हमारी वेबसाइट www.cag.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन प्रतिवेदनों में दर्शाए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दर्शाए गए हैं:

॥क ससंद में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट

कैन्टीन भण्डार विभाग (सीएसडी) के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा - रक्षा सेवाएं (सेना) - 2016 की रिपोर्ट संख्या 38

पीएसी ने सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिए इच्छा व्यक्त की थी ताकि न तो सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विपरीत प्रभाव पड़े और न ही मूल्य वर्धित कर (वैट) के भुगतान में अवरोधन या विलम्ब हो। बेस डिपो का वाणिज्यिक प्रचालन अनार्थिक रूप से किया जा रहा था। ₹ 485.47 करोड़ की वैट वापसी का अवरोधन तथा उपभोक्ताओं पर ₹ 43.89 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बेस डिपो के ऊपर अत्यधिक निर्भरता के कारण हुआ।

- सीएसडी इन्वेंट्री में रखी गई वस्तुओं की कीमत में आई भिन्नता की निगरानी के लिए कोई विशिष्ट तंत्र या प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया इसलिए आपूर्तिकर्ता कीमतों की गिरावट से प्राप्त होने वाले लाभ को सीएसडी से बचाने में सफल रहा। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित कीमत संशोधन पर अंतिम निर्णय/अनुमोदन मिलने में विलम्ब के कारण कीमत की गिरावट की वसूली गई ₹ 6.61 करोड़ की राशि का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाया जा सका।
- विभिन्न राज्य सरकारों की वैट अधिसूचनाओं के क्रियान्वयन में विसंगतियों के परिणामस्वरूप वैट वापसी दावों के लंबे बकाए (₹ 1001.97 करोड़) के कारण सरकारी निधि का अवरोधन, राज्य सरकारों द्वारा वैट की अस्वीकृति (₹ 43.47 करोड़), गलत वैट रिटर्न के जमा होने पर दंड तथा उचित रूप से वैट अधिसूचना का अक्रियान्वयन (₹ 23.77 करोड़) देखा गया। इसके अतिरिक्त, सीएसडी थोक विक्रय मूल्य का आकलन करते समय वैट राशि को शामिल करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 43.78 करोड़ का नुकसान हुआ।
- सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के प्रावधानों का पालन किए बिना क्यूडी राशि को संस्वीकृत किया जा रहा है तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है जैसे उच्चतर फार्मेशन के लिए ₹ 29.49



करोड़ की अन्तरण, निधि का पूर्ण प्रयोग किए बिना उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत करना तथा अपने खातों में (₹ 10.11 करोड़) अव्ययित राशि को बनाए रखना।

- 20 यूआरसी में पात्रता की तुलना में शराब का अधिक आहरण जो कि 5,14.369 युनिट तक था और ₹ 100 प्रति रम बोतल की न्यूनतम दर पर ₹ 5.14 करोड़ के मूल्य का था, को देखा गया जिसका खुले बाज़ार में अवैध रूप से विक्रय हो सकता है।

रक्षा सेवाएं (सेना)-सीमा सड़क संगठन द्वारा इंडो चीन सीमा सड़क के निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा-2017 की रिपोर्ट संख्या 5

- सीमा सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल सभी 61 भारत चीन सीमा सड़क (आईसीबीआर) 2012 तक पूरे किए जाने को नियोजित थीं। तथापि, हमने देखा कि 2012 तक पूरे किए जाने के लिए नियोजित 61 आईसीबीआर में से केवल 15 सड़कें 2012 तक पूरी की गई थीं। शेष 46 सड़कों में से केवल 07 सड़कें मार्च 2016 तक पूरी की गईं तथा शेष सड़कों की संभावित समापन तिथि (पीडीसी) को वर्ष 2021 तक बढ़ाया गया। इस प्रकार, 61 आईसीबीआर के लिए ₹ 4644 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति ₹ 4536 करोड़ (98 प्रतिशत) का व्यय करने के बावजूद मार्च 2016 तक केवल 22 सड़कें ही (36 प्रतिशत) पूरी की गई थीं।
- अनुपयुक्त डिज़ाइन/विनिर्देशन, खड़ी ढाल, दोषपूर्ण संरेखण, घुमाव की समस्याएं, अनुचित संविदा प्रबंधन, खराब सवारी परिस्थितियाँ, अपयार्प्त नाली सुविधाएँ, सड़कों की गैर-संयोजकता एवं निष्पादित निर्माण कार्य के परित्याग के कारण सड़कों के दोषपूर्ण निर्माण के अनेक उदाहरण लेखापरीक्षा में देखे गए। इसके परिणामस्वरूप, न केवल सामरिक सड़कों के समापन में विलंब हुआ था, बल्कि सड़कों पर सुधारात्मक कार्रवाई/पुनर्संरेखण की वजह से ₹ 63.20 करोड़ का निष्फल व्यय भी हुआ। निर्माण कार्य का पूर्ण न होना/दोषपूर्ण विनिर्देशन, सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।
- प्रयोक्ताओं ने अपनी असन्तुष्टि व्यक्त की क्योंकि बीआरओ द्वारा निष्पादित सड़क निर्माण कार्य प्रयोक्ता आवश्यकता की पर्याप्त रूप में पूर्ति नहीं करते थे। प्रयोक्ताओं की प्रतिक्रिया से यह प्रकट हुआ कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 24



सड़कों में से 17 सड़कों में अनुपयुक्त ढाल, असमान ऊपरी परत, अनुपयुक्त घुमाव त्रिज्या, निकलने हेतु कम से कम स्थान, असंतोषजनक सवारी सुविधाएं जैसी समस्याएं थीं। ₹ 164 करोड़ की लागत पर पूरी की गई छः सड़के भी उपरोक्त कमियों के कारण स्मैच पिनाका तथा बोफोर्स जैसे विशिष्ट वाहनों/उपकरणों के संचालन के लिए उपयुक्त नहीं थीं।

रक्षा सेवाएं (नौसेना एवं तट रक्षक) - 2016 की रिपोर्ट सं. 17

- पोत का अपेक्षित क्षमता निर्धारण करने में भारतीय नौसेना की विफलता के कारण भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया मल नावों का अधिग्रहण नवम्बर 2007 से अभी फलीभूत होना है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.97 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी समुद्री प्रदूषण की रोक का मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
- मंत्रालय ने फर्म को मूल्य वृद्धि देते हुए, मिग 29के/केयूबी हेतु यूद्ध-सामग्री की आपूर्ति के लिए विदेशी फर्म के साथ 8 मार्च 2010 को एक ठेका किया, यद्यपि पहले अनुबंध के अन्तर्गत विकल्प खण्ड की वैधता 27 मार्च 2010 तक थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना) ने ₹ 8.68 करोड़ के अतिरिक्त व्यय पर एक विशेष फर्म से सी-किंग हेलिकॉप्टर की रडार प्रणाली के ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिटों (टीआरयू) के नवीनीकरण के लिए मैग्नेट्रॉन की अधिप्राप्ति की। नवीनीकरण के बावजूद, 17 टीआरयू की आवश्यकता के प्रति केवल पांच टीआरयू सेवायोग्य थे जिसके परिणामस्वरूप सी-किंग हेलिकॉप्टरों का केवल स्थानीय मिशनों हेतु सीमित उपयोग हुआ।
- नौसेना के अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों/स्थापनाओं एवं जहाजों में समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 6.19 करोड़ मूल्य के पांच रेडियो प्रापक प्रकाश स्तम्भों की परिहार्य अधिप्राप्ति हुई।
- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) को पूंजीगत व्यय तथा अनुरक्षण प्रभारों के ब्यौरे समय पर प्रस्तुत करने में भारतीय नौसेना की विफलता के कारण, वे गोवा विमानपत्तन के उतराई प्रभारों की संशोधित टैरिफ दरों से वंचित रहे जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 2013 से ₹ 6.18 करोड़ की कम वसूली हुई।
- नौसेना द्वारा 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की आवश्यकता वाली राजपत्र अधिसूचना का संज्ञान लेने में रक्षा मंत्रालय/तटरक्षक/रक्षा सम्पदा कार्यालय (विशाखापत्तनम) की



विफलता के परिणामस्वरूप विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से ₹ 5.73 करोड़ की लागत से प्राप्त भूमि पर तटरक्षक के लिए एअर एनक्लेव नहीं बन सका। इसके परिणामस्वरूप निवेश के निष्फल रहने के साथ-साथ तटरक्षक की परिचालन तैयारी भी प्रभावित हुई।

रक्षा सेवाएं (वायु सेना) - 2016 की रिपोर्ट सं. 18

- वाणिज्यिक वायु सेवाओं से जुड़े मार्गों का मात्र अपरिहार्य स्थिति में अन्य हकदार व्यक्ति (ओईपी) वीआईपी फ्लीट का उपयोग करते हैं, सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित नियंत्रण तंत्र कार्य नहीं कर रहे थे। ₹ 32.25 करोड़ के अवरोधन शुल्कों की मांग नहीं की गई थी/वसूला नहीं गया था।
- आईएफ ने विदेशी सैन्य बिक्री (एफएमएस) रूट के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार (यूएसजी) से यूएसडी 4,116 मिलियन (₹ 18645.85 करोड़) की कुल लागत पर दस सी-17 ग्लोबमास्टर III वायुयान तथा सहायक उपकरण अधिप्राप्त किए (जून 2011)। विशिष्ट अवसररचना को पूरा करने में विलम्ब हुआ था तथा पायलटों एवं लोडमास्टरों के प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित सिम्युलेटर्स के स्थापन में भी विलम्ब हुआ था। सी-17 वायुयान की परिचालन क्षमताओं का आंशिक रूप से उपयुक्त पेवमेंट क्लासीफिकेशन नम्बर (पीसीएन) सहित रनवे की अनपुलब्धता तथा वायुसेना के विभिन्न बेसेज पर ज़मीनी उपकरण के अभाव के कारण कम उपयोग हुआ था।
- भारतीय वायुसेना (आईएफ) ने डॉर्नियर वायुयान की आवश्यकता का आंकलन परिकल्पित प्रयोज्यता दर से कम पर किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 891 करोड़ लागत के 14 अतिरिक्त वायुयान की खरीद हुई।
- आईएफ के समय पर अनुबंध का निर्णय करने में असफल रहने के कारण ओईएम द्वारा दर संशोधन के कारण ₹ 19.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। अप्रैल 2009 में 104 'एक्स' सिस्टम की कुल तकनीकी जीवनावधि (टीटीएल) समाप्त हो गई, किन्तु छः वर्षों से अधिक बीत जाने तथा ₹ 101.52 करोड़ का व्यय करने के उपरांत भी, 'एक्स' सिस्टम की क्षमता संदेहास्पद थी।
- आवश्यकता के गलत अनुमान के परिणामस्वरूप हैंगर्स का अधिक प्रावधान ₹ 24.28 करोड़ की परिहार्य लागत पर हुआ।
- ₹ 13.65 करोड़ में 100 एफ इकाईयों के लिए अधिप्राप्त एक्सेस कंट्रोल सिस्टम (एसीएस) में कमियाँ थीं। इसके अतिरिक्त इसकी प्रयोज्यता की वृद्धि



हेतु अतिरिक्त ₹ 7.38 करोड़ में पूरक सुविधाओं की अधिप्राप्ति के बावजूद, एसीएस की प्रयोज्यता अप्रभावकारी थी।

संचार एवं आईटी सेक्टर - 2016 की रिपोर्ट सं. 29

- नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले) राजस्थान दूरसंचार परिमण्डल ने वर्ष 2008-10 की अवधि में मैसर्स टाटा टेलिसर्विसेज़ लिमिटेड (टीटीएसएल) के द्वारा प्रस्तुत किये गये दावों के आधार पर ₹ 71.49 करोड़ के फ्रंट लोडेड सब्सिडी की सब्सिडी वितरण के पूर्व ग्राहक आवेदन पत्रों (सीएएफ) की सत्यता की जांच किये बिना, अनुमति दे दी। इसके अलावा, ओडिशा और केरल परिमण्डलों के सीसीए ने दोहरे दावों पर ₹ 0.82 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान बीएसएनएल और रिलायंस कम्यूनिकेशन लिमिटेड को किया।
- डाक जीवन बीमा (पीएलआई) एवं ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) का निधि प्रबन्धन, कमियों जैसे रोज के शुद्ध वृद्धि के आधार पर और मासिक निवेश योग्य निधि के आधार पर भी, निवेश योग्य निधि के गलत निर्धारण से पीड़ित था। निवेश में देरी, के परिणामस्वरूप ₹ 984 करोड़ की सम्भावित आय की हानि हुई। भारत सरकार के स्पेशल सेक्युरिटी फ्लोटिंग रेट बांड (जीओआईएसएसएफआरबी) से आय के पुनर्निवेश में देरी, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमों के पालन न करने और सेनवैट क्रेडिट के उपयोग न करने के उदाहरण संज्ञान में आये।
- डाक विभाग ने भूमि प्लॉटों को प्राप्त करने/खरीदने से पहले वास्तविक आवश्यकता का आंकलन नहीं किया। दिसम्बर 2015 को इसके पास ₹ 209.55 करोड़ मूल्य के 6.77 लाख वर्गमीटर के 472 खाली फ्रीहोल्ड प्लॉट थे। डाक भवन/कर्मचारी क्वार्टर्स बनाने के लिए 1978 से पूर्व अधिगृहीत 4.08 लाख वर्गमीटर के 100 प्लॉट अभी तक खाली थे तथा 2014 तक ₹ 3.37 करोड़ पट्टा किराये का भुगतान किया गया। ₹ 13.94 करोड़ मूल्य पर प्राप्त 3.24 लाख वर्गमीटर के 241 प्लॉट अतिक्रमित थे। पर्याप्त सावधानी वाले कदम उठाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप न केवल अतिक्रमण हुआ बल्कि इससे अनावश्यक मुकदमा भी हुआ, जिसे टाला जा सकता था।
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डाइटी) के मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एसटीक्यूसी) ने उनकी टेक्नों कामर्शियल सक्षमता को परखे बिना भवन निर्माण का कार्य साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्कस



आफ इंडिया (एसटीपीआई) को सौंप दिया। एसटीपीआई के पास कोई सिविल इंजीनियरिंग विंग नहीं थी और अपने ठेकेदार एवं वास्तुकार को ठीक से सम्भाल न सके और कार्य को पूरा किये बिना ही छोड़ दिया। इसके कारण एसटीक्यूसी को भूमि आवंटन के 14 वर्ष के उपरान्त भी जून 2016 तक भवन निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 9.33 करोड़ का निष्फल व्यय भी हुआ एवं एसटीपीआई के पास ₹ 3.47 करोड़ का अवरोधन हुआ।

- डाइटी ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) को ई-भारत परियोजना तैयारी सुविधा के क्रियान्वयन के लिए ₹ 10.50 करोड़ का अग्रिम दिया। क्योंकि एनआईएसजी परियोजना को क्रियान्वित करने में असफल हो गया इसलिए डाइटी ने विश्व बैंक से साहयता प्राप्त एक अन्य परियोजना "इंडिया ई-डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेस" जो कि पुनः एनआईएसजी द्वारा क्रियान्वित की जानी थी, के लिए ₹ 3.36 करोड़ की राशि विपथित की और अप्रयुक्त अनुदान की ₹ 0.78 करोड़ की राशि एनआईएसजी के पास छोड़ते हुए ₹ 6.36 करोड़ एनआईएसजी द्वारा डाइटी को वापस किये गये। डाइटी द्वारा अप्रयुक्त अनुदान पर दिनांक 31 जनवरी 2016 तक ₹ 7.77 करोड़ ब्याज की राशि भी एनआईएसजी से वसूल नहीं की गयी।
- जुलाई 2011 से साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के साथ ही न्यायाधिकरण के सदस्यों को बेंच के गठन और अपीलों के निस्तारण हेतु शक्ति प्रदान करने के प्रावधानों की कमी के कारण इसके गठन का मूल उद्देश्य असफल हुआ जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2016 की अवधि के लिए यद्यपि मार्च 2016 तक अपील के 66 मामले लम्बित होने के बावजूद एक भी प्रकरण की सुनवाई या निस्तारण नहीं हुआ, परिणामस्वरूप वेतन एवं अन्य स्थापना पर ₹ 27.64 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर - "संरचना विकास में कार्यरत निर्धारितियों को कटौती की अनुमति" पर निष्पादन लेखापरीक्षा - 2016 की रिपोर्ट सं. 28

- आयकर विभाग (आईटीडी) ने 13 राज्यों में 33 मामलों में विदेशी कम्पनियों के सहयोग द्वारा बनाए गए संयुक्त उद्यम, व्यक्तियों के संगठन (एओपीज) के स्वामित्व वाले उपक्रमों, जिन्होंने सरकार के साथ अनुबन्ध नहीं किया था,



द्वारा विकसित अवसंरचना नॉन-कम्पलाइट औद्योगिक पार्क तथा बाहर किये गए निर्माण ठेकेदारों के संबंध में निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती अनुमत की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 205.84 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय का कम निर्धारण हुआ।

- आईटीडी ने आठ राज्यों में 16 मामलों में अनियमित रूप से निर्धारितियों को कटौती अनुमत की थी जहां निर्धारितियों के व्यवसाय जैसे प्लाट की बिक्री, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अन्तर्गत शामिल न की गई परियोजनाओं, रूपान्तरण प्रभार, पार्क का विकास/रख-रखाव इत्यादि कटौती के पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 174.35 करोड़ के कर प्रभाव वाली आय का कम निर्धारण हुआ।
- आईटीडी ने आठ राज्यों में 19 मामलों में कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से अर्जित आय के संबंध में अनियमित रूप से कटौती अनुमत की जिसमें ₹ 34.77 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।
- आयकर विभाग ने पांच राज्यों में नौ मामलों में कटौती हेतु व्यय को राजस्व के रूप में मानने, चल परिसम्पत्तियों की बिक्री, धारा 40ए (3) 14ए, 40(ए) आदि के अंतर्गत अननुमति के आधार पर की गई वृद्धियों पर अनियमित रूप से विचार किया। परिणामस्वरूप, निर्धारित द्वाारा दावा की गई राशि से अधिक की अनुमति दी गई थी जिसमें ₹ 74.66 करोड़ का परिणामी कर प्रभाव शामिल है।
- आयकर विभाग ने निर्धारितियों द्वारा अपने निजी उद्देश्यों के लिए निर्मित एवं प्रचालित रेलवे साइडिंगों/जैटिज, जिन्हे धारा 80 आईए (4) की व्याख्या के संबंध में अवसंरचना सुविधाओं के रूप में नहीं माना जाता, से प्राप्त लाभों के संदर्भ में दो राज्यों में आठ मामलों में निर्धारितियों को अनियमित रूप से कटौती की अनुमति दी थी। कटौती की अनियमित अनुमति में ₹ 2066.70 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर - 'टीडीएस/टीसीएस योजनाओं के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा - 2017 की रिपोर्ट सं. 4

- 168 मामलों में निर्धारण अधिकारी (एओ) स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के दोषी कटौतीकर्ताओं पर ₹ 902.16 करोड़ राशि का ब्याज लगाने में विफल रहा। 155 मामलों में, एओ व्यय को अस्वीकृत करने में विफल रहा यद्यपि स्रोत पर



कर की कटौती नहीं की गई थी या कटौती की गई थी लेकिन निर्धारिती द्वारा जमा नहीं कराई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,026.42 करोड़ के कर की कम उगाही हुई।

- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा टीडीएस विवरणियों के सत्यापन के चयन हेतु मापदण्ड निर्धारित नहीं किए गए थे। 50 प्रतिशत से अधिक आयकर आयुक्त (टीडीएस) प्रभागों में सर्वेक्षण किए जाने हेतु वार्षिक लक्ष्य संख्या या तो निर्धारित नहीं की गई थी/उपलब्ध नहीं थी अथवा शून्य थी और सर्वेक्षण करने के लिए लक्ष्य निर्धारण के प्रति आईटीडी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं था। इसके अलावा आईटीडी कर कटौतीकर्ताओं को “कर कटौती/संग्रहण खाता संख्या” (टैन) आबंटित करने से पूर्व पर्याप्त “अपने ग्राहक को जानिये” (केवाईसी) नहीं कर रहा था जिसके कारण सभी टीडीएस चूककर्ताओं का पता नहीं लग पाया।
- निहित टीडीएस राशि के साथ-साथ चालानों की संख्या के संदर्भ में अप्रयुक्त चालानों की संख्या बहुत अधिक थी और सभी एओ द्वारा अप्रयुक्त चालानों की टैगिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा था। निपटानयोग्य मांग की वसूली हेतु केन्द्रीयकृत प्रक्रमण सेल (टीडीएस) के पोर्टल पर एओ (टीडीएस) हेतु उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग न करने तथा कर कटौतीकर्ताओं की चूककर्ता रिपोर्ट से चूक को दूर करने की संख्या बहुत अधिक थी।

सिविल - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2015 की रिपोर्ट सं. 54

- केवल 51 प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को पहचाना गया था और 49 प्रतिशत लाभार्थियों को सभी राज्यों/यूटी में अभी तक पहचाना जाना शेष था।
- अधिकतर कार्यान्वयन राज्यों ने एन.एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) एवं प्राथमिकता परिवारों के लाभार्थियों को पहचाना नहीं था परंतु लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थियों के पुराने डाटाबेस का उपयोग किया था।
- वर्ष 2012 में निर्णय लिए जाने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्यान्न प्रवृत्ति योजना को तैयार नहीं किया गया था।
- नमूना परीक्षित राज्यों में, तीन माह की आवश्यकता को रखने के लिए खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता पर्याप्त नहीं थी तथा राज्यों/सं.शा.क्षे. की मौजूदा भंडारण क्षमता की परिस्थिति में सुधार की आवश्यकता थी।



- असम में द्वार तक खाद्यान्नों के संवितरण को कार्यान्वित नहीं किया गया था जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इसे आंशिक रूप से कार्यान्वित किया गया था।
- राज्यों/सं.शा.क्षे. में अभिज्ञात लाभार्थियों के डाटा का अपर्याप्त डिजिटीकरण देखा गया था।
- नौ चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में से छः में शिकायत निवारण तंत्र का गठन कर लिया गया था, ये पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं थे। किसी भी चयनित राज्यों/सं.शा.क्षे. में सभी चार स्तरों पर निगरानी समितियां मौजूद नहीं थीं। मंत्रालय के पास शिकायत निवारण तंत्र एवं निगरानी समिति पर सूचना नहीं थी और कार्यान्वयन को मॉनीटर करने की स्थिति में नहीं था।

सिविल - पासपोर्ट सेवा परियोजना - 2016 की रिपोर्ट सं. 7

- पासपोर्ट मांगने वाले व्यक्तियों को दिया गया मुलाकात समय 1 से 68 दिनों के बीच था। मुलाकात समय देने की प्रतीक्षा अवधि 38 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पी.एस.के.) में 0-3 दिन, 12 पी.एस.के. में 3-10 दिन, 17 पी.एस.के. में 11-30 दिन और 12 पी.एस.के. में 30 दिन से अधिक के बीच थी। पुलिस सत्यापन प्रक्रिया में लिया गया औसत समय 21 दिनों की निर्धारित सीमा के प्रति 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर 42 दिन था। कुछ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आर.पी.ओ.) में मुद्रण में लम्बन तीन से आठ दिनों के बीच था। मंत्रालय के पास ₹ 27.38 लाख प्रेषित पासपोर्टों के वितरण की स्थिति नहीं थी।
- पी.एस.के. में नागरिक द्वारा लिया गया औसत समय पीआरओ दिल्ली के अन्तर्गत चार पीएसके में 25 मिनटों की (टोकन जारी करने के समय से निकास समय तक) निर्धारित समय सीमा के प्रति 78 मिनट था जिसके कारणवश पी.एस.के. में भीड़ हुई।
- विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदत्त डाटा के अनुसार, प्राप्त कुल शिकायतों का 25 प्रतिशत वर्ष के अन्त तक उपेक्षित रहा। पी.एस.पी. में आवेदकों को कोई प्रतिदाय विकल्प नहीं दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2013 से दिसम्बर 2014 तक के दौरान 5,42,168 आवेदकों से ₹ 78.46 करोड़ का संग्रहण हुआ जिन्हें अन्ततः मुलाकात का समय नहीं दिया गया था।
- पी.एस.पी. चलाने के लिए मंत्रालय तथा सेवा प्रदाता के बीच एक मास्टर सेवा अनुबंध (एम.एस.ए.) हस्ताक्षर किया गया था। पी.एस.पी. की निगरानी हेतु



एम.एस.ए. ने अभिशासन ढांचा (सशक्त समिति, कार्यक्रम प्रबंधन समिति) निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एम.एस.ए. की भुगतान अनुसूची की शर्त से संबंधित कुछ खण्ड असंगत थे और संशोधन की आवश्यकता थी और कमजोर अभिशासन देखा गया क्योंकि अधिकार प्राप्त समिति और कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति या तो कार्यरत नहीं थीं अथवा उस कार्य में शामिल नहीं थीं जिसके लिए वे गठित की गई थीं।

सिविल - सिविल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी-सामाजिक लेखापरीक्षा - 2016 की रिपोर्ट सं. 8

- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, केरल तथा उत्तराखण्ड में सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों की स्थापना नहीं की गई थी।
- 14 राज्यों जहां स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाईयों की स्थापना की गई थी, में 43 (22 प्रतिशत) राज्य संसाधन व्यक्तियों, 358 (24 प्रतिशत) जिला संसाधन व्यक्तियों तथा 1957 (57 प्रतिशत) ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की कमी पाई गई थी।
- असम, बिहार, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों से मिलने तथा उनके साथ संबंधित सूचना बांटने हेतु घर-घर जाकर दौरे नहीं किए गए थे।
- असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश के पास कार्य स्थलों के प्रत्यक्ष सत्यापन का कोई प्रमाण नहीं था। पंजाब तथा हरियाणा में कार्य स्थलों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।
- ग्राम सभा बैठके न करने, ग्राम समुदाय की कम भागीदारी, सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विचार-विमर्श न करने, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को स्थानीय भाषा तथा निर्धारित प्रारूप में तैयार न करने, ग्राम सभा तथा सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की कार्यवाहियों की वीडियो रिकार्डिंग न करने तथा वैबसाइट पर अपलोड न करने आदि के उदाहरण पाए गए थे।

सिविल - अनुपालन लेखापरीक्षा - 2016 की रिपोर्ट सं. 11

- **नागरिक उड्डयन मंत्रालय:** बोली दस्तावेजों में निर्धारित शर्त को पूरा न करने के बावजूद भारतीय एयरो क्लब (एसीआई) द्वारा काम्पेक्ट टेक्नोलॉजी लाईट स्पोर्ट (सीटीएलएस) वायुयानों का अनियमित रूप से चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक नागरिक उड्डयन ने सीटीएलएस वायुयानों को



पहले प्रदान की गई स्वीकृति को वापस लेने के संबंध में एसीआई को सूचना नहीं दी थी। परिणामस्वरूप, एसीआई (दिसम्बर 2011) द्वारा प्राप्त सीटीएलएस वायुयान व्यर्थ पड़े थे (नवंबर 2015) जिसने उनके अधिग्रहण के उद्देश्य को विफल किया तथा ₹ 2.39 करोड़ के व्यय को निष्फल कर दिया।

- **कोयला मंत्रालय:** मई 2007 में कोयला मंत्रालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कोयला खान भविष्य निधि संगठन ने अपने मुख्यालय, धनबाद में अपने आवासीय मकानों में बिजली मीटरों को लगाने की कोई पहल नहीं की थी तथा अपने कर्मचारियों को नाममात्र दरों पर बिजली की आपूर्ति को जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के दौरान ₹ 2.16 करोड़ तक ऊर्जा प्रभारों की कम वसूली हुई।
- **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय:** कृषि एवं संसाधित खाद्य उत्पादन निर्यात प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित उत्पादनों के निर्यातकों तथा वकीलों, जिनसे इसके द्वारा विधिक सेवाएं प्राप्त की गई थी, से सेवा कर का संग्रहण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.15 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।
- **संस्कृति मंत्रालय:** खराब योजना तथा वित्त समिति की स्वीकृति के बिना कार्य के क्षेत्र में वृद्धि का परिणाम ₹ 1.41 करोड़ से ₹ 7.63 करोड़ तक व्यय की प्रबल वृद्धि में हुआ तथा ₹ 6.77 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का परियोजना की समाप्ति हेतु निर्धारण किया गया था।
- **विदेश मंत्रालय:** जून 2010 में भारतीय उच्चायोग (एच.सी.आई.) ओटावा तथा टोरंटो एवं वेन्कूवर में इसके वाणिज्य दूतावासों द्वारा वीजा शुल्कों हेतु विनिमय दर, जैसा नियमपुस्तिका के अंतर्गत अपेक्षित है, के बावजूद प्रचलित विनिमय दर के गलत अपनाने तथा बाद में मार्च 2013 में भारतीय नागरिकता के परित्याग हेतु सेवा शुल्कों तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग पर दण्ड के अनुचित अधोमुखी संशोधन के परिणामस्वरूप ₹ 27.01 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।
- **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:** सफदरजंग अस्पताल द्वारा संपत्ति कर पर सेवा प्रभारों की गणना के लिए 'उपयोग कारक' के गलत निर्धारण के फलस्वरूप नई दिल्ली नगर निगम को ₹ 4.60 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।
- **गृह मंत्रालय:** मंत्रालय द्वारा मौजूदा दो संस्थानों का विलय करके राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया अकादमी को स्थापित करने की कार्रवाई, भूमि के स्वतंत्र प्लॉट पर अकादमी को स्थापित करने के पूर्व के निर्णय से भिन्न थी। खराब योजना



के परिणामस्वरूप एन.डी.एम.ए. को लागत में वृद्धि की वजह से ₹ 2.48 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा था। इसके अलावा भूमि के क्रय पर किया गया ₹ 18.61 करोड़ का समस्त व्यय निष्फल हो गया।

- **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय:** केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की लेखापरीक्षा में कई व्यवस्थागत कमियों जैसे प्रमाणन प्रक्रिया में अस्पष्टीकृत विलंब, समिति द्वारा जांच के लिए फिल्मों का क्रम बदलना, प्रमाणित फिल्मों को ए से यू.ए./ए. श्रेणी इत्यादि में परिवर्तित करना इत्यादि का पता चला। लेखापरीक्षा के सामने ऐसे साक्ष्य भी आए जो कि फिल्म प्रमाणीकरण के अभिलेखों को ट्रैक करने के लिए सी.बी.एफ.सी. के भीतर आंतरिक नियंत्रण की कमी भी दर्शाते हैं जिससे कॉपीराइट न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों को एक भी फिल्म के लिए डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी किए जाने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय:** खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ऋणों के प्रति अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप ₹ 551.46 करोड़ की वसूली नहीं हुई, और योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से विकास की ₹ 226.70 करोड़ की राशि संस्थानों को ऋण प्रदान करने में विपथित की गई थी।
- **नीति आयोग:** भारतीय एकल पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने संविदा के प्रावधानों के उल्लंघन में विक्रेता (मै. विप्रो लिमिटेड) को अनुचित लाभ प्रदान किया तथा वारंटी/मुफ्त अनुरक्षण के अंतर्गत शामिल अवधि हेतु उपकरण की वार्षिक अनुरक्षण संविदा पर ₹ 4.92 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।
- **वस्त्र मंत्रालय:** वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद द्वारा सुसज्जित कार्यालय स्थान को पट्टे पर देने हेतु अपनाई गई निविदा प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। यद्यपि, मै. तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टी.यू.एल.) ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था फिर भी उनकी बोली पर बोलियों के खोले जाने के एक सप्ताह पश्चात विचार किया गया था। मै. टी.यू.एल. को कुछ पश्च संविदात्मक लाभ प्रदान किए गए थे जो ए.ई.पी.सी. के लिए अत्यन्त प्रतिकूल थे जिसका परिणाम मै. टी.यू.एल. को अनुचित लाभ तथा ए.ई.पी.सी. को ₹ 17.42 करोड़ के राजस्व की हानि हुआ।

सिविल - प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) - 2016 की रिपोर्ट सं. 23

- सात राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मेघालय, मिजोरम तथा तेलंगाना) में जिला ग्रामीण सड़क योजना में बस्तियों की जनसंख्या पर



मूल सूचना, संयोजकता की स्थिति, सड़क तालिका एवं मानचित्रों, का अभाव, जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन न करना, संयोजकता की इकाई के रूप में बस्तियों के बजाय ग्राम को लेने आदि जैसी विसंगतियां पाई गई थी।

- 11 राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में 372 निर्माण कार्यों को ₹ 280.01 करोड़ का व्यय करने के पश्चात भूमि की अनुपलब्धता अथवा भूमि विवाद के कारण बीच में छोड़ दिया गया था/छोड़ देना प्रस्तावित था।
- नौ राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश) में संविदा को सौंपने में अयोग्य ठेकेदार को कार्य सौंपना, बोली क्षमता का निर्धारण करने हेतु मापदण्ड में परिवर्तन, वैधता अवधि के भीतर निर्माण कार्य को अंतिम रूप न देना, निविदा प्रक्रिया के बिना कार्य सौंपना, असंतुलित बोली हेतु अतिरिक्त निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त न करना आदि जैसी अनियमितताएं पाई गई थीं।
- आठ राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड) में ₹ 25.15 करोड़ की कार्यक्रम निधि का अनुरक्षण निधि, प्रशासनिक व्यय, निधि, वेतन एवं मजदूरी, क्षतिग्रस्त सम्पत्ति की मरम्मत आदि के प्रति विपथन किया गया था। इसके अतिरिक्त, पांच राज्यों (केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तराखण्ड) में ₹ 11.78 करोड़ की प्रशासनिक निधियों का अस्वीकार्य मदों के प्रति विपथन किया गया था।
- 12 राज्यों (असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मिजोरम (चार जिले), राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल) में फील्ड प्रयोगशालाओं की गैर स्थापना, उपकरणों की अनुपलब्धता, प्रशिक्षित श्रमशक्ति का परिनियोजन न किए जाने तथा अपेक्षित जांच न करने जैसी अनियमितताएं पाई गई थीं।
- पूर्ण सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन ने बहु संयोजकता, निर्माण कार्य को बीच में छोड़ने, पूर्ण संयोजकता प्रदान किए बिना कार्य को समाप्त दर्शाने, सड़कों के खराब अनुरक्षण, सड़को का यातायात हेतु चालू न होने, त्रुटियों का सुधार किए बिना संविदाओं का समापन, पीएमजीएसवाई सड़कों के दोनों ओर फलदार वृक्षों का रोपण न करने आदि के मामले दर्शाए।



वाणिज्यिक - अनुपालन लेखापरीक्षा (2016 की रिपोर्ट सं. 15)

- पाइपलाइनों के टैप-ऑफ-प्वाइंट स्टेशनों के कंट्रोल रूमों को भण्डारण टैंकों से कम से कम 60 मीटर पर स्थित करने की आवश्यकता है। गुवाहाटी-सिलीगुडी पाइपलाइन पर आईओसीएल के चार भण्डारण टैंकों के संबंध में इसका उल्लंघन किया गया था।
- यद्यपि, 869 किमी लम्बी केजी बेसिन पाइपलाइन शुष्क गैस के संचरण के लिए प्रारूपित की गई थी परन्तु ओएनजीसी वेट एवं सोर गैस की आपूर्ति कर रहा था जिससे गेल पाइपलाइन का संक्षारण हुआ, विभिन्न अध्ययन करने के आधार पर इस तथ्य पर रिपोर्ट पोन्नामदा-कदाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (2010) और ततिपाका-कोंडापल्ली पाइपलाइन (2014) में जान हानि की दुर्घटनाओं के कारण बताती है।
- 'सुअर' के उत्प्रेक्षण द्वारा जब विजाग-सिकंदराबाद एलपीजी पाइपलाइन में आईपीएस वास्तविक तौरपर संचालित हुआ तब आईपीएस के संचालन में विलम्ब के कारण पाइपलाइन में गंदगी एवं मलबे के एकत्रीकरण के कारण दो मृत्यु हुई।
- 2014-15 के अंत में हुडको के पास ₹ 4795 करोड़ की गैर-निष्पादन आस्तियां (एनपीए) थीं और सकल बकाया ऋण का 6.3 प्रतिशत थीं। एनपीए 2010-11 में 5.46 से 2014-15 में 6.3% तक बढ़ गया था।
- हुडको ने ईंधन आपूर्ति समझौते, कोयला लिंकेज और ऊर्जा खरीद समझौते के हस्ताक्षर की पूर्व-वितरण शर्त में छूट दी और मार्च 2008 और मई 2010 में मेसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 493.34 करोड़ के ऋण का वितरण किया। ₹ 482.57 करोड़ के बकाया के साथ ऋण जुलाई 2014 में एनपीए बन गया।
- समानरूप से हुडको ने ईंधन आपूर्ति समझौते और ऊर्जा खरीद समझौते को हस्ताक्षरित करने की पूर्व वितरण शर्त को और ₹ 354.56 करोड़ के इक्विटी भुगतान प्रदान करने की प्रवर्तक की शर्त को शिथिल कर मेसर्स केवीके नीलाचल पावर प्राइवेट लिमिटेड को जुलाई 2007 में ₹ 360 करोड़ के ऋण की मंजूरी दी। ₹ 348.71 करोड़ के बकाया के साथ ऋण अक्टूबर 2014 में एनपीए हो गया।



- रिपोर्ट यह भी उल्लेख करती है कि राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक (हाउसिंग वित्तीयन कम्पनी के लिए नियामक) के निर्देशों के उल्लंघन में हुडको ने मेसर्स आरकेएम पावरजन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स केवीके नीलाचल पावर प्राइवेट लिमिटेड के लेखाओं से उनके ऋणों के गैर-निष्पादन आस्तियां बन जाने के बाद 2014-15 के दौरान ब्याज पर ₹ 134 करोड़ समायोजित किए।
- रिपोर्ट में गंगोत्री आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड को ऋण के संबंध में प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी और ग्रुप कम्पनी की कॉर्पोरेट गारंटी का उपयोग करने के लिए आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड की ओर से चूक को उजागर करने के साथ प्रतिभूत शेयर की विलम्बित बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 13.22 करोड़ के प्राप्यों की वसूली नहीं हुई।
- धोखाधड़ी से कोयला ब्लॉक को सुरक्षित करने पर जांच के संदर्भ में अतिरिक्त यथोचित तत्परता किए बिना ऋण की मंजूरी के 16 महीने बाद ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड ने मेसर्स जस इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर लिमिटेड को ₹ 185.2 करोड़ का श्रण दिया। ₹ 239.36 करोड़ का बकाया ऋण अक्टूबर 2015 में एनपीए बन गया।
- बोलीदाताओं जिन्होंने नये टर्मिनल टी2 पर स्थान के आवंटन के लिए बोली प्रस्तुत की थी, से एमआईएएल द्वारा एकत्रित गैर-वापसी जमा के संबंध में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने 2013-14 से 2014-15 की अवधि के लिए (₹ 2.02 करोड़ के ब्याज सहित) ₹ 9.02 करोड़ का भुगतान नहीं किया था।
- इसी प्रकार रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एएआई द्वारा 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 41.21 करोड़ (₹ 18.62 करोड़ के ब्याज सहित) के वार्षिक शुल्क की कम वसूली की गई जबकि इन सेवाओं के लिए संबंधित प्राधिकारियों को एमआईएएल द्वारा वास्तव में किए गये भुगतान की अपेक्षा मुंबई हवाईअड्डे पर व्यापार छूटग्राहियों से विद्युत तथा जल प्रभार की वसूली अधिक दर पर वसूल करके अर्जित की थी।
- एमआईएएल ने प्रत्येक छूट प्राप्तकर्ता से निवल बिक्री का 0.5 प्रतिशत एकत्रित करने के द्वारा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर छूटप्राप्तकर्ताओं के व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक मार्केटिंग निधि का भी गठन किया। एएआई को मार्च 2015 तक एमआईएएल से ₹ 7.79 करोड़ (₹ 2.02 करोड़ के ब्याज



सहित) प्राप्त करने चाहिए थे। इसका भुगतान नहीं किया गया था। उसी कारण से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड (डीआईएएल) से मार्च 2015 तक ₹ 35.69 करोड़ (₹ 11.84 करोड़ के ब्याज सहित) के राजस्व की हानि भी रिपोर्ट में इंगित की गई है।

वाणिज्यिक - कोयला खदान के ई-नीलामी पर अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2016 की रिपोर्ट सं. 20)

- 29 कोयला खदानों में से 11 की सफलतापूर्वक 1 और दो भागों में ई-नीलामी की गई थी, ई-नीलामी चरण में अहर्ताप्राप्त बोलीदाताओं (क्यूबीज) में से अनेक उसी कम्पनी/मूल सहायक कम्पनी गठबंधन/संयुक्त उद्यम (जेवी) से थे। एक परिदृश्य जहां मानक निविदा दस्तावेज़ (एसटीडी) ने जेवीज़ की भागीदारी को अनुमत किया और उसके साथ-साथ क्यूबीज़ की संख्या को सीमित किया जो कि ई-नीलामी में भागीदारी ले सके। लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सका कि पहले दो भागों में इन 11 कोयला खदानों की नीलामी चरण ॥ बोली के दौरान प्रतियोगिता के संभावित स्तर को प्राप्त किया जा सका। तीसरे भाग में मंत्रालय ने भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से जेवी भागीदारी के खण्ड में सुधार किए।
- ई-नीलामी की गई कोयला खदानों की निगरानी के संबंध में भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां कोयला नियंत्रक संगठन पर स्पष्ट नहीं की गई थी और एनए पर निगरानी तंत्र मूल्यांकन के प्रक्रियाधीन था। पूर्व आबंटिती द्वारा उत्पादन आंकड़ों की जांच के लिए कोई तंत्र नहीं था। रायल्टी के लिए राज्य सरकारों को पूर्व आवंटियों द्वारा प्रस्तुत उत्पादन मात्राओं की तुलना में अतिरिक्त लेवी के भुगतान के लिए सीसीओ को प्रस्तुत मात्राओं के बीच आठ मामलों में अन्तर था।
- कुछ पूर्वानुमानों के पालन में असंगतियां और अयथार्थताएं थीं और मूलभूत मूल्यों की गणना में कई त्रुटियां थीं जिससे संचयी रूप से अग्रिम राशियों और आधार मूल्यों का अवनिर्धारण हुआ और कोयलाखान की निर्धारित दरों का संशोधन हुआ।
- निहित आदेशों के जारी होने से 12 माह से अधिक समय के बाद भी 26 निहित कोयलाखानों में से 15 में संचालन अभी भी लंबित था जो इन कोयला खानों की शुरुआती नीलामी के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती थी।



- फरवरी 2015 से सरीसतोली और ट्रान्स दामोदर कोयला खानों की ई-नीलामी से वेस्ट बेंगाल पावर डवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (डब्ल्यूपीडीसीएल) के इस आधार पर अयोग्य होना कि यह एक पूर्व आवंटी था और जिसने मांगी गई अतिरिक्त लेवी का भुगतान नहीं किया था और मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप नहीं था क्योंकि दिसम्बर 2014 के द्वितीय कोयला खान (एसपी) अध्यादेश द्वारा कम्पनी पूर्व आवंटी की परिभाषा में नहीं आती।
- ऊर्जा क्षेत्र कोयला खानों की नीलामी कम कीमत पर कोयला उपलब्ध कराने और बिजली के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। तथापि, बिजली उपभोक्ताओं से विभिन्न प्रभारों की वसूली न करने से सम्बन्धित शर्त, निगरानी प्रणाली में कमियां और बैंक गारंटी की सीमित अवधि जैसी दोषपूर्णताओं के कारण अनुबन्ध संबंधी दायित्वों का पालन न करने का जोखिम अधिक था, जो लंबी अवधि में मॉडल की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था।
- 32 कोयला खानों के लिए सफल बोलीदाता की घोषणा करने के लिए नामित प्राधिकरण (एनए) ने एमओसी को अधिमान्य बोलीदाता के नाम की शिफारिश की थी। इन 32 मामलों में से, आठ मामलों को एमओसी ने एनए को पुनः परीक्षा हेतु भेजा। एनए ने अपने पूर्व निर्णय को दोहराया और एमओसी से अनुरोध किया कि वह मामलों पर उपयुक्त निर्णय ले। एमओसी ने मामलों की जांच की और तीन कोयला खानों के सन्दर्भ में एनए की शिफारिशों को नामंजूर कर दिया। यद्यपि लेखापरीक्षा ने किसी भी व्यक्तिगत मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि यह मानता है कि अन्तिम बोली की कीमतों के मूल्यांकन के लिए एनए और एमओसी द्वारा लागू किये जाने वाले पैरामीटर को शामिल करने वाले व्यापक दिशानिर्देश बोली प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाएंगे और जो इसे अपरिहार्य मुकदमे बाजी को कम कर सकते हैं।
- मर्चेट पावर के उत्पादन के लिए प्रयुक्त कोयले के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान को निकालने, जहां टैरिफ को विनियमित नहीं किया जाता है, के परिणामस्वरूप ऐसा परिदृश्य होगा जहां विभिन्न ऊर्जा खरीद समझौतों के तहत विनियमित दरों के तहत बेची जाने वाली बिजली की तुलना में बिजली की मर्चेट बिक्री के लिए बिजली उत्पादक सरकार को कम राशि का भुगतान कर रहे होंगे। यह सीसीईए अनुमोदित पद्धति के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।



वाणिज्यिक - ओएनजीसी में कच्चे तेल उत्पादन माप और रिपोर्टिंग प्रणाली पर अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट (2016 की रिपोर्ट सं. 21)

- 'कंडेनसेट' को कच्चे तेल के रूप में रिपोर्ट करना- ओएनजीसी ने 'कच्चे तेल' उत्पादन में 'कंडेनसेट' उत्पादन को शामिल किया जो सूचित कच्चे तेल उत्पादन का 7.07 प्रतिशत बनता है।
- कच्चे तेल के रूप में सूचित 'ऑफ गैस' - अपतट प्लेटफार्म से भेजे गये आंशिक रूप से स्थिरीकृत कच्चे तेल को उरण संयंत्र में स्थिरीकृत किया जाता है। उरण में, कच्चे तेल में घुली गैस को तेल स्थिरीकरण इकाई से अलग किया जाता है। इस पृथक की गई 'ऑफ गैस' को सूचित कच्चे तेल उत्पादन में शामिल किया गया है जिसके परिणामस्वरूप कच्चे तेल के उत्पादन की अधिक रिपोर्टिंग हुई। 2010 से 2015 की अवधि के दौरान 'ऑफ गैस' उत्पादन ओएनजीसी के कच्चे तेल उत्पादन का एक प्रतिशत बनता था।
- कच्चे तेल के रूप में सूचित 'क्षारकीय अवसाद तथा जल (बीएस एवं डब्ल्यू) - उरण संयंत्र पर स्थिरीकरण प्रक्रिया के दौरान हटाया गया बीएस एंड डब्ल्यू कच्चे तेल के उत्पादन में शामिल है जो कि ओएनजीसी के सूचित कच्चे तेल उत्पादन का 3.9 प्रतिशत बनता था।
- **अपतटीय प्लेटफार्मों पर कच्चे तेल का मापन** - उरण संयंत्र कच्चे तेल की प्राप्ति की माप के इलैक्ट्रॉनिक और भौतिक लॉग का रखरखाव करता है। तथापि, अपतटीय प्लेटफार्म पर, किसी भी लॉग (न तो इलैक्ट्रॉनिक न ही भौतिक) का रखरखाव नहीं किया गया था यद्यपि फ्लो कम्प्यूटर में उसके लिए प्रावधान था। कोई लेखापरीक्षा ट्रेल नहीं हुई है। अपतटीय प्लेटफार्म में मापे गये (जनवरी 2015 - अगस्त 2015) कच्चे तेल में जल तत्व उरण में प्राप्त कच्चे तेल से लगातार कम था, औसत अंतर एमयूटी के लिये 0.81 प्रतिशत और एचयूटी पाईपलाईनों के लिये 1.65 प्रतिशत था। 2003 में, ओएनजीसी ने इस संबंध में सलाहकार मैसर्स आईएचआरडीसी की नियुक्ति की, जिसने कहा कि त्रुटि की लगातार प्रवृत्ति ओएनजीसी की ओर से अप्रतिनिधिक प्रतिचयन की ओर इशारा करती है। लेखापरीक्षा विश्लेषण ने दर्शाया कि स्थिति समाधान किए बिना बताये एक दशक से बनी हुई है।
- **मापन प्रक्रियाओं में असंगति** - तटवर्ती परिसंपत्ति में कच्चे तेल की माप के लिये कोई भी मानक संचालन प्रक्रिया नहीं थी। उसी रूप में, विभिन्न तटवर्ती



परिसम्पतियां वेल्यू चेन के अलग बिंदुओं पर उत्पादन का माप करती हैं और इस उद्देश्य हेतु मापन तकनीक के विभिन्न सेट का प्रयोग करती हैं।

- **पश्चिमी तटीय परिसम्पतियों में कच्चे तेल की सूचित और मापी गई गुणवत्ता के बीच बेमेल-** अंकलेश्वर, अहमदाबाद और मेहसाना परिसम्पतियों में, परिसम्पति के मूल कार्यालय को सूचित दैनिक उत्पादन रिपोर्ट वास्तवित/परिमित उत्पादन से अधिक थी।
- **पिट तेल स्टॉक का कच्चे तेल के उत्पादन के रूप में लेखांकन-** अहमदाबाद परिसंपत्ति ने 1.34 लाख एमटी कच्चे तेल को पिट तेल के स्टॉक के रूप में अन्त स्टॉक में स्वीकृत किया (2006-07 से 2009-10 तक संचित)। जबकि इससे कच्चे तेल की उत्पादन मात्रा में वृद्धि हुई, वहीं परिसंपत्ति ने इस स्टॉक का लेखाबही में मूल्यांकन नहीं किया और पिट तेल से संबंधित अन्त स्टॉक मात्रा धीरे-धीरे बट्टे खाते डाल दी गई।
- **बीएस एंड डब्ल्यू और कच्चे तेल उत्पादन की रिपोर्टिंग के बाद मुक्त जल निकासी-** अंकलेश्वर, राजामुंद्री और कावेरी परिसंपत्तियों ने प्रसंस्करण के बाद और रिफाइनरी को कच्चे तेल की अभिरक्षा अंतरण से पूर्व काफी जल निकासी रिपोर्ट की। प्रसंस्करण के बाद ऐसी अधिक मात्रा में जल निकासी प्रसंस्करण प्रतिष्ठापन की क्षमता पर संदेह उठाता है और कच्चे तेल के उत्पादन को अधिक बताने में योगदान देता है।
- **तटीय परिसम्पतियों में कच्चे तेल की मापन प्रणाली में कमियां-** लेखापरीक्षा ने ओएनजीसी की तटीय परिसम्पतियों में कच्चे तेल की मापन प्रणाली में विभिन्न कमियां देखी। उदाहरण के लिए टैंक की यथा अधिदेशित जांच प्रत्येक पांच वर्ष में नहीं की गई थी और असम परिसंपत्ति में 120 टैंक में से अधिकांश की 1970 में शुरू होने के बाद जांच या सफाई नहीं की गई थी। ₹ 385 करोड़ की लागत पर एससीएडीए प्रणाली अधिकांश अधिष्ठापनों और टैंकों में स्थापित की गई थी, परन्तु उसे रिपोर्टिंग के लिये प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मैनुअल टैंक डिप्स का प्रयोग किया जाना जारी रहा। असम परिसंपत्ति में लॉग बुक और एसएपी डाटा में अंतर थे। एसएपी ईआरपी में स्टॉक की स्थिति, प्रसंस्करण प्रतिष्ठापनों में प्राप्त और भेजे गये तरल से दैनिक उत्पादन रिपोर्ट (डीपीआर) निकालने का सक्षम उत्पादन राजस्व लेखांकन (पीआरए) मोड्यूल है। तथापि, यह



देखा गया कि पश्चिमी तटवर्ती परिसंपत्तियों में, डीपीआर एसएपी का उत्पादन राजस्व लेखांकन मोड्यूल से बाहर मैनुअल रूप से तैयार किया गया था।

- **कच्चे तेल उत्पादन की अधिक रिपोर्टिंग के कारण निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) का अधिक भुगतान-** पीआरपी का परिकलन एमओयू रेटिंग के आधार पर किया जाता है। बीएस एंड डब्ल्यू और ऑफ-गैस शामिल करने के द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन की अत्यधिक रिपोर्टिंग के बावजूद ओएनजीसी लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में एमओयू के लक्ष्य को प्राप्त करने में निरंतर विफल हुआ था। लेखापरीक्षा ने वास्तविक कच्चे तेल के उत्पादन पर विचार करते हुए एमओयू रेटिंग को संशोधित किया और वित्त वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 106.51 करोड़ (लगभग) की राशि के पीआरपी का अधिक भुगतान देखा।
- **अतिरिक्त सब्सिडी बोझ -** ओएनजीसी ने कच्चे तेल के अपने कुल उत्पादन के 56 यूएसडी प्रति बेरल का आर्थिक सहायता का बोझ उठाया था। कच्चे तेल के अपने उत्पादन को अधिक बताकर गलत सूचित कर ओएनजीसी ने 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान ₹ 18626.74 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाया। इसके अतिरिक्त, अंकलेश्वर और असम परिसंपत्तियों (बढाया अन्त स्टॉक) में उत्पादन अधिक बताने के परिणामस्वरूप ₹ 160.69 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक सहायता बोझ पड़ा।

वाणिज्यिक - ओएनजीसी में पहल (डीबीटीएल) योजना (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ योजना) कच्चे तेल के उत्पादन मापन तथा रिपोर्टिंग प्रणाली के कार्यान्वयन पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2016 का प्रतिवेदन संख्या 21)

- **विपथन के लिए प्रोत्साहन समाप्त करना:** यद्यपि पहल (डीबीटीएल) योजना वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता प्राप्त एलपीजी सिलेंडरो के विपथन के संबंध में प्रयोजन का समाधान करती प्रतीत होती है, तथापि, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को गैर-आर्थिक सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के विपथन का जोखिम अभी भी विद्यमान है। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2015-16 के प्रथम सात महीनों में 24 से अधिक सिलेंडरो का उपभोग करने वाले अधिकतर घरेलू उपभोक्ता 2014-15 के सम्पूर्ण वर्ष से 2.6 गुना है। यह भी देखा गया था कि आईओसीएल में 23,104 एचपीसीएल में 5,662 तथा बीपीसीएल में 7,993 घरेलू उपभोक्ताओं ने 2015-16 के प्रथम सात



महीनों में 12 से अधिक सिलेंडरो का उपभोग किया जितना उन्होंने 2014-15 के दौरान सम्पूर्ण वर्ष में उपयोग किया। अतः घरेलू गैर आर्थिक सहायता प्राप्त सिलेंडरों की अधिक खपत से संबंधित जोखिम है। यह इसमें उपभोक्ताओं की दो श्रेणियों पर उद्धृष्ट अन्तरीय करों तथा शुल्को के कारण गैर आर्थिक सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी तथा वाणिज्यिक एलपीजी की लागत में अधिक भिन्नता के संदर्भ में सत्य है।

- **एक ही आधार नम्बर तथा बैंक आईएफएससी तथा खाता संख्या वाले विविध कनेक्शन (अंतर-ओएमसी आवृत्ति को हटाना):** लेखापरीक्षा ने ओएमसीज द्वारा अनुरक्षित उपभोक्ता डाटाबेस में एक ही आधार संख्या या एक ही बैंक खाते के कई एलपीजी कनेक्शन देखे। कई कनेक्शनों के कुछ मामलों में दो या दो से अधिक कनेक्शनों वाले कई कनेक्शनों ने आर्थिक सहायता तथा स्थाई अग्रिम लिए जबकि शेष मामलों में, कई कनेक्शनों में से एक 'चालू' रहा जबकि अन्य कनेक्शनो को 'हस्तांतरित' 'इनट्राजिट' के रूप में दर्शाया गया था। यद्यपि, आर्थिक सहायता का भुगतान केवल 'चालू' कनेक्शन के लिए किया गया था तथापि, भविष्य में आर्थिक सहायता के भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
- **एक ही नाम तथा पता और ग्राहकों के नाम, जन्म तिथि, पंजीकृत मोबाइल संख्या के आधार पर दोहरे कनेक्शनों की पहचान:** राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा किया गया द्विरावृत्ति हटाने का कार्य वर्तमान में वास्तविक समयाधार पर है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जा सकती थी कि ओएमसीज द्वारा दिया गया डाटाबेस 'एक ही नाम एक ही पते' (एसएनएसए) मानदण्ड वाला कोई दोहरा कनेक्शन नहीं होगा। लेखापरीक्षा ने वितरक डाटाबेस के 34 प्रतिशत नमूनों की संवीक्षा की तथा एसएनएसए मामलों के बिल्कुल समान (100 प्रतिशत मेल) संख्या पाई। ऐसा सभी तीन ओएमसीज में देखा गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने डाटाबेस में कई कनेक्शनो का पता लगाने के लिए मानदण्ड अर्थात् 'एक ही नाम, एक ही जन्मतिथि तथा एक ही पंजीकृत मोबाइल नम्बर' के संयोजन पर विचार किया। इन मानदण्डों के संयोजन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह अपेक्षित था कि इन तीन मानदंडों का संयोजन एक व्यक्तिगत पहचान करेगा। लेखापरीक्षा जांच में इन दो मानदंडों के आधार पर कई कनेक्शनों की मौजूदगी दर्शाई। ओएमसीज के प्रथम मानदण्ड के प्रति



34,729 कनेक्शनो से जुड़े कुल 15,885 उपभोक्ता पाए गए, द्वितीय मानदण्ड के प्रति 24,329 कनेक्शनो से जुड़े 11,171 उपभोक्ता पाए गए।

- **एक ही आधार नम्बर तथा बैंक आईएफएससी तथा खाता संख्या में बहुल कनेक्शन (अंतर ओएमसी द्विरावृत्ति हटाना):** लेखापरीक्षा द्वारा की गई 'एक ही आधार नम्बर' तथा 'एक ही बैंक आईएफएससी तथा एक ही बैंक खाता संख्या' की अंतर ओएमसी डी डुप्लीकेशन की जांच ने ओएमसीज में 'चालू' कनेक्शनो को दर्शाया। बहुल कुल कनेक्शनो की मौजूदगी को दर्शाते हुए 37,090 आधार नम्बरों से जुड़े 74,180 एलपीजी उपभोक्ताओं की पहचान की। 'एक ही बैंक आईएफएससी तथा एक ही बैंक खाता संख्या' वाले मामले में, 17,694 एलपीजी 'चालू' उपभोक्ता आईडी 8,847 समान बैंक आईएफएससी तथा समान बैंक खाता संख्या से जुड़े थे।
- **ग्राहक डाटाबेस की सत्यनिष्ठा:** लेखापरीक्षा ने देखा कि उपभोक्ताओं की जन्मतिथि को एलपीजी डाटाबेस में सही प्रकार से नहीं डाला गया। इसके अलावा एलपीजी कनेक्शनो को एलपीजी नियंत्रण आर्डर के उल्लंघन में नाबालिग को जारी किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने अनुपयुक्त इनपुट नियंत्रणों के अभाव को दर्शाते हुए ओएमसी के उपभोक्ता डाटाबेस में पिन कोडो, आधार संख्या के गलत डालने तथा आईएफएस कोडो की गलत प्रविष्टि को भी उजागर किया। उपभोक्ता डाटाबेस में ऐसी विसंगतियां डाटाबेस में अमान्य प्रविष्टियां तथा खराब इनपुट नियंत्रण को दर्शाती हैं जिसमें उपभोक्ता डाटाबेस की सत्यता तथा सत्यनिष्ठा निहित है। इसके अलावा, यह योजना के तहत आर्थिक सहायता लाभ लेने में उपभोक्ताओं को असमर्थ भी बना सकता है।
- **उपभोक्ताओं की शिकायतें तथा उनका निपटान:** यद्यपि ओएमसी ने उपभोक्ताओं की योजना से संबंधित अधिकतर शिकायतों का समाधान किया है तथापि, सात दिनों के अन्दर सुधार करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा ने देखा कि उपलब्धि दर आईओसीएल में 86 प्रतिशत, एचपीसीएल में 76 प्रतिशत तथा बीपीसीएल में 82 प्रतिशत थी। तथापि, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत डाटा के अनुसार 1 जनवरी 2015 से 15 अगस्त 2015 तक सम्पूर्ण उपलब्धि दर पहल (डीबीटीएल) योजना के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों के 97.8 प्रतिशत थी। तथापि इसमें ऐसे मामले थे जहां पर शिकायतों के निपटान में लिया गया समय एक माह से लेकर छः माह से



अधिक के बीच था (आईओसीएल में 1,611 मामले, एचपीसीएल में 2,292 तथा बीपीसीएल में 11,740 मामले)।

- **प्रति वर्ष 12 आर्थिक सहायता प्राप्त सिलेंडरो के कोटे का उल्लंघन:** लेखापरीक्षा जांच में प्रतिवर्ष 12 सिलेंडरों के कोटे से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त एलपीजी सिलेंडरो का मामला तथा बहुल कनेक्शनों के लिए स्थाई अग्रिम के भुगतान के मामले देखे गए। 2014-15 में, प्रतिवर्ष 12 आर्थिक सहायता प्राप्त सिलेंडरो की उच्चतम सीमा का उल्लंघन किया गया था तथा अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक 15.57 लाख चालू घरेलू उपभोक्ताओं ने 12 से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त सिलेंडर प्राप्त किए थे जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान हुआ। नमूना जांच में इन्ट्रा ओएमसी के दोहराव को हटाने ने यह दर्शाया कि वर्ष 2014-15 के दौरान बहुल कनेक्शन वाले 37,499 उपभोक्ताओं तथा वर्ष 2015-16 (31 अक्टूबर 2015 तक) के दौरान 8,707 उपभोक्ताओं ने अपने 12 से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त सिलेंडरो का लाभ उठाया था। इसके अलावा, 51443 उपभोक्ताओं ने बहुल कनेक्शनो पर ₹ 1.30 करोड़ की स्थाई अग्रिम राशि प्राप्त की थी।
- **विफल संव्यवहार:** लेखापरीक्षा ने देखा कि 751 विफल संव्यवहारों में से 485 की विफलता की वजह वितरक थे जो ओएमसीज द्वारा प्रभावी मॉनीटरिंग तथा पर्याप्त इनपुट नियंत्रण तथा डाटाबेस में इसकी यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए वैद्यता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। इसके अलावा, कुछ संव्यवहार विफल हुए क्योंकि कुछ ग्रामीण बैंक नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) सिस्टम पर नहीं थे। एनपीसीआई के भुगतान ब्रिज के साथ सभी उपभोक्ता बैंको का तुल्यकालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करने की आवश्यकता है।
- **स्थायी अग्रिम का हस्तांतरण न होना:** हालांकि उपभोक्ता पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल हुए हैं तथा उन्होंने अपने बैंक खाते तथा कुछ मामलों में आधार संख्या को घरेलू उपभोक्ता डाटाबेस से जोड़ा है तथापि, स्थाई अग्रिम के हस्तांतरण हेतु संव्यवहार विफल हुए हैं। इसकी लेखापरीक्षा जांच ने दर्शाया कि 31 अक्टूबर 2015 तक कुल 47.23 लाख उपभोक्ताओं ने ₹ 169.09 करोड़ की राशि के स्थाई अग्रिम प्राप्त नहीं किए। चूंकि स्थाई अग्रिम के भुगतान का उद्देश्य किसी वित्तीय भार के बिना बाजार मूल्य



पर एलपीजी सिलेंडरों को खरीदने में उपभोक्ता की सहायता करना है। अतः यह अनिवार्य है कि सभी उपयुक्त एलपीजी उपभोक्ता अपनी प्रथम रिफिल बुकिंग पर अग्रिम प्राप्त करें। उपभोक्ताओं को स्थाई अग्रिम का हस्तांतरण न करने से पहल (डीबीटीएल) योजना के अन्तर्गत स्थाई अग्रिम की व्यवस्था करने का प्रयोजन विफल हुआ।

- **गैर नकदी अन्तरण अनुपालनकर्ता (एनसीटीसी) उपभोक्ता:** गैर नकदी अन्तरण अनुपालनकर्ता (एनसीटीसी) उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल नहीं हुए हैं। बीपीसीएल द्वारा कार्यबद्ध एक विपणन अन्वेषण एजेंसी (मई 2015) ने दर्शाया कि अधिकतर 77 प्रतिशत एनसीटीसी उपभोक्ता योजना का एक भाग बनना चाहते थे परन्तु उन्हें जानकारी के अभाव, लम्बी प्रक्रिया, कम प्रक्रिया स्पष्टता, संसाधन हेतु लिया गया समय आदि से रोका गया। इसने इस संभावना पर जोर दिया कि सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को बढ़ाने के लिए अधिक प्रयास किए जाएं ताकि हकदार उपभोक्ता आर्थिक सहायता से वंचित न हो, विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 28 प्रतिशत एनसीटीसी उपभोक्ता ग्रामीण उपभोक्ता हैं।
- **उपभोक्ताओं को दिए गए स्थाई अग्रिम की वसूली:** घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को एकमुश्त अग्रिम दिया जाता है ताकि पहल (डीबीटीएल) योजना में शामिल होने पर बाजार दर पर वितरित प्रथम सिलेंडर के लिए भुगतान करने हेतु उपभोक्ताओं को समर्थ बनाया जा सके। यह अग्रिम कनेक्शन समाप्त होने तक उपभोक्ता के पास रहता है फिर इसे ओएमसी के पास प्रतिभूति जमा से अग्रिम को वसूल किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओएमसी द्वारा रखी गई प्रतिभूति जमा 29.92 लाख मामलों में भुगतान किए गए अग्रिम से काफी कम थी, कमी की राशि ₹ 68.39 करोड़ थी। उस रूप में इन मामलों में स्थाई अग्रिम (पीए) की वसूली संभव नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता द्वारा पीए रखना जारी था भले ही उपभोक्ता की अवस्था गैर नकदी अन्तरण अनुपालनकर्ता (एनसीटीसी) से परिवर्तित हो गई हो। लेखापरीक्षा ने सामूहिक रूप से स्थाई अग्रिम के रूप में ₹ 49.21 करोड़ रखने वाले 9.58 लाख एनसीटीसी उपभोक्ता देखे।
- **भारत सरकार द्वारा 2015-16 के लिए अनुमानित पहल (डीबीटीएल) खाते पर बचत:** पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2015-16 की एलपीजी



आर्थिक सहायता में ₹ 9,211 करोड़ तक संभावित बचतो का आकलन किया (फरवरी 2016) जबकि ओएमसीज ने इसी अवधि के लिए ₹ 5,107.48 करोड़ की बचतो का आकलन किया। मंत्रालय तथा ओएमसीज द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणालियां भिन्न थीं। हालांकि दोनों आकलनों में, लेखापरीक्षा ने अन्तर्निहित विसंगतियां देखी जो अनुमानित बचतो से कम होगी। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन निष्क्रिय या अवरुद्ध उपभोक्ताओं को माना जो आर्थिक सहायता के हकदार नहीं थे, उन्होंने 2014-15 में 6.27 सिलेंडरो की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति औसत खपत के प्रति 12 सिलेंडरो के सम्पूर्ण कोटे का लाभ उठाया होगा। 6.27 सिलेंडर (जैसा ओएमसीज द्वारा अपने आकलन में उपयोग किया गया) की राष्ट्रीय औसत कुल खरीद को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2015-16 के लिए आर्थिक सहायता में अनुमानित बचत केवल ₹ 4,813 करोड़ होगी।

- **ओएमसीज द्वारा 2015-16 के लिए अनुमानित बचते:** आईओसीएल (एलपीजी के लिए ओएमसीज की समायोजन एजेंसी) ने 2015-16 के लिए आर्थिक सहायता बचत की संगणना करते समय 2014-15 में औसत आर्थिक सहायता दर पर विचार किया। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 की तुलना में 2015-16 में मूल्यों में अधिक गिरावट के संदर्भ में आर्थिक सहायता की बचतो को अधिक बताया गया। यदि 2015-16 में ₹ 169.45 प्रति सिलेंडर की औसत आर्थिक सहायता पर विचार किया जाए (पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उनके आकलन में उपयुक्त रूप में) तथा 67.27 लाख उपभोक्ताओं (29 फरवरी 2016 तक) द्वारा 'गिव-इट अप' को अपनाने के कारण आर्थिक सहायता में बचतो पर विचार करने के पश्चात आर्थिक सहायता बचते ओएमसीज द्वारा अनुमानित ₹ 5,107.48 करोड़ की बजाय ₹ 3,473.48 करोड़ तक कम होगी।
- **2014-15 की तुलनीय अवधि की तुलना में 2015-16 (अप्रैल से दिसम्बर 2015) की प्रथम तीन तिमाहियों में वास्तविक आर्थिक सहायता बचते:** अप्रैल 2015 से दिसम्बर 2015 तक की समयावधि के दौरान वास्तविक आर्थिक सहायता अदायगी अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 तक की समयावधि के दौरान ₹ 35,400.46 करोड़ के प्रति ₹ 12,084.24 करोड़ थी। आर्थिक सहायता अदायगी में ₹ 23,316.21 करोड़ की महत्वपूर्ण कमी उपभोक्ताओं द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त सिलेंडरों की कुल खरीद में कमी



तथा 2015-16 में कच्चे तेल की कीमतों में अधिक गिरावट से उत्पन्न कम आर्थिक सहायता दरों के संयुक्त प्रभाव के कारण थी। लेखापरीक्षा जांचने दर्शाया कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण कम हुई आर्थिक सहायता दर के परिणामस्वरूप ₹ 21,552.28 करोड़ का कम आर्थिक सहायता भुगतान हुआ जबकि उपभोक्ताओं द्वारा सिलेंडरों की कम हुई कुल खरीद के कारण इस पर प्रभाव ₹ 1,763.93 करोड़ तक था। इसलिए यह प्रमाणित होता है कि आर्थिक सहायता बचतों के फलस्वरूप अधिक महत्वपूर्ण कारक 2015-16 में कम आर्थिक सहायता दर है।

वाणिज्यिक - लोक ऋण प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 का प्रतिवेदन संख्या 16)

- 2010-11 से 2014-15 तक की समयावधि के दौरान, प्रत्येक वर्ष कम से कम 40 सप्ताहों में, साप्ताहिक प्रक्षेपित नकदी शेष तथा वास्तविक नकदी शेष में ₹ 10,000 करोड़ से ज्यादा का अन्तर था। कई मामलों में, साप्ताहिक नकदी शेष का प्रक्षेपण ऋणात्मक था।
- सरकार की अस्थायी नकद प्रवाह भिन्नताओं को दूर करने के लिए 2009 में नकद प्रबंधन बिल प्रस्तावित किए गए। यद्यपि, अगस्त 2013 से सितम्बर 2013 तक के माह के दौरान, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ₹ 96,000 करोड़ के नकद प्रबंधन बिल जारी किए गये।
- बाह्य ऋणों के अनाहरित शेष पर प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान बाद की तिथियों में आहरित किये जाने वाले पुनर्निर्धारित मूलधन पर किया गया। 2009-10 से 2014-15 तक की समयावधि के दौरान, ₹ 602.66 करोड़ के प्रतिबद्धता प्रभारों का भुगतान किया गया।
- भारत सरकार द्वारा प्रकाशित स्टेटस पेपर एवं भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी जैसे विभिन्न दस्तावेजों में प्रस्तुत किये गए आंतरिक ऋण के आंकड़े भारत सरकार के वित्त लेखाओं में प्रस्तुत आँकड़ों से मेल नहीं खाते।

वाणिज्यिक - पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 का प्रतिवेदन संख्या 30)

- XI तथा XII योजना अवधि (2008-17) में योजना हेतु ₹ 28,424 करोड़ की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का प्रावधान किया गया था। इसके प्रति वास्तव में 2008-09 से 2014-15 के दौरान ₹ 12,415.04 करोड़ का



बजटीय प्रावधान किया गया था जो कि परिकल्पित धनराशि का मात्र 43.68 प्रतिशत था। आर-एपीडीआरपी योजना को दिसम्बर 2014 से इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) में समाविष्ट किया गया है तथा 2014-15 के बाद आर-एपीडीआरपी हेतु अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया गया है। 2008-15 के दौरान आर-एपीडीआरपी योजना हेतु जारी की गई वास्तविक धनराशि मात्र ₹ 8175.45 करोड़ थी जोकि योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति को सूचित करती है।

- योजना का कार्यान्वयन करने वाली कई राज्य प्रयोज्यताओं द्वारा समकक्ष निधिकरण का निर्धारित अवधि में प्रबंध नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने वित्तीय संस्थानों से प्रयोज्यताओं द्वारा दिए गए समकक्ष निधिकरण के ब्यौरे तैयार नहीं किए।
- कुछ राज्यों में आर-एपीडीआरपी निधियों के विपथन के उदाहरण तथा योजनाओं की ओवरलेपिंग पाई गई।
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने उपयोग प्रमाणपत्रों के दो सेट विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत किए; एक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रयोज्यताओं को भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल धनराशि को इंगित करता है तथा दूसरा प्रयोज्यताओं द्वारा आवधिक रूप से प्राप्त धनराशि की उपयोगिता को इंगित करता है। उपयोग प्रमाण पत्रों के दोनों सेटों में काफी विसंगति थी; पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए उपयोग प्रमाणपत्रों ने ₹ 8,606.62 करोड़ का वितरण इंगित किया जबकि मार्च 2016 तक प्रयोज्यताओं से प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्र ने मात्र ₹ 4,155.88 करोड़ (कुल जारी की गई धनराशि का 49.29 प्रतिशत) का उपयोग दर्शाया।
- यह देखा गया कि चयनित नमूने की 198 भाग ए, 317 भाग बी तथा 47 एससीएडीए में केवल पहली किस्त ही जारी की गई थी जिससे परियोजनाओं के पूर्ण होने पर संदेह होता है।
- ऋण से अनुदान में रूपांतरण के प्रावधान का किसी भी प्रयोज्यता द्वारा उपयोग नहीं किया गया क्योंकि किसी भी राज्य में कोई भी भाग ए तथा भाग बी परियोजना पूर्ण नहीं हुई थी।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रारम्भिक गतिविधियों को अंतिम रूप देने में 13 माह तक की देरी हुई।



- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को मॉडल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप नहीं बनाया गया जिसके कारण परियोजना के कार्यक्षेत्र में कार्य की अग्राह्य वस्तुएँ सम्मिलित हो गईं तथा कार्य की आवश्यक वस्तुएँ छूट गयीं। परियोजना बनाते समय किये गये पूर्वानुमानों को मूल्यांकन के दौरान स्वतन्त्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया। संचालन समिति के अनुमोदन के बिना परियोजनाओं की लागत में संशोधन के मामले पाए गए। कुछ मामलों में, निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में राज्य वितरण सुधार समितियों की अनुशंसाओं के बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों का मूल्यांकन व अनुमोदन संचालन समिति द्वारा किया गया था।
- राज्यों में कार्यान्वित होने वाले कार्यों में पुनर्निविदा के कारण तथा एक जैसी वस्तुओं के लिए अलग-अलग दरों पर ठेकेदारों को कार्य प्रदान करने के कारण अतिरिक्त व्यय देखा गया।
- गुणवत्ता नियंत्रकों में विनिर्देशनों से अलग सामग्री की प्राप्ति, वस्तुओं/प्रणालियों की विफलता जैसी कमियां देखी गईं जिसके कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी हुई तथा उपयुक्त गारंटियाँ प्राप्त नहीं हुईं।
- प्रयोज्यताओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किए गए प्रयास अपर्याप्त थे तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया।
- लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य प्रयोज्यताओं ने भाग ए की कई परियोजनाओं को 'गो लाइव' घोषित किया हुआ था जबकि विद्युत मंत्रालय के पास उपलब्ध परियोजना विवरणों के अनुसार कोई भी परियोजना तृतीय पक्ष स्वतन्त्र मूल्यांकन एजेंसी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जो परियोजना पूर्ण होने से पहले अपेक्षित था। जबकि, 80 प्रतिशत नगरों जहाँ भाग ए परियोजनाएँ कार्यान्वित की गयी थी, को 'गो लाइव' घोषित किया गया था, परन्तु स्वीकृत लागत का मात्र 50 प्रतिशत प्रयोज्यताओं को जारी किया गया। कई ऐसी परियोजनाओं को 'गो लाइव' घोषित किया गया था जिनमें अनुमोदित परियोजना लागत की 30 प्रतिशत से कम निधि जारी की गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि 'गो लाइव' की घोषणा स्वयं राज्यों द्वारा बिना विद्युत मंत्रालय के सत्यापन अथवा अनुमोदन के की गई थी।



- लेखापरीक्षा में जांच किए गए नमूना मामलों में, कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ या तो बेसलाइन के सापेक्ष बढ़ गयीं थीं अथवा 'गो लाइव' घोषित किए गए 100 से अधिक नगरों में निकाली नहीं जा सकी। यह देखा गया कि परियोजनाएँ प्रारम्भ करने से पहले कई राज्यों में बेसलाइन आँकड़े ही संग्रहीत नहीं किये गये थे।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा संसद को प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों में कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में भिन्नताएँ देखी गयीं। हालाँकि तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों की गणना हेतु कार्य पद्धति निर्धारित थी परन्तु एक समान अपनाई नहीं गई थी जिससे तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के आकलनों में भिन्नता आई।
- ऊर्जा का लेखा-जोखा व इसकी लेखापरीक्षा 12 राज्यों में नहीं की जा रही थी जबकि अन्य 13 राज्यों में लेखाकरण व लेखापरीक्षा के आँकड़े हस्त रूप से संग्रहीत किये जा रहे थे जिससे उनकी विश्वसनीयता तथा सटीकता का मुद्दा उठता है। ऊर्जा लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा न कराने का मुख्य कारण भाग ए परियोजनाओं का पूरा न होना तथा आँकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न मॉड्यूलों को एकीकृत न करना था।
- कई राज्यों में फीडर्स, वितरण ट्रांसफॉर्मरों तथा उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत मीटरिंग नहीं की गई।

वाणिज्यिक - दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में भूमि प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 का प्रतिवेदन संख्या 31)

- क्षेत्र 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना को दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) - 2021 की अधिसूचना के आठ वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसके अलावा, एमपीडी की मॉनीटरिंग के लिए स्थापित मॉनीटरिंग यूनिट कार्यात्मक नहीं थी तथा इसकी आवधिक समीक्षा नहीं की जा रही थी। परिणामस्वरूप, एमपीडी - 2021 के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिशोधन/परिवर्तन योजना में सम्मिलित नहीं किए जा सके।
- डीडीए के पास, अधिग्रहीत और प्रयुक्त भूमि के साथ-साथ रिक्त भूमि के संबंध में विश्वसनीय डाटाबेस नहीं था।



- डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच अधिग्रहण कार्यवाही, मुआवजे/परिवर्धित मुआवजे की राशि जारी करने, दिल्ली सरकार से भूमि की प्राप्ति, दिल्ली सरकार द्वारा लेखाओं के समाधान तथा निधियों के उपयुक्त उपयोग के मामलों में सामन्जस्य की कमी थी, जिसका परिणाम यह निकला:-
 - डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच मुआवजे की राशि का समाधान नहीं हुआ।
 - दिल्ली सरकार से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
 - पूर्ण भुगतान जारी करने के बाद भी भूमि का आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ
 - परिवर्धित मुआवजे का दोहरा भुगतान।
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में देरी हुई थी।
 - भूमि निस्तारण गतिविधियों को प्राथमिकता देने, सूचीबद्ध करने तथा योजना बनाने के लिए न तो कोई प्रलेखित नीति थी और न ही समयसारणी थी। इसके अलावा, निस्तारण के लिए उपलब्ध भूखंडों की संख्या का कोई केन्द्रीकृत अभिलेख/डाटा बेस नहीं था।
 - डीडीए तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक तथा अवसरंचनात्मक विकास निगम के बीच विवाद के कारण पिछले 16 वर्षों से औद्योगिक भूमि का निस्तारण नहीं किया जा सका।
 - भूमि के मूल्यांकन और आरक्षित मूल्य के निर्धारण से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए, इसके अभाव में लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं दे सका कि इस संबंध में कोई दिशानिर्देश विद्यमान है तथा इसका मूल्यांकन उचित रूप से और आवश्यक सम्यक तत्परता के साथ किया गया है।
 - डीडीए नजूल भूमि का आवंटन या तो निविदा/नीलामी के माध्यम से या संस्थागत आवंटन समिति (आईएसी) द्वारा विचार के बाद आवंटन की प्रक्रिया द्वारा करता है। आवंटन की प्रक्रिया के लिए, आवेदन की तिथि से तीन महीने के अंदर आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने देखा:
 - संस्थागत भूमि के आवंटन के मामलों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आईएसी बैठक नियमित रूप से नहीं की गई थी।



- आईएसी को प्रस्तुत 36 मामलों में से 13 में नजूल नियमों की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हुई थी तथा इनमें से चार मामलों में आवंटन किए गए थे।
- एक सोसाइटी चैरीटेबल उद्देश्य के लिए चल रही थी या नहीं यह निर्णय लेने के लिए डीडीए के पास स्पष्ट दिशानिर्देश या नीति नहीं थी। अलग-अलग मामलों में अलग-अलग मानक एवं मानदण्डों का प्रयोग किया गया था।
- सामाजिक-सांस्कृतिक वर्ग के अंतर्गत रियायती आवंटन के सभी पाँच मामलों में, आवेदकों ने नजूल नियमों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया।
- धार्मिक सोसाइटियों को भूमि के आवंटन के लिए बनाई गई आवश्यकताओं/मानदण्डों से संबंधित मामलों की प्रक्रिया में कमियाँ पाई गईं।
- स्कूल, अस्पताल, पुलिस थाना, बस डिपो आदि के निर्माण के लिए संबंधित विभाग के अनुरोध के अनुसार डीडीए सरकारी विभाग को भूमि आवंटित करता है। सरकारी विभागों को भूमि के आवंटन के नमूना जाँच मामलों में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ पाई:
 - मामलों की कार्यवाही में पांच महीने से 93 महीने के बीच देरी हुई
 - भूखण्डों को सौंपने में विफलता
 - दिल्ली के मास्टर प्लान में निर्धारित मानदंडों से अधिक/कम में भूमि का आवंटन
- डीडीए के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण ने भूमि का उपयोग न होना या अवैध रूप से किये जा रहे उपयोग तथा आवंटी द्वारा स्थल पर निर्माण न किये जाने के कारण भूमि के खाली पड़े रहने के दृष्टांतों को प्रकट किया।
- विशिष्ट समय अन्तराल के बाद 90 वर्षों के चिरस्थायी पट्टे के नवीनीकरण की आवश्यकता थी। 90 वर्ष के अन्त में भूमि डीडीए को वापस होगी या पट्टेदार द्वारा फ्रीहोल्ड की जा सकेगी। हालांकि डीडीए में पट्टों के नवीनीकरण का मानीटर करने एवं उस पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र



नहीं था क्योंकि कुछ पट्टे दूसरे नवीनीकरण तक ही नवीनीकृत हुए थे जबकि कुछ बिल्कुल भी नवीनीकृत नहीं हुए थे। नमूना जांच के किसी भी मामले में तृतीय नवीनीकरण नहीं किया गया था।

- आंतरिक लेखापरीक्षा विभिन्न इकाईयों की आवश्यक आवधिकता पर लेखापरीक्षा पूर्ण करने में सक्षम नहीं थी। लंबित आन्तरिक लेखापरीक्षा पैराग्राफों का निपटान भी धीमा था।
- डीडीए अपनी नजूल-II भूमि के संबंध में आय और व्यय के लेखाओं एवं तुलनपत्र तैयार नहीं कर रहा था।
- भूमि अधिग्रहण पर किये गये व्यय के लिए विभिन्न शाखाओं में सूचित की गई राशि में अंतर था।

वाणिज्यिक - एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों के ईंधन प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 का प्रतिवेदन संख्या 35)

- विद्युत स्टेशनों ने 2010-11 से 2015-16 तक की समयावधि के दौरान सीआईएल द्वारा अधिसूचित दरों की तुलना में अधिक लागत पर कोयले की खरीद पर अतिरिक्त व्यय किया। स्टेशनों ने अधिसूचित दरों पर पहले ही संविदात्मक कोयला मात्राओं के लिए निष्पादन प्रोत्साहनों का भुगतान किया। मानी गई आवंटित मात्रा पर भी प्रोत्साहन का भुगतान करना पड़ा (आयातित कोयला स्टेशन को वास्तव में आवंटित नहीं हुआ)। कोयले की कमी को पूरा करने के लिए स्टेशनों को एमओयू व्यवस्थाओं के माध्यम से तथा ई-नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद करनी पड़ी जिसके लिए उन्हें एक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ा। इस अवधि के दौरान विद्युत स्टेशनों द्वारा कोयले की खरीद पर ₹ 6869.95 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।
- एनटीपीसी ने कोयला आयात करने के लिए कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की। विस्तृत नीति के अभाव में, मुख्य निर्णयों हेतु विभिन्न दृष्टिकोण देखे गए। भागीदारी स्तर में वृद्धि करने के लिए, यद्यपि विभाजन प्रक्रिया शुरू की गई थी, तथापि विभाजन अनुपात को बाद में संशोधित कर दिया गया था जिससे एल 1 बोलीकर्ता को अधिक मात्रा प्रदान की गई।
- 2012-13 के दौरान, छः महीने से अधिक से सात स्टेशनों पर भंडारण स्तर की स्थिति अति चिंताजनक थी (चार दिनों से कम आवश्यक स्टॉक) तथा



2013-14 के दौरान चार स्टेशनों पर भी ऐसी ही स्थिति थी। 2014-15 में कुछ सुधार हुये थे परंतु तीन स्टेशनों पर भंडारण स्तर की अति चिंताजनक स्थिति बताई गई। इसके अतिरिक्त 2012-13 से 2014-15 के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर स्वदेशी कोयला भंडारण **शून्य स्तर** तक गिर गया था। इकाईयों को प्रचालन से बाहर करने अथवा कोयले की कमी के चलते आंशिक लोड पर स्टेशन परिचालित किए जाने के कारण 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा में कवर किए गए 13 स्टेशनों में से 11 में ₹ 4,299.80 करोड़ की संभावित राजस्व हानि के साथ बिजली की 19546.26 मिलीयन यूनिट की उत्पादन हानि सूचित की गई।

- स्टेशनों द्वारा जारी 'स्थानीय प्रबंधन निर्देशों' के अनुसार, आयातित कोयले को यार्ड में पहचाने गये स्थान पर अलग से रखा जाना था। लेखापरीक्षा में भौतिक सत्यापन रिपोर्टों (अप्रैल 2010 से मार्च 2016) की समीक्षा की गई और यह देखा गया कि स्वदेशी तथा आयातित कोयला एक ही यार्ड में रखा गया था। चिंहित क्षमता के अतिरेक में आयातित कोयले की उपलब्धता 6 तथा 158 प्रतिशत के बीच थी जिससे प्रतीत होता है कि वास्तविक सम्मिश्रण से पहले ही स्वदेशी तथा आयातित कोयला यार्ड में आपस में साथ-साथ रखा जा रहा था। आयातित कोयले की लागत तथा गुणवत्ता स्वदेशी कोयले की तुलना में काफी अधिक थी तथा ऐसे अनुपेक्षित सम्मिश्रण से बचना चाहिए था।
- यद्यपि स्टेशनों के विशिष्ट कोयला उपभोग का वार्षिक औसत विद्युत की 1 कि.ग्रा. प्रति यूनिट से कम रहा, परन्तु लेखापरीक्षा ने इसमें महत्वपूर्ण मासिक अन्तर देखे। कुछ स्टेशनों, मोडा तथा बदरपुर में अधिकतम एससीसी काफी अधिक होनी पाई गई थी।
- इस पर ध्यान दिए बिना कि क्या आयातित कोयले को कम या अधिक मात्रा में मिलाया गया था, ऊर्जा की एक यूनिट के उत्पादन में प्रयुक्त कोयला मात्रा समान रही। इससे संदेह उठता है कि आयातित कोयला वास्तव में घरेलू कोयले से बेहतर था जब भले ही एनटीपीसी ने उसकी अधिप्राप्ति के लिए उच्चतर लागत का व्यय किया था।



वाणिज्यिक - एयर इंडिया लिमिटेड की टर्न अराउंड योजना एवं वित्तीय पुनर्गठन योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 का प्रतिवेदन संख्या 40)

- एआईएल ने पांच बी-777-200 एलआर विमान बेचे तथा बिक्री आय का ₹ 1804.96 करोड़ की बकाया ऋण राशि को चुकाने के लिए उपयोग किया। हालांकि विमान ऋणों (2014-15 के दौरान) के पुनः भुगतान के प्रति इक्विटी प्रतिबद्धता को पांच विमान हेतु लिए गए विमान ऋण को समय से पूर्व चुकाने के कारण समायोजित नहीं किया गया था।
- एआईएल परिसम्पत्तियों के अनुचित चयन के कारण सम्पत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए ₹ 500 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हुआ (कम्पनी द्वारा इसके अपने उपयोग के लिए उपयोग की गई स्वामित्व/स्वामित्व से जुड़ी शर्तों में कमियां)। ई-नीलामी के लिए केवल छः परिसम्पत्तियों को ही रखा गया था जिसमें से केवल दो परिसम्पत्तियां बेची गई थीं।
- एआईएल उड़ान के घंटों के अनुसार उपलब्ध फ्लीट (चौड़ी बॉडी के साथ-साथ नैरो बॉडी) के उपयोग हेतु टर्नअराउंड योजना में लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। कम उपयोग भी दीर्घ अवधि हेतु विमान की ग्राउंडिंग के कारण था।
- बी-787-800 विमान का भार दस टन के निर्धारित भार से अधिक होने के परिणामस्वरूप अतिरिक्त ईंधन खपत हुई। एआईएल ने अतिरिक्त ईंधन खपत पर यूएसडी 400 मिलियन तक संभावित हानि की गणना की। क्रय अनुबंध में मुआवजा लागू करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे तथा इसलिए कम्पनी को बातचीत का सहारा लेना पड़ा। आपूर्तिकर्ता, मै. बोईंग ने क्षतिपूर्ति पर अन्तिम सीमा के लिए बातचीत करने से मना किया परन्तु बेहतर विश्वास पर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। क्रय करार के तहत ईंधन-खपत गारंटी सहित कुल मुआवजा यूएसडी 71 मिलियन निकाला गया।
- एआईएल ने 2012-13 में अस्थिर लागत पर अधिशेष प्राप्त किया। अस्थिर लागत पर यह अधिशेष 2012-13 में ₹ 686 करोड़ से 2015-16 में ₹ 4103 करोड़ तक बढ़ा। हालांकि, एआईएल कुल लागत को पूरा करने के लिए अधिशेष के सृजन में विफल रहा, कुल लागत के ऊपर घाटा 2015-16



में ₹ 5514 करोड़ रहा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में परिचालन सम्पूर्ण घाटे का प्रमुख अंशदाता था।

- लक्ष्य जिसे एआईएल को इक्विटी उगाही के लिए प्राप्त करना था, में एआईएल द्वारा कर से पूर्व लाभ की प्राप्ति तक उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन के भुगतान को बन्द करना सम्मिलित था। एआईएल द्वारा कर पूर्व लाभ सृजित करने तक पीएलआई का भुगतान रोकने के लिए सीसीईए के निर्देशों के बावजूद, एआईएल ने तदर्थ भुगतान के रूप में कर्मचारियों को पीएलआई का 75 प्रतिशत होते हुए भी ₹ 734 करोड़ का भुगतान किया।
- एआईएल समय पर आईटी एप्लीकेशन, लाभ प्रबंधन का इष्टतम उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट डाटा तथा कुशल श्रमबल की व्यवस्था करने में विफल रहा। एआईएल एक अर्थपूर्ण आउटपुट के लिए आवश्यक लाभ प्रबंधन प्रणाली की जांच करने में विफल रहा। इसने इनपुट डाटा की खरीद पर किए गए व्यय को निष्फल कर दिया।
- राष्ट्रमंडल खेल अक्टूबर 2010 से लागू होने वाली केन्द्रीय योजना तथा नियंत्रण प्रणाली (सीपीसीएस) के प्रमुख घटक कर्मोदल प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) को ठेकागत समाधान प्रदाता द्वारा अभी लागू किया जाना था जिसने एक अन्तरिम उपाय के रूप में एक वैकल्पिक खराब समाधान अपनाने के लिए एआईएल को विवश किया। विलम्ब एआईएल द्वारा समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव तथा अनुबंध में विलम्ब हेतु शास्ति खण्ड न होने की वजह से हुआ।

रेलवे - अनुपालन लेखापरीक्षा (2015 का प्रतिवेदन संख्या 14)

- प्रत्येक ₹ 2.50 करोड़ अनुमानित लागत वाले 136 यात्री सुविधा कार्यों की समीक्षा से 53 ठेको में ₹ 79.05 करोड़ तक लागत आधिक्य तथा 132 ठेको में 192 माह के समय आधिक्य का पता चला।
- रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 27 अनुबंध करती है कि रेलवे के किसी भी खण्ड पर नया रॉलिंग स्टॉक लगाने के लिए, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रमुख रूप से सीआरएस से स्वीकृति के अभाव में 150 कोचो को सर्विस में सम्मिलित नहीं किया गया तथा निष्क्रिय रहे। इसके अलावा 168 कोचो को विलम्ब से सेवा में लगाया गया तथा 35 को सीआरएस से स्वीकृति के



बिना सम्मिलित किया गया। केवल 20 कोचो को प्राप्त के 30 दिनों के अन्दर सम्मिलित किया गया। कोचो का प्रयोग न होने/विलम्ब से उपयोग होने के परिणामस्वरूप इन उत्पादक परिसम्पत्तियों पर निवेशित ₹ 736.60 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा ₹ 80.61 करोड़ की अर्जन क्षमता की हानि भी हुई।

- श्रमबल की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए मैकेनिकल वर्कशॉप में या तो वर्कशॉप की संस्थापित क्षमता से इसे सम्बंधित करके या संस्थापित क्षमता के अनुसार कार्य मात्रा के लिए आवश्यक समय से इसे जोड़ने के लिए कोई एकसमान या वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं थी। उपलब्ध क्षमता का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया गया। 42 वर्कशॉप में से 28 में, वर्ष 2014-15 के दौरान उपलब्ध कुल 1,202.29 लाख श्रम घंटों में से केवल 76 प्रतिशत श्रमबल (910.42 लाख श्रम घंटे) का उपयोग इसके प्रमुख/महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए किया गया।
- 16,125 मानवरहित लेवल क्रॉसिंग (यूएमएलसी) में से 11,630 जो 2010 में मौजूद थे, 1 अप्रैल 2015 तक हटाने के लिए योजनाबद्ध थे। केवल 5,735 यूएमएलसी को पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हटाया गया तथा 10,388 यूएमएलसी 1 अप्रैल 2015 तक हटाए जाने के लिए शेष थे।
- ठेके के क्रियान्वयन में योजना तथा समन्वयन के अभाव और ठेको में पूर्णता तिथियों के अवास्तविक निर्धारण के परिणामस्वरूप कम मूल्य भिन्नता खण्ड का भुगतान करके ₹ 88.82 करोड़ के अतिरिक्त व्यय सहित समीक्षा किए गए 574 पूर्ण ठेको में से 532 ठेको में समय विस्तारणों की स्वीकृति हुई।
- द.पू.रे प्रशासन द्वारा जुलाई 2015 तक हल्दिया में डीएमयू कारखाने की स्थापना पर ₹ 116.52 करोड़ की राशि व्यय की गई है। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि जून 2013 में कारखाने का निर्माण पूरा हो गया, था डीएमयू कारखाने में स्थानीय व्यवधानों के कारण उत्पादन आरम्भ नहीं किया जा सका।
- क्षेत्रीय रेलवे तथा डिविजनो में मोटे तौर पर निर्मित आपदा प्रबंधन योजना व्यापक नहीं थी इसमें एकरूपता का अभाव था तथा इसने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं किया।



- नियमित आधार पर सुरक्षा जांच नहीं की गई थी। समान रूप से कवर न किए गए सभी डिविजनो के पास जांच का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। पिछली सुरक्षा लेखापरीक्षा (रेलवे द्वारा आयोजित) के दौरान देखी गई कई कमियां उपेक्षित रही।
- सेल्फ प्रोपेल्ड दुर्घटना राहत रेलगाडी (स्पार्ट)/दुर्घटना राहत रेलगाड़ियों (एआरटी)/दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन (एआरएमवी) तथा इसमें प्रदत्त उपकरण के प्रावधान में सभी जोनल रेलवे में कमियां देखी गईं। एआरटी/एआरएमवी यार्ड में स्थित थे जिसमें प्रवेश सुगम नहीं था।
- 4 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी रेलवे द्वारा चिन्हित 202 असुरक्षित स्टेशनों में एकीकृत सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह लागू नहीं किया गया था। असुरक्षित तथा भीड़ वाले स्टेशनों पर पर्यवेक्षण तंत्र अपर्याप्त था।
- गोल्डन आवर के दौरान आपदा से उबरने तथा राहत के लिए प्रावधान पर्याप्त नहीं था क्योंकि दुर्घटना राहत रेल कभी भी गोल्डन आवर में दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुँची।
- रेलवे में अधिकतर केन्द्रीय तथा डिविजनल अस्पतालों ने आग, विस्फोट, बाढ़ अथवा भूकम्प जैसी स्थिति से निपटने के लिए अपनी आपदा प्रबन्धन योजनाएँ तैयार नहीं की थीं।
- फ्रंटलाइन स्टाफ को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की प्रगति की स्थिति से यह पता चला कि भारतीय रेल आपदा के दौरान आपातकाल से निपटने के लिए स्टाफ में कुशलता विकसित करने के प्रति गंभीर नहीं थी।

रेल - वित्तीय लेखापरीक्षा (2016 का प्रतिवेदन संख्या 53)

- लाभांश देयता पूरी करने के पश्चात् निवल अधिशेष 2013-14 में ₹ 3,740.40 करोड़ की तुलना में 2014-15 में ₹ 7,664.94 करोड़ तक बढ़ा। यह बजट आकलन से 26.41 प्रतिशत तक अधिक था। निवल अधिशेष में वृद्धि निवल यातायात प्राप्ति (विविध व्ययों में विविध प्राप्तियों की अधिकता) में 13.19 प्रतिशत (₹ 1598.66 करोड़) तक वृद्धि (कुल कार्यचालन व्यय (टीडब्ल्यूई) में जीटीआर की अधिकता), निवल विविध प्राप्ति (विविध व्ययों में विविध प्राप्तियों की अधिकता) में 1.33 प्रतिशत (₹



41.09 करोड़) को बजट आकलन पर 0.42 प्रतिशत (₹ 38.55 करोड़) तक अधिक लाभांश का भुगतान करके संतुलित करने के कारण थी।

- 2010-11 में रेलवे निधि का शेष केवल ₹ 342.51 करोड़ था। रेलवे निधि में उपलब्ध शेष 2013-14 में ₹ 6,025.28 करोड़ से वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर ₹ 6,872.73 करोड़ तक बढ़ा। निधि अधिशेषों में सुधार 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान पूँजीगत निधि से भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएसी) को ₹ 12,629.49 करोड़ के पट्टा प्रभारों के पूँजीगत अवयव का भुगतान न करने के कारण था। हालांकि, आईआर ने आईआरएफसी को 2014-15 से पूँजीगत निधि से पट्टा प्रभारों के पूँजीगत अवयव का भुगतान शुरू किया और ₹ 5,449.24 करोड़ का भुगतान किया तथा 2014-15 की समाप्ति पर पूँजीगत निधि ₹ 1,388.90 करोड़ पर बंद हुई। मूल्यहास आरक्षित निधि (डीआरएफ) और पेंशन निधि 2014-15 में क्रमशः ₹ 1,777.12 करोड़ और ₹ 1,360.36 करोड़ के नगण्य अधिशेष के साथ बंद हुई। इसके अतिरिक्त, रेलवे प्रणाली में ₹ 47,678.65 करोड़ की राशि की पुरानी परिसम्पत्तियों का अत्यधिक बैकलॉग होने, जिसे रेलगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन हेतु प्रतिस्थापित किया जाना है, के बावजूद आवश्यकतानुसार डीआरएफ में योगदान नहीं किया गया था।
- भारतीय रेल मौजूदा परिसम्पत्तियों के पुनःस्थापन तथा नवीनीकरण के लिए डीआरएफ का अनुरक्षण करती है। डीआरएफ के लिए अंशदान परिसम्पत्तियों की पिछली लागत, अपेक्षित उपयोगी काल तथा शेष काल के आधार पर बनाया गया था परन्तु यह उस राशि पर निर्भर था जो कार्यचालन व्यय वहन कर सकती है। परिणामस्वरूप पुरानी परिसम्पत्तियों पर ₹ 47,678.65 करोड़ की अधिक राशि का अवरोधन हुआ (2014-15 तक) जिसमें से भारतीय रेल ने 2014-15 में परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन/नवीनीकरण पर ₹ 7,286.93 करोड़ व्यय किए थे। रेलवे प्रणाली में शेष कालातीत परिसम्पत्तियों को रेलगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन के लिए प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता थी। डीआरएफ ₹ 1,777.12 करोड़ के शेष के साथ समाप्त हुआ।
- 2013-14 के दौरान, यात्री तथा अन्य कोचिंग सेवाओं पर ₹ 31,727.44 करोड़ की हानि हुई थी। माल भाड़ा सेवाओं से ₹ 32,641.69 करोड़ का लाभ अर्जित किया गया था। भारतीय रेल परिचालनात्मक लाभ में कमी को



दर्शाते हुए पिछले वर्ष में 21.66 प्रतिशत की तुलना में 2013-14 में यात्री सेवाओं पर हानि में आर्थिक सहायता देने के पश्चात् माल भाड़ा आय पर 2.80 प्रतिशत लाभ बनाए रखने में सक्षम थी।

- आईआर ने दो राजस्व अनुदानों, पूंजी अनुदान का एक भाग और तीन राजस्व विनियोग में संसद द्वारा दिए गए प्राधिकार से ₹ 490.37 करोड़ अधिक खर्च किया।
- पूंजीगत अनुदान के दो भागों और नौ राजस्व अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत थी।

रेलवे - भारतीय रेल में उपनगरीय रेलगाड़ी सेवाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 का प्रतिवेदन सं. 14)

- यातायात लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि के संबंध में, पू.रे, द.पू.रे, द.रे और मेट्रो रेल कोलकाता ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, 2014-15 के दौरान भारतीय रेल के उपनगरीय खण्ड में यात्रियों की संख्या में कुल मिलाकर वृद्धि भी पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में नकारात्मक थी। 2014-15 के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले वर्ष से एक प्रतिशत कम थी।
- जनवरी 2010 से दिसम्बर 2014 की अवधि के दौरान उपनगरीय खण्डों में 33445 मृत्यु में से, 19868 मृत्यु (59 प्रतिशत) लाइन क्रॉस करने/अतिक्रमण के कारण हुई थीं। इसके अलावा 17638 (52.74 प्रतिशत) मृत्यु के मामले मुम्बई उपनगरीय खण्ड में हुए थे। कुल 4885 मृत्यु के मामले (15 प्रतिशत) चलती रेल से गिरने के कारण हुए थे जिसमें से 4002 मृत्यु (82 प्रतिशत) केवल मुम्बई उपनगरीय खण्ड में हुई थी।
- सभी क्षेत्रीय रेलवे में उपनगरीय खण्ड पर ट्रैक संबंधित कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति न होने से पता चलता है कि रेलवे चल रहे कार्यों को मानीटर नहीं कर पा रहा था जिसके कारण ट्रैक अनुरक्षण में कमियां आईं जिससे उपनगरीय सेवाओं का समय पालन और सुरक्षित परिचालन प्रभावित हुआ। 2010-15 के दौरान 204 चयनित कार्यों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 106 कार्यों के संबंध में एक महीने और 69 महीने के बीच अधिक समय लगा और यातायात सुविधा कार्य, सड़क सुरक्षा कार्य-



लेवल क्रॉसिंग इत्यादि जैसे 51 कार्यों के संबंध में ₹ 56.21 करोड़ की अधिक लागत लगी।

- भारतीय रेल, विजन 2020 दस्तावेजों में परिकल्पित लेवल क्रॉसिंग की समाप्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। इसके अलावा लेवल क्रॉसिंग की समाप्ति के लिए पुल कार्य की मन्द प्रगति के अलावा लेवल क्रॉसिंग पर दुर्घटनाएं न्यूनतम करने में भारतीय रेल द्वारा चिन्ता की कमी का भी पता चलता है।

III ख राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत किए गए सीएजी के प्रतिवेदन

बिहार (2016 का प्रतिवेदन संख्या 2) - राज्य वित्त

- वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 12507.16 करोड़ था। वर्तमान वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटा ₹ 12061 करोड़ तक बढ़ गया था। यह जीएसडीपी के 2.92 प्रतिशत, एफएफसी द्वारा परामर्शित प्रतिमान (तीन प्रतिशत) के अन्दर था।
- हालांकि, राज्य की राजस्व प्राप्तियां (₹ 96123.10 करोड़) पिछले वर्ष से 2015-16 के दौरान 22.58 प्रतिशत तक बढ़ी, तथापि यह अनुमानित बजट से ₹ 7066.00 करोड़ तक कम थीं।
- 31 मार्च 2016 तक, राज्य सरकार ने सरकारी कम्पनियों, सहायक संस्थानों तथा स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंक तथा अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा भागीदारी में ₹ 9940.24 करोड़ निवेश किए जिसके प्रति 2015-16 के दौरान रिटर्न केवल ₹ 14.84 करोड़ था।
- प्रत्येक वर्ष, सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न संस्थानों/संगठनों को काफी राशि दी गई थी परन्तु उसकी वसूली नगण्य थी जिसके कारण मार्च 2016 की समाप्ति तक ₹ 20857.73 करोड़ के बकाया के पुनः भुगतान का अधिक शेष हुआ।
- राज्य की राजकोषीय देयता 2014-15 में ₹ 99056 करोड़ से 2015-16 में ₹ 116578 करोड़ तक बढ़ी थी। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष ₹ 6660 करोड़ तक बढ़ा जबकि राजकोषीय घाटा 2014-15 में ₹ 11179 करोड़ से 2015-16 में ₹ 12061 करोड़ तक बढ़ा। यद्यपि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम में वर्णित तथा एफएफसी द्वारा परामर्शित



परिनियोजन के अनुसार जीएसडीपी (2.92 प्रतिशत) के प्रति राजकोषीय घाटे का अनुपात तीन प्रतिशत के अन्दर था।

- 2015-16 के दौरान अनुचित बजट आकलन दर्शाते हुए ₹ 148312.57 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के प्रति ₹ 35013.80 करोड़ (23.61 प्रतिशत) की अधिक बचत थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान 10 अनुभागों में ₹ 50 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचते भी देखी गईं। यह भी देखा गया कि 38 अनुदानों/विनियोगों (कुल ₹ 5133.94 करोड़) के अन्तर्गत 182 योजनाओं में निधियों का सौ प्रतिशत समर्पण था। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के तहत अधिक बचते राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कुल बचत (₹ 35013.80 करोड़) में से केवल ₹ 24455.96 करोड़ (69.85 प्रतिशत) को वापस किया गया। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2016) वापस की गई राशि (₹ 15913.45 करोड़) कुल वापस की गई राशि के 65.07 प्रतिशत थी।
- पिछले वर्ष के दौरान प्रावधान की तुलना में ₹ 119.01 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जिसका भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पिछले वर्षों से संबंधित ₹ 1065.07 करोड़ को अभी नियमित करना था।
- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों (जीआईए) के प्रति आहरित ₹ 29,399.87 करोड़ के उपयोग प्रमाण पत्र 31 मार्च 2016 तक लंबित थे। विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक उपयोग प्रमाणपत्रों के लिए बकाया राशि ने विभागीय अधिकारियों के अभीष्ट प्रयोजन हेतु अनुदानों के समय से उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुपालन की विफलता को दर्शाया।
- आठ विभागों/संगठनों द्वारा 31 मार्च 2016 तक आहरित ₹ 191.23 करोड़ के अस्थाई अग्रिम तथा अग्रदाय का समायोजन होना अभी शेष था।
- मार्च 2016 तक व्यक्तिगत जमा खातों में राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों के ₹ 4,126.37 करोड़ अव्ययित थे। व्यक्तिगत जमा खातों के आहरण एवं वितरण पदाधिकारियों ने अव्ययित शेष को समेकित निधि में वापिस नहीं किया था।



बिहार (2017 का प्रतिवेदन संख्या 1) - राजस्व क्षेत्र

‘स्टैम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण तथा संग्रहण’ पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रमुख कमियां दर्शाईं:

- नौ जिला उप-रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार ने 99 मामलों में ₹ 7.57 करोड़ के स्टैम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अनियमित छूट स्वीकृत की।
- तीन जिला उप-रजिस्ट्रारों द्वारा सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के कारण ₹ 1.99 करोड़ की स्टैम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

‘वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्व के बकाया के संग्रहण की प्रणाली’ पर लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रमुख कमियां दर्शाईं:

- नमूना जांच किए गए 14 वाणिज्यिक कर सर्कल में 2011-16 के दौरान बकाया राशि ₹ 378.60 करोड़ से ₹ 3637.35 करोड़ (860.79 प्रतिशत) तक बढ़ी।
- एक डीलर के मामले में, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) ने राज्य सरकारो को ₹ 123.23 करोड़ के बकाया के भुगतान हेतु औद्योगिक प्रतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश दिया। किन्तु डीलर से ₹ 81.73 करोड़ की वसूली अभी भी लंबित थी। इसके अलावा डीलर द्वारा ₹ 37.99 करोड़ के स्वीकृत कर के बकाया का भुगतान भी नहीं किया गया।
- विशेष वाणिज्यिक कर सर्कल, पटना में निर्धारण प्राधिकारियों ने डीलर द्वारा स्थानीय क्षेत्र के अन्दर निर्मित अथवा उत्पादित अनुसूचित माल के कारण एन्ट्री कर की कटौती का लाभ लेने वालो का पता नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 740.70 करोड़ के एन्ट्री कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
- दो जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी (भागलपुर तथा भोजपुर) ने मांग प्रस्तुत करने वाले निकाय/विभागो की ओर से भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 111.72 करोड़ के स्थापन प्रभारो की उगाही तथा छूट को सुनिश्चित नहीं किया।



बिहार (2017 की प्रतिवेदन संख्या 3) - सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज)

बिहार राज्य हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि:

- 2011-16 तक की अवधि के दौरान, ऊर्जा उत्पादन लागत ₹ 8.13 प्रति यूनिट तथा ₹ 12.36 प्रति यूनिट के बीच थी। तथापि, कम्पनी ने उक्त अवधि के दौरान डिस्कॉम को बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन (बीईआरसी) के ₹ 2.49 प्रति यूनिट की अनुमोदन दर पर विद्युत का विक्रय किया। परिणामस्वरूप, कम्पनी ने 2011-16 दौरान ₹ 5.64 प्रति यूनिट से ₹ 9.87 प्रति यूनिट तक के बीच राजस्व हानि वहन की। कम्पनी ने 2011-16 तक की अवधि के दौरान 213.14 एमयू का विक्रय किया जिसके फलस्वरूप ₹ 147.66 करोड़ की हानि हुई।

बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा ने यह दर्शाया कि:

- विक्रेता को ₹ 26.78 करोड़ के कुल मूल्य वाली तीन परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यान्वयन कार्य बिहार वित्तीय नियमावली के उल्लंघन में बिना निविदा आमंत्रित किये ही प्रदान किया गया। विद्यालयों तथा सीएएल परियोजनाओं में बिस्वान, ई-पीडीएस, एसडीसी आईसीटी का कार्यान्वयन त्रुटिपूर्ण पाया गया जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 6.35 करोड़ की हानि/परिहार्य अधिक व्यय हुआ तथा आईटी उपकरण निष्क्रिय रहे।

बिहार की ऊर्जा वितरण कम्पनियों में वितरण फ्रेंचाइजी की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा ने दर्शाया:

- वितरण लाइसेंसधारी (डीएल) औसत बिलिंग दर (एबीआर) को अंतिम रूप देने में विफल हुए जिसके फलस्वरूप वितरण फ्रेंचाइजी (डीएफ) को ₹ 308.92 करोड़ के एकतरफा समायोजन का सामना करना पड़ा।

बिहार राज्य वित्तीय निगम के वसूली प्रदर्शन की लेखापरीक्षा ने दर्शाया:

- निगम द्वारा बकाया वसूली की कुल राशि 31 मार्च 2012 तक ₹ 3542.05 करोड़ थी जो 31 मार्च 2016 तक बढ़कर ₹ 5859.12 करोड़ हो गई। निगम की लगभग सभी परि-सम्पत्तियां (98.10 प्रतिशत) 31 मार्च



2016 तक गैर-निष्पादन परिसम्पत्तियां (एनपीए) थी तथा उनकी वसूली की संभावना बहुत कम थी।

कुछ अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियां निम्नलिखित हैं:

- **बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड** द्वारा स्वयं के वित्तीय हितों की सुरक्षा में विफलता के फलस्वरूप कम्पनी की ₹ 4.19 करोड़ की कार्यशील पूँजी अवरूद्ध रही।
- **बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड** अनुबन्ध के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए संवेदक के विपत्र से ₹ 1.66 करोड़ के परिसमापन क्षति की कटौती करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा संवेदक को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ (2017 का प्रतिवेदन संख्या 2)

“छत्तीसगढ़ में एनीकट की आवश्यकता, निर्माण तथा उपयोग” पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने दर्शाया:

- विभाग भूमि विवाद, भूमि मुआवजो के मामलों, ठेकेदारो द्वारा कार्य की धीमी गति इत्यादि कारणों से विगत एक से 10 वर्षों में ₹ 1095.74 करोड़ के व्यय के बावजूद भी 280 एनीकट का निर्माण पूर्ण नहीं कर सका।

“निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने दर्शाया:

- वित्तीय अनियमितताएं जैसे कि ₹ 9.69 करोड़ की निधि का दुरुपयोग, ₹ 166 करोड़ के असमायोजित अग्रिम, पंचायत शिक्षको को ₹ 5.12 करोड़ के अस्वीकार्य भत्तो का भुगतान आदि भी देखी गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- इसमें ₹ 23.29 करोड़ का व्यय अनुत्पादक रहा क्योंकि सड़को के संवर्धन में आने वाली नदियों/नालों पर सेतुओं के निर्माण, अपर्याप्त ठेका प्रबंधन के अभाव में अक्षित बसाहवटो के लिए सड़क संपर्कता प्रदान नहीं की जा सकी जिसके फलस्वरूप ₹ 21.22 करोड़ का लागत आधिक्य, दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने के कारण ₹ 2.93 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, ₹ 9.48 करोड़ की परिसमापन क्षतियों की वसूली न होना तथा बढ़े हुए माप के कारण ₹ 8.03 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।



झारखण्ड (2016 का प्रतिवेदन संख्या 4) - राजस्व क्षेत्र

“झारखण्ड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पट्टा प्रबंधन” की निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

- सरकार 469.38 एकड़ सन्निहित 1,279 उप-पट्टों के मामले में 1971-72 से 2014-15 की अवधि हेतु सलामी, लगान एवं उपकर के रूप में ₹ 3376.24 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।
- 1999 से 2015 की अवधि हेतु सरकार ₹ 974.48 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई चूँकि टाटा स्टील लिमिटेड, जमशेदपुर को दी गयी 122.82 एकड़ भूमि के संयंत्र क्षेत्र का पट्टा अधिकार अनियमित तरीके से अन्य कंपनी को हस्तांतरित किया गया। नियमावली पट्टाधारकों द्वारा पट्टा अधिकारों के हस्तांतरण की परिकल्पना नहीं करती।

“वाणिज्य कर विभाग में वेट/सीएसटी सव्यंवारो की दोहरी जांच के तंत्र का कार्यान्वयन” पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

- पंजीकरण हेतु योग्य व्यवसायियों की पहचान हेतु विभाग में लेन-देन की दोहरी-जाँच हेतु प्रणाली के अपर्याप्त कार्यान्वयन के कारण 277 अपंजीकृत व्यवसायियों द्वारा ₹ 37.65 करोड़ के कर का अपवंचन हुआ।
- भारत सरकार के विभागों/लो.उ.इकाईयों से प्राप्त आंकड़ों को वाणिज्यकर विभागों में पंजीकृत 64 व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणियों से की गयी दोहरी-जाँच में क्रय/विक्रय आवर्त के छिपाव का पता चला एवं परिणामस्वरूप ₹ 1,026.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

“झारखण्ड में वाणिज्यकर विभाग में बकाया राजस्व की संग्रहण प्रणाली” की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

- 1 अप्रैल 2011 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 1,406.35 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 2,384.39 हो गयी। इस प्रकार, 69.54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।
- विभाग द्वारा सूचित बकाया से संबंधित 10 सर्कलो से संग्रहीत बकाया में भिन्नता थीं। विभाग ने 28 सर्कलो में ₹ 722.09 करोड़ के बकाया न्यायालयों, अन्य न्यायिक प्राधिकरणों एवं सरकार के पास लंबित होने की



सूचना दी जबकि मात्र 10 सर्कलो द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लेखापरीक्षा को दी गई सूचना में ₹ 1,360.21 करोड़ के बकाया की राशि दर्शाई गई।

- 16 परिवहन कार्यालयों में 5,845 वाहन स्वामियों द्वारा अक्टूबर 2005 एवं मार्च 2016 के मध्य देय ₹ 17.35 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो खराब वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।
- 14 वाणिज्यकर सर्कलो में पंजीकृत 36 व्यवसायियों के विक्रय/क्रय आवर्त के निर्धारण में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा बरती गयी अनियमितओं के परिणामस्वरूप 2009-10 से 2012-13 के दौरान ₹ 294.32 करोड़ के कर एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।
- जिला खनन कार्यालय, रामगढ़ में एक कोयला खान द्वारा प्रस्तुत विवरणी में मिडलिंग, टेलिंग और अस्वीकृत कोयले के आधार विक्रय मूल्य के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 446.21 करोड़ की रायल्टी का कम उदग्रहण हुआ।

मध्य प्रदेश (2017 का प्रतिवेदन संख्या 1) - सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज)

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में फीडर विभक्तिकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- कम्पनी ने ₹ 9.38 करोड़ की अधिक ट्रांसमिशन तथा वितरण हानि उठाई थी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में, कम्पनी द्वारा ₹ 9.55 करोड़ की परिहार्य गारन्टी फीस का भुगतान किया गया तथा मोबीलाइजेशन/सामग्री अग्रिम पर ब्याज के उदग्रहण की गलत कार्यप्रणाली अपनाने के कारण ठेकेदार से ₹ 24.98 करोड़ के ब्याज की कम वसूली हुई।

मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के कार्यकलापो पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों की योजना तथा क्रियान्वयन, आईटी नीति के तहत भूमि आवंटन तथा प्रोत्साहन के नियमितीकरण, भारत सरकार/जीओएमपी की विभिन्न आईटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कमियां थीं। एक आईटी यूनिट को भूमि आबंटन पर अतिरिक्त छूट देने के कारण ₹ 1.11 करोड़ की राजस्व हानि वहन की गई।



मध्य प्रदेश राज्य सिविल सप्लाइ निगम लिमिटेड के कार्यचालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- भारत सरकार द्वारा समर्थित योजनाओं के तहत खाद्य अनाजों की खरीद, संग्रहण, परिवहन, वितरण तथा राज्यों में खाद्य अनाजों के आवागमन में कमियां थीं। अधिक खरीद के कारण ₹ 114.40 करोड़ के धान भण्डारों की हानि के अतिरिक्त निधियों का अवरोधन तथा ₹ 176.01 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियां:

- पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन न के कारण उच्च दरों पर ठेका प्रदान किया जिसके कारण **मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड** ने ₹ 26.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।
- **मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड** द्वारा सड़क परियोजना के क्रियान्वयन में अनियमितता के फलस्वरूप ठेकेदार को ₹ 7.07 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
- **मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड** द्वारा कर्मकार कल्याण उपकर की कम वसूली के फलस्वरूप ₹ 5.93 करोड़ तक ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।
- **मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड** ने आरटीई उत्पाद की उत्पादन लागत को अंतिम रूप देते समय बारदानों का प्राप्य मूल्य समायोजित न करके संयुक्त उपक्रम भागीदार को ₹ 5.68 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया।

उत्तर प्रदेश - महिला सशक्तीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (2016 का प्रतिवेदन संख्या 3)

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष तथा महिला मजदूरी में भिन्नता ग्रामीण क्षेत्रों में 73 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 31 प्रतिशत तक अधिक थी।
- उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2006 में राज्य महिला नीति की घोषणा के 10 वर्षों बाद भी लैंगिक आधारित बजट अपनाने में विफल हुई। कार्यक्रम कार्यान्वयन संस्थाओं द्वारा लैंगिक आंकड़ों का पृथक अनुरक्षण नहीं किया।



भारत सरकार ने 2010-14 के दौरान राज्य द्वारा परिनियोजित ₹ 20.26 करोड़ की आवश्यकता के प्रति केवल 35 प्रतिशत राशि आवंटित की जिसके प्रति राज्य सरकार केवल 54 प्रतिशत (₹ 3.86 करोड़) का ही उपयोग कर सकी।

- राज्य में 773 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचएस) में मात्र छः प्रतिशत के पास एमटीपी सुविधाएं थीं। नमूना जांच जिलो में एमटीपी सुविधा वाले तथा कार्यरत 2083 नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में से 548 ही एमटीपी अधिनियम के तहत पंजीकृत थे। वर्ष 2010-15 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा एमटीपी के लिए सुरक्षा तथा स्वच्छता परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी नमूना चयनित जिलो में निरीक्षण नहीं किया गया। विभाग के पास किए गए कुल एमटीपी की सूचना नहीं थी जिसमें कार्यरत अनधिकृत क्लिनिक भी शामिल थे।
- वर्ष 2010-15 की अवधि में संस्थागत प्रसव का लक्ष्य मात्र 1.24 करोड़ (पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का 46 प्रतिशत) इंगित करता है कि ग्रामीण महिलायें अकुशल जन्म सेवा सहायकों द्वारा घरेलू प्रसव पर निर्भर थीं। राज्य में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी थी क्योंकि मार्च 2015 में 1,555 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 5,183 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 31,100 उपकेन्द्रों की आवश्यकता के सापेक्ष क्रमशः 773 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3,538 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 20,521 उपकेन्द्र ही संचालित थे। जेएसवाई प्रयोजनों के लिए राज्य में कोई प्राइवेट नर्सिंग होम तथा अस्पताल अधिकृत नहीं था।
- 2010-15 के दौरान ₹ 7.22 करोड़ आवंटन के सापेक्ष मात्र ₹ 1.70 करोड़ का ही व्यय किया गया था क्योंकि विभाग द्वारा मातृ मृत्यु के बहुत कम प्रकरणों की समीक्षा की गयी थी। महिलाओं (ट्यूबेक्टॉमी) हेतु निर्धारित लक्ष्य पुरुषों (वेसेक्टॉमी) हेतु निर्धारित लक्ष्य से 20 गुना अधिक था जबकि पूर्ण संख्या के मामले में ट्यूबेक्टॉमी में उपलब्धि वेसेक्टॉमी की उपलब्धि से 41 गुना थी। अन्तर्गर्भाशीय लूप निवेशन (आईयूडी) में लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि में 41 से 47 प्रतिशत की कमी थी जबकि अधिक प्रचलित और बिना चीर-फाड़ की विधियों यथा गर्भ निरोधक गोलियां और कंडोम हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था।



- उत्तर प्रदेश शासन अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (एसएनपी) घटक के अंतर्गत ₹ 650.83 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान प्राप्त करने में विफल रहा। वर्ष 2010-15 की अवधि में राज्य द्वारा किये गये कुल ₹ 7,153.60 करोड़ के व्यय के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा मात्र ₹ 6,502.77 करोड़ की वसूली की गई। वर्ष 2010-15 की अवधि में 22 से 32 प्रतिशत गर्भवती महिलायें, धात्री माताएं तथा बच्चे अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम के लाभ से वंचित रहे।
- पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में निरन्तर वृद्धि हुई है। महिलाओं के प्रति अपराध के मामलों में 2010-11 तथा 2014-15 के बीच 61 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान बलात्कार के मामलों (43 प्रतिशत) एवं लड़कियों/महिलाओं के अपहरण तथा धोखे के मामलों (21 प्रतिशत) में वृद्धि हुई। यदि उत्तर प्रदेश में पुलिस श्रमबल की लगभग 55 प्रतिशत कमी को शीघ्र पूरा न किया गया तो यह प्रदेश में अपराध के परिदृश्य को और खराब कर सकता है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 33 प्रतिशत किये जाने की सलाह (सितम्बर 2009) के सापेक्ष प्रदेश में पुलिस कर्मियों की संख्या कुल पुलिस बल का केवल 4.55 प्रतिशत थी।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार द्वारा 'बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवार्यें: सशक्त न्याय हेतु योजना' के नाम से एक योजना तैयार की गयी। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में 2010-12 के लिए निर्धारित ₹ 15.03 करोड़ की धनराशि राज्य द्वारा प्रयुक्त नहीं की गयी जबकि इस अवधि में राज्य में बलात्कार के 3,544 प्रकरण सूचित हुये। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रदेश के 11 जनपदों में केवल 13 उज्जवला परियोजनायें कार्यान्वित की गयी थीं। 13 में से 12 परियोजनाओं को द्वितीय और अनुवर्ती किशतें अवमुक्त नहीं की गयी थी। नेपाल के समीप जनपदों में कोई उज्जवला गृह स्थापित नहीं किया गया था जबकि ये संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदन के अनुसार ट्रेफिकिंग के लिए सहज प्रमुख पारगमन क्षेत्र है।
- स्वाधार गृह योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन के लिए जनपदों में जिला महिला कल्याण समिति का गठन नहीं किया गया था। मार्च 2015 तक



राज्य के 75 जनपदों में से मात्र 42 जनपदों में ही स्वाधार गृह स्थापित किए गए थे।

ओडिशा - (2016 का प्रतिवेदन संख्या 4)

राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) का उद्देश्य देश की योग्य जनसंख्या को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच, उसकी गुणवत्ता तथा समानता प्रदान करना था। यद्यपि आरएमएसए फ्रेमवर्क आवास से पांच किमी. तक की उचित दूरी के अन्दर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करता है तथापि, 3,167 योग्य आवासों में कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं था।
- माध्यमिक शिक्षा का वकेशनाइलजेशन करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। राज्य ने संदर्भित योजना में प्रस्तावित 1535 नए विद्यालयों में से केवल 773 स्थापित किए।
- शिक्षा की गुणवत्ता 4,790 शिक्षको की भर्ती न होने तथा उनको अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण प्रभावित हुई।
- जिला तथा राज्य दोनो स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग अभावपूर्ण थी। परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष माइलस्टोन को क्रियान्वयन के छः वर्षों के पश्चात् भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

बीजू कंधमाल ओ गजपति योजना के कार्यान्वयन की अनुपालन लेखापरीक्षा

ओडिसा सरकार ने कंधमाल तथा गजपति जिलों के लिए 2009-10 में विशेष क्षेत्र विकास पहल नामतः 'बीजू कंधमाल ओ गजपति योजना' (बीकेजीवाई) शुरू की थी। योजना के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा से पता चला कि:

- अभावपूर्ण गाँवों को बिजली, पानी तथा सड़क उपलब्ध कराने के इस योजना के उद्देश्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हुए थे। वार्षिक कार्य योजनाएं विलंब से तथा समकक्ष विभागों से इनपुटों पर विचार किए बिना सूत्रबद्ध की गई थी। कार्यक्रम के प्रतिपादन, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग में व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं थी। योजना के अंतर्गत 2011-15 के दौरान निधियों का



उपयोग जिला प्राधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की संस्वीकृति में विलंब, निधियों के भुगतान में विलंब तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा मॉनीटरिंग में कमी आदि के कारण उपलब्ध निधियों का केवल 50 प्रतिशत था। परियोजना कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियों थी जिसके परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ था क्योंकि परियोजनाओं को उपयोग हेतु नहीं रखा गया था। निरीक्षण तथा मॉनीटरिंग सभी स्तरों पर अपर्याप्त पाई गई थी।

- पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों के प्रतिष्ठापन हेतु भूमि की पहचान के साथ साथ गृह विभाग द्वारा उपलब्ध भूमि पर निर्माण कार्य को पूरा करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 17.50 करोड़ की केंद्रीय सहायता में कटौती तथा ₹ 2.06 करोड़ मूल्य के प्रशिक्षण उपस्कर आदि का विचलन हुआ था।
- जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि में ₹ 18.22 करोड़ का अंशदान न करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ की शास्ति लगाई गई थी।
- पुरी समाहरणालय के भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में निर्धारित प्रदान तिथि तक क्षतिपूर्ति की गणना करने में विफलता के परिणामस्वरूप 2,410 भूमि खोने वालों को ₹ 6.41 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं हुआ।
- पुरी तथा गंजम के कलक्टर द्वारा तत्काल आवश्यकता के बिना तथा चालू खाते में इसकी पार्किंग के बिना ट्रेजरी से सरकारी धन के आहरण के परिणामस्वरूप ₹ 2.33 करोड़ का परिहार्य ब्याज भार हुआ।

पश्चिम बंगाल (2015 का प्रतिवेदन सं. 4)

‘राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- ‘विशेष गौ-संपदा विकास अभियान’ के तहत दुग्ध उत्पादन में ₹ 97.05 करोड़ खर्च करने के बाद पांच वर्षों (2010-2015) में 21.30 लाख एमटी लक्ष्य के प्रति तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) में 5.81 लाख एमटी तक ही वृद्धि हुई थी।



- सरकारी कृषि फार्मों की अवसंरचना सुविधाओं को ₹ 37.15 करोड़ खर्च करने के बावजूद सुधारा नहीं जा सका था।

अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ:

- लोक निर्माण कार्य (सड़क) तथा सुंदरवन मामला विभाग समय पर पहुँच हेतु भूमि की व्यवस्था करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप तीन अपूर्ण पुलों पर ₹ 12.37 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
- आठ स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक उद्यम विभागों ने अनुपयुक्त निधि प्रबंधन के कारण 2005-06 और 2013-14 के बीच ₹ 24.23 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

हिमाचल प्रदेश (2017 का प्रतिवेदन सं. 1)

राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन तथा रख-रखाव (लोक निर्माण विभाग)

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएचज) के उन्नयन तथा रख-रखाव से संबंधित कार्यों की योजना बनाने तथा उसके कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- विभाग 2011-15 के दौरान मूल कार्यों के लिए आबंटित ₹ 759.91 करोड़ के प्रति ₹ 590.71 करोड़ का उपयोग कर सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 169.20 करोड़ का कम उपयोग हुआ था।
- विभाग ने वाहनों की खरीद की हानियों की मरम्मत के लिए दूरसंचार कंपनियों द्वारा जमा की गई निधियों से ₹ 1.20 करोड़ का अनियमित रूप से विपथन किया तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय को सौंपने की बजाय, जो नियमानुसार अपेक्षित था, डिपोजिट शीर्ष के अंतर्गत ₹ 117.20 करोड़ रख लिए। मार्च 2016 तक 1,316.655 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों में हानियों की मरम्मत नहीं की गई थी।
- ₹ 985.79 करोड़ की लागत पर संस्वीकृत तथा मार्च 2016 तक समापन हेतु निर्धारित 119 निर्माण कार्यों के प्रति 39 निर्माण कार्य, जिन पर ₹ 114.23 करोड़ का व्यय हुआ था, मार्च 2016 तक अपूर्ण पड़े थे।

उत्तराखंड (2017 का प्रतिवेदन सं. 1)

- यंत्रों के अपंजीकरण जिन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराया जाना था, के कारण स्टैंप शुल्क तथा पंजीकरण फीस के गैर/कम उद्ग्रहण के



परिणामस्वरूप ₹ 108.25 करोड़ के स्टैम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

- इन दस्तावेजों का पंजीकरण करते समय संपत्तियों के कम मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 17.20 करोड़ के स्टैम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ था।

जम्मू तथा कश्मीर (2017 का प्रतिवेदन सं. 1)

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन (जेएनयूआरएम), की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- ₹ 33.32 करोड़ के राज्य हिस्से का कम जारी करना, निधियों के जारी करने में विलंब, ₹ 1.07 करोड़ का दुरुपयोग तथा ₹ 11.48 करोड़ के ब्याज का प्रतिदाय नहीं हुआ था। इसके अलावा, ₹ 31.84 करोड़ को उस उद्देश्य जिसके लिए यह आबंटित किए गए थे, हेतु उपयोग करने की बजाय सावधि जमा में रखा गया था।
- आवासीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी विलंब हुआ था, 2007-08 से 2015-16 के दौरान कार्यान्वयन हेतु ₹ 141.38 करोड़ की लागत की 34 परियोजनाओं में से कोई भी ₹ 101.16 करोड़ व्यय करने के बावजूद पूरी नहीं हुई थी।
- साइटों की अनुपलब्धता के कारण बारह ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं में से केवल तीन को पूरा किया जा सका था जबकि जम्मू तथा श्रीनगर में सीवरेज परियोजनाओं की खराब योजना तथा अवधारण के कारण ₹ 158.45 करोड़ व्यय करने के बावजूद फलीभूत नहीं किया जा सका।

जम्मू तथा कश्मीर में पुलों का निर्माण/पुनर्निर्माण

- लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों में साइट सर्वेक्षण करने तथा डिजाइन को अंतिम रूप देने में सम्यक परिश्रम की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 43.95 करोड़ मूल्य का 18 निर्माण कार्यों को कार्य प्रदान करने के पश्चात डिजाइन में बदलाव या भूमि विवादों के कारण रोक कर रखा गया जिससे इसपर ₹ 26.92 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

जम्मू तथा कश्मीर (2016 का प्रतिवेदन सं. 6)

जम्मू तथा कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:



- योजना निधियों की प्राप्ति में विलंब हुआ था तथा राज्य सरकार से ₹ 2,808.04 करोड़ की विद्युत देयताएं लंबित थीं जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थानों से निधियों पर निर्भरता बढ़ी तथा ₹ 58.24 करोड़ का अधिक ब्याज भार पड़ा। जल उपयोग प्रभार तथा श्रमबल उपकर के आधार पर सांविधिक देयताएं ₹ 1,573.19 करोड़ तक संचित हो गई थी।
- जम्मू तथा कश्मीर राज्य विद्युत नियामक आयोग को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप टैरिफ निर्धारण में ₹ 96.96 करोड़ का आय कर शामिल नहीं किया गया। डिजाइन, ऊर्जा की प्राप्ति न होने के कारण कंपनी टैरिफ के माध्यम से ₹ 275.85 करोड़ के व्यय की वसूली करने में सक्षम नहीं थी।
- कंपनी बीएचईपी-II के संबंध में मेगा पावर परियोजना की स्थिति प्राप्त करने में विफल रही जिसके कारण ₹ 105.80 करोड़ का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका था।

पंजाब (2017 का प्रतिवेदन सं. 1)

सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- सर्व शिक्षा अभियान निधियों को 2011-16 के दौरान ₹ 1,362.76 करोड़ तक कम जारी किया गया था। पंजाब सरकार ने 2014-16 के दौरान ₹ 48.48 करोड़ के केन्द्र के हिस्से को जारी नहीं किया था।
- राज्य द्वारा रिसोर्स अध्यापकों के परिनियोजन हेतु कोई प्रतिमान निर्धारित नहीं किए गए थे। बहुल-अशक्तता, दिमागी रूप से पंगु, सीखने की अशक्तता तथा ऑटिजम स्पेक्ट्रम के मामले में राज्य में कोई रिसोर्स अध्यापक नियुक्त नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप इन अशक्तताओं से पीड़ित 18,214 बच्चे रिसोर्स सहायता से वंचित रह गए।
- विद्यार्थियों को वर्ष 2011-16 के दौरान अपेक्षित दो जोड़ी वर्दियों के प्रति केवल एक जोड़ी वर्दी दी गई थी।
- मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के प्रति पुस्तकों की खरीद पर ₹ 6.76 करोड़ अधिक व्यय किया गया था।
- 1,170 प्राथमिक स्कूल एक अध्यापक के साथ चल रहे थे और 572 उच्च प्राथमिक स्कूलों में तीन अध्यापकों से कम थे।



पंजाब (2016 का प्रतिवेदन सं. 3)

‘पंजाब जल संसाधन प्रबंधन तथा विकास निगम लिमिटेड’ की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- नाबार्ड तथा भारत सरकार ने नलकूपों के प्रतिष्ठापन तथा जल मार्ग परियोजनाओं की लाइनिंग के लिए राज्य सरकार को ₹ 1,101.09 करोड़ जारी किया था। राज्य सरकार ने इसकी जगह कंपनी को तीन से 973 दिनों के विलंब से ₹ 940.98 करोड़ जारी किये थे जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ था।
- नलकूपों का प्रचालन तथा रख-रखाव कार्य जल प्रयोक्ता संगठनों को नहीं सौंपा गया था तथा इसकी आऊटसोर्सिंग के परिणामस्वरूप ₹ 34.41 करोड़ का परिहार्य प्रतिबद्ध व्यय हुआ।
- कंपनी ने 2011-16 के दौरान डब्ल्यूएज को 1,291 जलमार्ग (4.01 लाख हेक्टेयर को कवर करते हुए) सौंप दिए थे तथा एकमुश्त कार्यात्मक अनुदान (ओटीएफजी) के रूप में संगठनों को भुगतान हेतु ₹ 36.07 करोड़ देय हो गए थे परंतु यह राशि न तो भारत सरकार (केन्द्रीय हिस्सा) द्वारा मांगी गई और न ही डब्ल्यूएज को इसे जारी किया गया था।

‘पंजाब राज्य विद्युत निगम द्वारा राजस्व की बिलिंग’ तथा संग्रहण की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- बिजली बिलों को जारी करने तथा भुगतान हेतु निर्धारित समय अवधि का पालन नहीं किया जा रहा था जिसके कारण 2011-16 के दौरान ₹ 24.32 करोड़ की ब्याज हानि हुई।
- उपभोक्ताओं को उनकी प्रतिभूति जमा पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा था। 2011-15 के दौरान यह कम भुगतान ₹ 385.26 करोड़ तक था।
- चूककर्ता उपभोक्ताओं के प्रति बकाया देयताओं में 2012-16 के दौरान ₹ 705.67 करोड़ से ₹ 1,083.56 करोड़ की वृद्धि हुई थी।

अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ:

- **पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड:** चूककर्ताओं से ऋण की वसूली हेतु कार्रवाई शुरू करने में छः माह से 19 वर्षों से अधिक का विलंब हुआ था जबकि गारंटीदाताओं के ब्यौरों के खराब अभिलेख रख-रखाव के



परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए पांच मामलों में से केवल दो में ₹ 197.70 करोड़ की वसूली नहीं हुई थी।

- **पंजाब राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड** द्वारा गेहूँ के स्टॉक के खराब संरक्षण तथा रख-रखाव के साथ उक्त के अपग्रेड करने हेतु समय पर कार्रवाई न करने से ₹ 93.29 करोड़ की हानि हुई।
- **पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड**
- कंपनी को अपने स्वयं के थर्मल स्टेशनों पर कम संयंत्र दबाव कारक के कारण ट्रेडरों/असूचीबद्ध इंटरचेंज से विद्युत खरीदनी पड़ी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 374.96 करोड़ का अधिक वित्तीय भार पड़ा। यह खरीदी गई विद्युत के समय पर भुगतान के लिए ₹ 22.33 लाख की छूट प्राप्त करने में भी विफल रहा। कंपनी ने ₹ 2,249.61 करोड़ का अधिक भुगतान किया था जिसमें से ₹ 1,427.84 करोड़ उपभोक्ताओं को दिए गए थे।
- कंपनी ने ₹ 391.96 करोड़ के अतिरिक्त उदग्रहण का भुगतान किया था हालांकि इसका भुगतान संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जाना था जोकि एक पृथक विधिक इकाई थी।

हरियाणा (2016 का प्रतिवेदन सं. 6)

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचपीवीएनएल) में राजस्व के टैरिफ, बिलिंग तथा संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- जनवरी 2001 के बाद सेवा कनेक्शन प्रभारों में संशोधन न करने के कारण 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से ₹ 124.24 करोड़ की कम वसूली हुई थी।
- कंपनी को एचईआरसी के निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार संचरण तथा वितरण हानियों को अंतर्विष्ट करने में इसकी विफलता के कारण ₹ 1,729.75 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।
- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने बोली मूल्यांकन प्रक्रिया की गोपनीयता का उल्लंघन किया तथा इसे कार्य के पुनः निविदाकरण में ₹ 2.02 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।



- यूएचबीवीएनएल ने वास्तविक खपत पर ध्यान दिए बिना केबल की खरीद की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.70 करोड़ की निधि तथा उस पर ₹ 1.68 करोड़ का परिहार्य ब्याज का अवरोधन हुआ।
- हरियाणा वित्त निगम को एक समय निपटान योजनाओं के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण 15 लेखाओं में ₹ 10.43 करोड़ की हानि उठानी पड़ी।
- हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड को राउंड टिंबर की वसूली हेतु निर्धारित न्यूनतम 50 प्रतिशत के प्रतिमानों की तुलना में कम वसूली तथा अनुपयुक्त भूमि पर पौधारोपण परियोजना के संबंध में त्रुटिपूर्ण योजना के कारण ₹ 3.27 करोड़ की हानि उठानी पड़ी थी।

हरियाणा (2017 का प्रतिवेदन सं. 1)

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कार्यप्रणाली के निष्पादन प्रतिवेदन से पता चला:

- अधिशेष निधियों को सावधि जमा की बजाय बचत बैंक खातों में रखा गया था जिसके कारण ₹ 6 करोड़ की ब्याज की हानि हुई। ऋण पर ब्याज, गोदाम के किराए, जल तथा सीवरेज प्रभारों, दुकान/बूथ साइटों/भूमि की लागत तथा बढ़ी हुई भूमि क्षतिपूर्ति के आधार पर ₹ 126.44 करोड़ बकाया थे।

अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ:

नगर तथा ग्रामीण योजना विभाग - हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विनिर्देशों के अनुसार भूमि के मूल्य में अनर्जित वृद्धि का मूल्यांकन किए बिना भूमि को पट्टे पर देने के कारण ₹ 417.15 करोड़ का डिपोजिट नहीं हुआ। इसके अलावा ₹ 8.07 करोड़ के वार्षिक भूमि किराए तथा ₹ 2.70 करोड़ के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

हरियाणा (2016 का प्रतिवेदन सं. 6) - सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसयूज)

‘उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड में राजस्व के टैरिफ, बिलिंग तथा संग्रहण’ की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- कंपनी ने विद्युत कनेक्शन देते समय आई लागत की वसूली के लिए उपभोक्ताओं से सेवा कनेक्शन प्रभारों की वसूली की थी। जनवरी 2001 के



बाद दरों में संशोधन न करने के परिणामस्वरूप 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं से ₹ 124.24 करोड़ की कम वसूली हुई।

- हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) ने 2013-14 के लिए टैरिफ के भाग के रूप में ₹ 254.42 करोड़ के संचित आरएज में से ₹ 114.49 करोड़ की नियामक परिसम्पत्तियों (आरएज) की वसूली की अनुमति दी थी। कंपनी ने 2014-17 के लिए बहु-वर्ष टैरिफ (एमवाईटी) फ्रेमवर्क के अंतर्गत वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं (एआरआरज) की फाइलिंग के समय एचईआरसी के साथ ₹ 139.93 करोड़ के शेष आरएज की वसूली के मामले पर बातचीत नहीं की।
- कंपनी ने कृषि पंप सैट उपभोक्ताओं को 2011-15 के दौरान 15,233.50 एमयूज के एचईआरसी अनुमोदन के प्रति 15,952.82 एमयूज की आपूर्ति की थी जिसके परिणामस्वरूप 719.32 एमयूज विद्युत की अधिक आपूर्ति के कारण ₹ 425.97 करोड़ की सब्सिडी की कम प्राप्ति हुई।
- कंपनी को ईंधन अधिभार समायोजनों हेतु दावा फाइल करने में विलंब के कारण ₹ 137.86 करोड़ की होल्डिंग लागत उठानी पड़ी।
- कंपनी को एचईआरसी के निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार संचरण तथा वितरण हानियों को अंतर्विष्ट करने में इसकी विफलता के कारण ₹ 1,729.75 की हानि भी उठानी पड़ी।

दिल्ली (2016 का प्रतिवेदन सं. 3)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में डेंगू की रोकथाम तथा नियंत्रण की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- नगर निगमों ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले घरों में लार्वा पर लक्ष्य साधते हुए घरेलू ब्रीडिंग जाँचकर्ताओं की तैनाती की थी। हालाँकि एनडीएमसी ने मलेरिया रोधी गैंगमैन की तैनाती की थी जो इस उद्देश्य हेतु उनका नियमित स्टाफ था। एमसीडी ने ₹ 109.43 करोड़ व्यय करते हुए इस कार्य हेतु 3,358 अकुशल व्यक्तियों को नियुक्त किया था। तथापि, किए गए कार्य की कोई मॉनीटरिंग या पर्यवेक्षण या उसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन नहीं किया गया था।



- व्यस्क मच्छरों पर नियंत्रण हेतु अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के दौरान कीटनाशकों, डिल्युएंट तथा उपस्कर की खरीद पर ₹ 88.26 करोड़ का व्यय किया गया था। तथापि, रसायनों के उपयोग तथा कीट विज्ञानी निरीक्षण पर निश्चित नीति के अभाव में विशेष स्थिति से निपटने के लिए अधिक बेहतर कीटनाशक तथा तकनीकों के चयन तथा अवस्थिति/परिसरों जहाँ रसायनों का प्रभाविकता से उपयोग किया जा सकता था, की पहचान करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।
- लार्वा के रसायन नियंत्रण हेतु एमसीडी तथा एनडीएमसी द्वारा उपयोग किए गए प्रतिपादन या अपनाई गई पद्धतियाँ दिशानिर्देशों की सिफारिशों के अनुसार नहीं थी। निगमों ने बहते नालों में कीटनाशकों का उपयोग किया और उस आवृत्ति जोकि दिशानिर्देशों में परिकल्पित नहीं थी पर किया गया व्यय ₹ 37.26 करोड़ था। इसके अलावा ₹ 79.76 लाख के कीटनाशकों के उपयोग के कोई अभिलेख नहीं थे जबकि ₹ 2.09 करोड़ मूल्य के लार्वा नाशक का उपयोग उन स्थितियों में किया गया था जिनसे कंटेनरों जिनमें पानी इकट्ठा होता था, की नियमित सफाई अधिदेशित करके बेहतर तरीके से किया जा सकता था।

राजीव गांधी चौक के पुनः विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- जनोपयोगी सेवा कोरिडोर, सतह विकास तथा जल आपूर्ति पर ₹ 14.67 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
- कोरिडोर की फ्लोरिंग तथा फुटपाथ बनाने में ₹ 3.38 करोड़ का अधिक व्यय हुआ तथा ₹ 4.97 करोड़ की लागत पर अग्नि शमन क्षमताओं के संवर्धन की प्रभावकारिता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी थी।
- टर्नकी सलाहकार, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने ₹ 71.21 करोड़ की मूल लागत के ₹ 192.95 करोड़ तक बढ़ जाने के बावजूद समीक्षा तथा निर्णय हेतु एनडीएमडी में सेवा टनल के निर्माण हेतु अपनाई गई प्रौद्योगिकी में बदलाव के वित्तीय प्रभाव प्रस्तुत नहीं किए थे।

एनसीटी दिल्ली सरकार के विज्ञापन तथा प्रचार अभियान की निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- विज्ञापनों तथा प्रचार अभियान पर ₹ 24.29 करोड़ का व्यय किया गया था जोकि लोक निधि से व्यय को शासित करने वाले सामान्यतः स्वीकृत



सिद्धांतों या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित विषय वस्तु विनियमन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

- दिल्ली के एनसीटी से बाहर प्रकाशित विज्ञापनों से संबंधित एक विशेष प्रचार अभियान में ₹ 33.40 करोड़ में से ₹ 28.71 करोड़ (86 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जोकि जीएनसीटीडी के उत्तरदायित्व से बाहर था।

अनुपालन लेखापरीक्षा आपत्तियाँ:

- **लोक निर्माण विभाग:** लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन से पूर्व उनकी योजना तथा डिजाइन में पर्याप्त प्रयास तथा समय नहीं लगाया था जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्य प्रदान करने के बाद अधिक विस्तृत अनुमान ड्राइंग्स तथा डिजाइनों में संशोधन तथा मर्दों की मात्रा में वृद्धि/अतिरिक्त मर्दों का कार्यान्वयन हुआ। कार्यों के समापन में विलम्ब तथा विलंबित कार्यों में क्षतिपूर्ति का अनुदग्रहण हुआ। पीडब्ल्यूडी सलाहकारों के साथ किए गए करारों में मात्रा के अनुमान में अंतर के लिए दांडिक खंड शामिल करने में विफल रहा तथा इसने ठेकागत प्रावधानों के बावजूद कार्यों के लिए ड्राइंग्स की आपूर्ति में विलंब हेतु सलाहकारों से क्षतिपूर्ति का उदग्रहण नहीं किया। कीमत अंतर के कारण परिहार्य भुगतान के साथ-साथ लागत वृद्धि भी हुई थी। लागत अंतर की गणना करते समय गलत आधार कीमत अपनाने तथा गलत मात्रा लेने के परिणामस्वरूप वसूलियां नहीं हुई/कम हुई थी। इन कमियों का वित्तीय निहितार्थ ₹ 241.20 करोड़ है।
- निर्धारित समय में पंचाट परिनिर्णय को चुनौती देने में लोक निर्माण विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप आवेदन रद्द हो गया तथा इसने ₹ 14.92 करोड़ के भुगतान से बचने हेतु अपने मामले का बचाव करने का अवसर खो दिया।

राजस्थान (2016 का प्रतिवेदन सं. 7) - राजस्व क्षेत्र

- स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर राजस्थान कर के अंतर्गत कर का निर्धारण एवं संग्रहण अधिनियम, 1999' पर पैराग्राफ से पता चला कि विभाग में उपलब्ध सूचना का उपयोग न करने तथा अन्य राज्यों के साथ सूचना सांझा करने के लिए तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 13.51 करोड़ के प्रवेश कर का उदग्रहण नहीं हुआ था।



- 'माल वाहनों के चालन पर परिवहन विभाग का नियंत्रण' पर पैराग्राफ से पता चला कि 22,439 वाहन राष्ट्रीय अनुमति के अधिकार पत्र के नवीकरण के बिना पाए गए थे जिसमें ₹ 38.32 करोड़ की फीस शामिल है। 2344 वाहनों के संबंध में वाहन के मालिकों द्वारा ₹ 6.48 करोड़ के करों का भुगतान नहीं किया गया था।
- 'स्टैंप शुल्क (एसडी) तथा पंजीकरण फीस (आरएफ) के संबंध में सार्वजनिक कार्यालयों तथा उप-रजिस्ट्रार के बीच समन्वय' पर पैराग्राफ से पता चला कि लोक अधिकारी यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों/यंत्रों पर सही एसडी तथा आरएफ का भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 130.34 करोड़ के एसडी तथा आरएफ का कम उदग्रहण/ अनुदग्रहण हुआ था।
- राज्य उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत बीयर/शराब के उत्पादन में लगी डिस्टिलरीज, ब्रेवरीज तथा बोटलिंग संयंत्र की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि प्रति क्विंटल अन्न से उत्पादित की जाने वाली स्पिरिट की मात्रा हेतु प्रतिमानों के निर्धारण में विलंब के कारण विभाग को ₹ 180.80 करोड़ का राजस्व छोड़ना पड़ा था।

केरल (2017 का प्रतिवेदन सं. 1) - राजस्व क्षेत्र

बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर/वैट

- 184 संयुक्त डीलरों के संबंध में 68 निर्धारित सर्किलों में पुराने स्वर्ण का खरीद टर्नओवर निर्धारण से बच गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2,475.55 करोड़ के कर, ब्याज तथा शास्ति का कम उदग्रहण हुआ था।
- चार निर्धारण सर्किलों में छः डीलरों ने ₹ 4,191.16 करोड़ मूल्य के स्वर्ण, हीरे तथा प्लेटिनम का आयात किया था जिसके प्रति उन्होंने केवल ₹ 496.69 करोड़ स्वीकार किए थे। आयात खरीद का छिपाव ₹ 3694.46 करोड़ गिना गया तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 126.70 करोड़ के कर, ब्याज तथा शास्ति का कम उदग्रहण हुआ था।
- चार डीलरों ने अपंजीकृत डीलरों से खरीदे गए पुराने स्वर्ण के संबंध में विशेष छूट का दावा किया तथा इसे बुलियन में परिवर्तित करके बेच दिया। विशेष छूट की अधिक प्राप्ति के परिणामस्वरूप ₹ 132.89 करोड़ का कम भुगतान हुआ।



- 24 कार्यालयों में 35 डीलरों, जिन्होंने वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए संयुक्त कर भुगतान का चयन किया था, ने क्रमशः वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए अंत स्टॉक पर रिवर्स कर का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 80.89 करोड़ के ब्याज तथा शास्ति सहित कर का कम उद्ग्रहण हुआ।
- 48 निर्धारण सर्किलों में 131 निर्धारितियों जिन्होंने संयुक्त योजना के तहत कर भुगतान का विकल्प चुना था, ने क्रशिंग मशीनों के आकार और/या संख्या की कम सूचना दी थी। निर्धारण के मिश्रण/अंतिम रूप देने से पूर्व अन्य विभागों/स्थानीय निकायों से सूचना का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 68.78 करोड़ कर, ब्याज तथा शास्ति का कम उद्ग्रहण हुआ था।
- चार निर्धारण सर्किलों में उप ठेका टर्नओवर में छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 58.16 करोड़ के कर, ब्याज तथा शास्ति का कम उद्ग्रहण हुआ।
- चार निर्धारण सर्किलों में, 16 निर्धारणों में 71 उप ठेकेदार पूर्ण ठेका प्राप्तियों को वापस करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप टर्नओवर का छिपाव हुआ तथा ₹ 26.37 करोड़ के कर, ब्याज तथा शास्ति का परिणामी कम उद्ग्रहण हुआ।

वाहनों पर कर

- राष्ट्रीय अनुमति योजना के अंतर्गत टोकन कर, पंजीकरण फीस अनुमति फीस, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, कंडक्टर लाइसेंस फीस, शास्तियां तथा संयुक्त फीस के संबंध में 2015-16 में मोटर वाहन विभाग के 78 कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से कर के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला जिसमें 777 मामलों में ₹ 137.32 करोड़ शामिल है।

कर्नाटक (2017 का प्रतिवेदन सं. 1) राज्य वित्त प्रतिवेदन

- कुल व्यय में केन्द्रीय व्यय की हिस्सेदारी 2015-16 के दौरान 15 प्रतिशत थी जोकि 2014-15 की अपेक्षा एक प्रतिशत कम थी। कंपनियों/निगमों में मार्च 2016 तक ₹ 61,356 करोड़ के निवेश का प्रतिफल नगण्य (₹ 69.40



करोड़) था। निवेश में चिरस्थायी हानि के तहत कंपनियों/निगमों में ₹ 25,002 करोड़ (41 प्रतिशत) शामिल थे।

- समेकित परिशोधन निधि से 2012-13 में किए गए ₹ 1,000 करोड़ के निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज ₹ 142.86 करोड़ को राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों के भाग के रूप में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह संव्यवहार सरकारी बहियों के माध्यम से नहीं किया गया था।
- पर्यावरण सुरक्षा निधि में 2015-16 के दौरान ₹ 27.39 करोड़ के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को उस सीमा तक अधिक बताया गया था।
- समेकित निधि से लोक लेखा में अवसंरचना पहल निधि (आईआईएफ) में ₹ 2,418 करोड़ के हस्तांतरण के कारण जेड़पी निधि II तथा तालुक पंचायत निधि शेषों (₹ 419.10 करोड़) के प्रतिलेखन ने पूंजीगत/राजस्व व्यय को कृत्रिम रूप से कम कर दिया।
- 2015-16 के दौरान ₹ 1,66,672 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 1,49,250 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17,422 करोड़ (10 प्रतिशत) का अव्ययित प्रावधान हुआ।
- ₹ 175.50 करोड़ के व्यय को पूंजीगत सैक्शन के बजाय राजस्व सैक्शन के तहत वर्गीकृत किया गया था।
- ₹ 329.42 करोड़ के व्यय को संबंधित ऑब्जेक्ट; शीर्ष अर्थात् अनुषंगी व्यय, सामान्य व्यय, सब्सिडी आदि के बजाय ऑब्जेक्ट शीर्ष '059- अन्य व्यय' के तहत गलत रूप से वर्गीकृत किया गया था।
- 36 मामलों में ₹ 936.68 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था।

मणिपुर (2016 का प्रतिवेदन सं. 1)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा से विभिन्न कमियों जैसे (क) ₹ 80.70 करोड़ की सीमा तक मौद्रिक मूल्य के निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में निधियों का लीकेज, वित्तीय अनियमितता कमियों का पता चला;



- कार्यक्रम निधि में 2010-15 के दौरान ₹ 0.68 करोड़ से ₹ 176.37 करोड़ की रेंज तक काफी अप्रयुक्त अधिशेष था। इसने खराब कार्यान्वयन प्रबंधन को दर्शाया।

मेघालय (2017 का प्रतिवेदन सं. 3)

बच्चों का निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- आबंटित निधि को प्रभाविकता से उपयोग नहीं किया जा रहा था क्योंकि भारत सरकार मेघालय सरकार द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण ₹ 908.46 करोड़ जारी नहीं किया था।
- अपूर्ण सिविल कार्यों पर ₹ 483.88 करोड़ का व्यय तीन से छः वर्षों की अवधि तक निष्फल रहा।

मेघालय (2017 का प्रतिवेदन सं. 2)

परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला:

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, वन प्राप्तियों तथा अन्य गैर-कर प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के दौरान की गई नमूना जांच से 249 मामलों में ₹ 635.57 करोड़ मूल्य के कम निर्धारण/कम/अनुदग्रहण/राजस्व हानि का पता चला। वर्ष के दौरान विभाग ने 2015-16 में बताए गए 147 मामलों में ₹ 451.57 करोड़ के कम निर्धारण/कम/अनुदग्रहण/राजस्व हानि को स्वीकार किया तथा ₹ 1.83 करोड़ की वसूली की।
- संवीक्षा/निर्धारण करने में कर अधीक्षक की विफलता के परिणामस्वरूप दो सीमेंट विनिर्माता यूनिटों ने ₹ 10.29 करोड़ का कम कर भुगतान किया था, जिस पर ₹ 3.87 करोड़ का ब्याज तथा शास्ति, ₹ 20.58 करोड़ से अधिक नहीं, भी उद्ग्रहणीय थी।

IV लेखापरीक्षा के कहने पर नीतियों, कानूनों तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन

हमारी टिप्पणियों के आधार पर सरकार द्वारा किए गए नीति, कानून, नियमों तथा प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन निम्नानुसार हैं:



IV क संघ लेखापरीक्षा

वाणिज्यिक - वर्ष 2015-16 के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)/सेल के वित्त एवं लेखा विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा

- लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2016) कि विभिन्न बीएसपी यूनिटों के बीच आंतरिक नियंत्रण एवं संचार की कमी के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 42.89 का अनियमित भुगतान हुआ।
- बीएसपी/ईआरपी (उद्यम संसाधन योजना) दल ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर प्रतिक्रिया स्वरूप संबंधित ठेका प्रदाता एजेंसी जिसके विरुद्ध निष्कासन नोटिस जारी किया गया है, द्वारा स्रोत पर सैप (प्रणाली, अनुप्रयोग, उत्पाद) खरीद आदेश रोकने के लिए प्रणाली बनाई थी। इसके पश्चात, ऐसे सैप खरीद आदेश के प्रति कोई संव्यवहार अर्थात सेवा प्रविष्टि पत्र, बिल संसाधित नहीं किया जाएगा।

वाणिज्यिक - 2015-16 के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड की चरण - II लेखाओं की लेखापरीक्षा

- गेल (इंडिया) लिमिटेड के पास पारगमन में आयातित तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के मूल्य निर्धारण हेतु लेखाकरण नीति नहीं थी।
- बताए जाने पर कंपनी ने वर्ष 2015-16 के लिए गेल के वित्तीय विवरणों में लेखाकरण नीति बनाई है जिसमें बताया गया है कि “पारगमन में आयातित एलएनजी का मूल्य निर्धारण निवल उदग्रहणीय मूल्य के सीआईएफ (लागत, बीमा तथा मालभाड़ा) मूल्य जो भी कम हो पर किया गया है।”

वाणिज्यिक-दिनांक 19.11.2014 के माध्यम से एमओपीएनजी को जारी ड्राफ्ट पैरा शीर्षक ‘स्वर्ण के सिक्कों के प्रति अनियमित व्यय’

- ओएनजीसी ने (ओएनजीसी/ईआर/सीपी/एसईपी/003 दिनांक 27.2.2015) के माध्यम से ओएनजीसी कार्यालय आदेश सं. 08/2015) लेखापरीक्षा के कहने पर सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/सेवा के 12/20/25/35 वर्ष पूरा होने पर अपने कर्मचारियों को स्वर्ण के सिक्के देने की योजना तत्काल बंद कर दी जोकि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।



वाणिज्यिक - ओएनजीसी के 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एक मात्र वित्तीय विवरण

- अचल परिसम्पत्ति: कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में नए संशोधन के अनुसार परिसम्पत्तियों का घटकीकरण अनिवार्य हैं। उचित थ्रेशोल्ड सीमा तय करने के लिए 31.3.15 को अन्य परिसम्पत्तियों के मूल्य हासित मूल्य का विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि अवधारणा के लिए थ्रेशोल्ड सीमा ₹ 50 करोड़ पर निर्धारित की गई है, अपतटीय परिसम्पत्तियों का 50% कुल मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा, ₹ 50 करोड़ या अधिक पर सकल मूल्य वाली नई परिसम्पत्तियों के घटकीकरण के मामले में उक्त को अब तक पूंजीकृत सभी अचल परिसम्पत्तियों के लिए अपनाया जा सकता है। ओएनजीसी के वर्ष 2015-16 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा में की गई पूरक टिप्पणियों में की गई लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर मानदंड को ₹ 25 करोड़ पर संशोधित किया गया था।

वाणिज्यिक - 2016 का प्रतिवेदन सं. 15 (खण्ड-1) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ)

- लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर (सितम्बर 2013) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) ने 22 नवम्बर, 2013 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 229 वीं बैठक में अपनी अवकाश नियमावली में संशोधन किया था जिसमें 28 नवम्बर 2013 से अनुशासनात्मक आधारों को छोड़कर सेवानिवृत्ति/सेवा की समाप्ति पर अवकाश नकदीकरण की अधिकतम सीमा को ईएल तथा एचपीएल के संयुक्त रूप से 300 दिनों पर सीमित कर दिया।

रक्षा - 2015 का प्रतिवेदन सं. 44 का पैरा 7.8

- निविदा जांच/आपूर्ति आदेश में विकल्प खंड का समावेशन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय: मामले की जांच करने तथा भविष्य में ऐसी चूक को रोकने के लिए निदानात्मक उपाय सुझाने के लिए 15.07.2016 को जांच बोर्ड (बीओई) का गठन किया गया था।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर - 2014 का प्रतिवेदन सं. 33

- लेखापरीक्षा के बताने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 12 में खंड 6 डालते हुए 01.03.2015 से



संशोधन कर दिया गया था।

IV ख राज्य लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़: 2017 का प्रतिवेदन सं. 2

- नियम में परिवर्तन: राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश दिनांक 21.12.2016 के माध्यम से निविदा दस्तावेज के खण्ड 11 (सी) में वृद्धि की गणना हेतु सीमेंट इन्डेक्स को ग्रे सीमेंट के साथ तथा इस्पात इन्डेक्स (बार एंव रौड) को रेबर के साथ प्रतिस्थापित कर दिया था।
- लाइवस्टॉक विकास विभाग से संवितरण हेतु दिशानिर्देशों में लाभार्थियों को सब्सिडी देने से पहले संबंधित दस्तोवजों की जांच के लिए विशेष आदेशों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था। विभाग ने सं. 5065 दिनांक 05/07/2016 के माध्यम से संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से फार्म-51 के सृजन हेतु ई-वर्क्स (सॉफ्टवेयर) को ई-कोश (ट्रेजरी की ऑनलाइन आईटी प्रणाली) से लिंक करने के लिए इसमें परिवर्तन किए थे।
- छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग ने यह संशोधन किया कि इनपुट कर छूट के लिए डीलरों को एक लाख से अधिक की खरीद के ब्यौरे प्रस्तुत करने की पिछली प्रणाली के प्रति उनकी सभी खरीदों के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।
- राज्य सरकार ने विदेशी शराब की खरीद कीमत के प्रस्ताव हेतु एनआईटी में यह खंड शामिल किया कि विक्रेताओं को सारे देश में उनके द्वारा उद्धृत कीमत प्रस्तुत करनी चाहिए तथा कीमत उद्धृत करते समय पूर्व-डिस्टिलरी कीमत भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल: 2010-11 का एआर (राजस्व प्राप्ति) का पैरा 4.7.9

- पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल उत्पाद शुल्क (विदेशी शराब) नियमावली 1998 में संशोधन किया तथा अधिसूचना सं. 158-इएक्स दिनांक 29.02.2016 के माध्यम से एफएल कारखानों के लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन में विलंब हेतु ₹ 500 प्रति दिन विलंब शुल्क निर्धारित किया था।



राजस्थान: 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का पैरा सं. 2.11.10.4 तथा 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का पैरा सं. 2.9.13.1

लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुपालन में कमिश्नर, वाणिज्यिक कर ने कर की सही दर के उद्ग्रहण, स्व-विवरणात्मक निर्धारण आदेशों/परिशोधन आदेशों, माल के परेषण के ब्यौरों की जाँच करने तथा केवल वैध घोषणा फार्मों की स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए सं.-एफ-16 (48) कर/सीसीटी 11-12/पीएफ-II/04.05.16 के माध्यम से परिपत्र जारी किया था।

राजस्थान: 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का पैरा सं. 7.4.19

भूखंड के आबंटन से संबंधित प्रावधानों को राजस्थान सरकार द्वारा नई नियमावली से हटा दिया था, खनन (ग्रे-II) विभाग ने अधिसूचना एफ 14 (9) माइन्स/ग्रे.II/2015-पीटी-II दिनांक 28.02.2017 के माध्यम से राजस्थान माइनर खनिज रियायत नियमावली, 2017 बनाई थी।

राजस्थान: 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का पैरा 6.7.5.1 तथा 6.7.5.2

नियम 28 (2)(IV)(ख) के अनुसार-पट्टाधारक सभी खनिजों के उत्पादन के खनन योजना की सीमाओं में या लागू कानूनों के तहत अनुमति में रखेगा और यदि पट्टाधारक से दस प्रतिशत से अधिक परन्तु पच्चीस प्रतिशत तक की सीमा में खनिज की खुदाई एवं परेषण किया तो खनन योजना में निर्धारित या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक समस्त मात्रा पर दो गुणा रॉयल्टी वसूल की जाएगी तथा पच्चीस प्रतिशत से अधिक मात्रा के मामले में, खनन योजना में निर्धारित या लागू कानूनों के तहत अनुमत मात्रा से अधिक समस्त मात्रा को अनाधिकृत खनन माना जाएगा तथा पट्टाधारक इस अधिक खनिज की लागत का भुगतान करने का दायी होगा। (राजस्थान सरकार माइन्स (ग्रेड-II) विभाग, अधिसूचना एफ 14 (9) माइन्स/ग्रे.II/2015-पीटी-II दिनांक 28.02.2017 के माध्यम से (राजस्थान माइनर खनिज रियायत नियमावली, 2017)

राजस्थान: 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का पैरा सं. 6.9

राज्य सरकार ने राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की अधिसूचना स. एफ 32(बी)(379)ईएक्स/एल/72-VII/6913 दिनांक 29.04.16 के माध्यम से व्यर्थ व्यय (तिमाही आधार) की गणना के लिए आधार देते हुए मद्य निर्माणशाला नियमावली के नियम 49-क में व्याख्या जोड़ी थी।



राजस्थान: उत्पाद शुल्क कमिश्नर की निरीक्षण रिपोर्ट का पैरा सं. 5 II ख (2013-14)

राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की अधिसूचना सं. एफ 32 (बी) (379) ईएक्स/एल/72-II/6913 दिनांक 29.04.16 के माध्यम से देश के किसी भी भाग में समान लाइसेंस रखने वाली दूसरी यूनिटों के बीयर ब्रांडों के विनिर्माण तथा बोटलिंग के लिए मद्यनिर्माणशाला नियमावली के नियम 5 में एक परन्तुक जोड़ा था।

राजस्थान: एआर 2015-16 का पैरा सं. 5.4.9

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के अधिक्रमण में अधिसूचना जारी की तथा स्टैम्प तथा पंजीकरण विभाग की अधिसूचना सं. एफ 4(3) एफडी/कर/2017-109 दिनांक 08.03.2017 के माध्यम से 31.03.2009 से (पूर्व व्यापी प्रभाव से) स्टैम्प शुल्क 0.5% तक कम कर दिया था।

महाराष्ट्र: वर्ष 2015-16 के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के वार्षिक लेखे

लेखापरीक्षा के बताने पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के परिपत्र स. एसटी/एसीसी/बीएण्डएफ/38 दिनांक 24.05.2017 के माध्यम से यात्री वाहनों को बसों बाहरी ढांचे की मरम्मत तथा डब्ल्यूआईपी के तहत नई चेसिस पर नई बस के निर्माण के संबंध में अपूर्ण कार्य के मूल्यनिर्धारण से संबंधित अपनी लेखाकरण नीति में बदलाव किया है।

V लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

आईएसएसआई 10 में प्रावधान है कि एसएआई के पास यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु स्वतंत्र प्रक्रियाएं होनी चाहिए कि लेखापरीक्षित इकाई अपनी टिप्पणियों तथा सिफारिशों का उचित रूप से समाधान कर सके और यह कि सुधारात्मक कार्रवाई की गई है। लेखापरीक्षा एवं लेखा अनुदेश विनिर्देश 2007 में यह प्रावधान है कि संबंधित विभाग के सरकार के सचिव उनके विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ(ओं) पर स्व-व्याख्यात्मक की गई कार्रवाई टिप्पणी(याँ) तैयार कराएगा जिन्हें पीएसी/कोप् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा।



की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन्स) बताती है कि क्या

- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्य तथा आकड़े स्वीकार्य हैं;
- ऐसी परिस्थितियां घटी थी जिनमें हमारे द्वारा अनियमितताएं बताई गई थी;
- उत्तरदायित्व तथा इसके समापन हेतु उचित समय सीमा निर्धारित करने हेतु कार्रवाई की गई थी;
- वसूली की मौजूदा स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों तथा सिफारिशों पर कार्रवाई की गई या करने का प्रस्ताव रखा गया था; और
- भविष्य में चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निदानात्मक कार्रवाई की गई थी या इसका प्रस्ताव रखा गया था।

निम्न तालिका 31 मार्च 2017 को की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन्स) की स्थिति दर्शाती है।

	31 मार्च 2017 की समाप्ति पर प्रतीक्षित एटीएनज	वर्ष 2016-17 के दौरान समाप्त एटीएनज
संघ स्तर	612	978
राज्य स्तर	11,415	1,098
कुल	12,027	2,076



अध्याय 4

मुख्य परिणाम एवं उपलब्धियाँ - लेखा एवं हकदारियाँ

प्रस्तावना:

संविधान के अनुच्छेद 149 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 10,11 तथा 12 में संघ एवं राज्यों के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य तथा शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकारों (गोवा को छोड़कर) के लेखाओं के संकलन तथा इन्हें तैयार करने, बीस राज्यों (महाराष्ट्र-I एवं II तथा उत्तर प्रदेश - I तथा II सहित बाईस कार्यालय) में जीपीएफ लेखाओं का रख-रखाव, उन्नीस राज्यों (महाराष्ट्र I एवं II सहित बीस कार्यालयों) में राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों का अधिकार तथा नौ राज्यों में राजपत्रित हकदारी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। 2016-17 के दौरान सरकारी लेखा विंग के मुख्य केंद्रीभूत क्षेत्र तथा उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैं।

I लेखा कार्य संबंधी निष्पादन

I क राज्य पीएजी/एजी (ले व हक) संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्त एवं विनियोजन लेखे तैयार करेंगे जिन्हे लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणन के पश्चात निर्धारित समीक्षाओं के अनुसार राज्य विधानमण्डलों में प्रस्तुतीकरण हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वार्षिक लेखाओं को भी राज्य सरकारों को भेजने हेतु पीएजी/एजी (लेखा एवं हक) द्वारा तैयार किया जाता है।

वर्ष 2015-16 के लिए राज्यों के वार्षिक लेखाओं के प्रमाणन की तिथि

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रमाणन की तिथि
1.	आन्ध्र प्रदेश	01-03-2017
2.	अरुणाचल प्रदेश	25-11-2016
3.	असम	25-11-2016
4.	बिहार	28-11-2016
5.	छत्तीसगढ़	18-10-2016
6.	गुजरात	18-10-2016
7.	हरियाणा	13-10-2016



8.	हिमाचल प्रदेश	10-10-2016
9.	जम्मू और कश्मीर	10-11-2016
10.	झारखंड	27-10-2016
11.	कर्नाटक	07-11-2016
12.	केरल	05-01-2017
13.	महाराष्ट्र	29-09-2016
14.	मणिपुर	10-10-2016
15.	मेघालय	29-09-2016
16.	मिजोरम	10-10-2016
17.	मध्य प्रदेश	28-11-2016
18.	नागालैंड	10-10-2016
19.	ओडिशा	18-10-2016
20.	पंजाब	01-10-2016
21.	राजस्थान	10-10-2016
22.	सिक्किम	01-11-2016
23.	तमिलनाडु	27-10-2016
24.	तेलंगाना	01-03-2017
25.	त्रिपुरा	25-10-2016
26.	उत्तर प्रदेश	07-10-2016
27.	उत्तराखंड	10-10-2016
28.	पश्चिम बंगाल	10-01-2017

I ख विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें राज्य सरकारों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें शामिल हैं:

1. मासिक सिविल लेखें;
2. व्यय पर रिपोर्ट
3. डीडीओ वार व्यय के आकड़ें, चेतावनी स्लिप; तथा अनुदान-वार अधिक व्यय

I ग समयबद्धता

28 लेखा कार्यालयों में से 11 ने पूरे वर्ष समय पर मासिक लेखे प्रस्तुत किए। वर्ष के दौरान प्रस्तुत किए जाने हेतु नियत 364 मासिक सिविल लेखाओं में से 260



समय पर प्रस्तुत किए गए थे जबकि शेष 104 लेखाओं में विलंब हुए थे। राज्य सरकारों की ट्रेजरी/डिविजन/अन्य लेखा रखने वाली यूनिटों से लेखाओं की प्राप्ति में विलंब के कारण पांच पूर्वोत्तर, दो उत्तरी, एक मध्य, दो पूर्वी तथा तीन दक्षिणी क्षेत्र राज्यों में विलंब हुए थे। लेखाओं की विलंब से प्राप्ति हेतु कुछ विशेष कारण जम्मू एवं कश्मीर तथा नागालैंड में कानून एवं व्यवस्था, मई 2016 में तमिलनाडू में विधायिका चुनाव तथा उत्तराखंड में ट्रेजरियों में हड़ताल थे।

I घ पूर्णता

प्रस्तुत मासिक सिविल लेखे सभी संदर्भों में पूर्ण थे। कोई भी लेखा छोड़े नहीं गए थे।

I इ संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखें

वार्षिक रूप से प्रकाशित संयुक्त वित्त एवं राजस्व लेखाओं (सीएफआरए) में संघ तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति शामिल है।

सीएजी की वेबसाइट (www.cag.gov.in) पर वर्ष 2005-06 से 2014-15 के लिए सीएफआरएज उपलब्ध है। सीएफआरए 2015-16 भी पूर्ण हो चुके हैं।

II क ट्रेजरी निरीक्षण

राज्य सरकार के लेखाओं के संकलक तथा रचनाकार होने के नाते पीएजी/एजी (लेखा एवं हक) ट्रेजरियों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जाँच करते हैं। ट्रेजरी निरीक्षण का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि शुरुआती लेखाओं को तैयार करने, वेतन, पेंशन आदि का भुगतान करने हेतु निर्धारित विभिन्न जांच एवं पद्धतियों को ट्रेजरियों द्वारा यथावत पूरा किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान ट्रेजरियों/उप-ट्रेजरियों के 2493 निरीक्षण किए गए थे। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 1974 निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी तथा 1268 सिफारिशों की गई थी।

II ख 2016-17 के दौरान ट्रेजरी निरीक्षणों के मुख्य निष्कर्ष

ट्रेजरी निरीक्षणों से वित्तीय नियमों के अनुपालन से संबंधित अनेक विचलनों का पता चला जो आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में कमियों को दर्शाते हैं तथा राज्यों के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते हैं। देखे गए कुछ विचलनों में निम्न शामिल थे:



- व्यक्तिगत जमा खातों के संबंध में आकस्मिक निधि तथा प्लस-माइनस के अप्रस्तुतीकरण से व्यय का गलत (बिहार) लेखाकरण
- अपात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अनियमित/अधिक भुगतान (राजस्थान)
- एक वर्ष से अधिक समय से अनन्तिम पेंशन मामलों को अंतिम रूप न देना तथा परिवार पेंशन का अधिक भुगतान/कम भुगतान (गुजरात)
- 817 मामलों में पेंशन/परिवार पेंशन के अधिक भुगतान से संबंधित ₹ 1.15 करोड़ की वसूलियाँ (तमिलनाडु)
- पेंशन जाँच रजिस्टर तथा बैंक डाटा के बीच असमानता थी तथा 3 वर्षों से अधिक समय से अप्रचालित व्यक्तिगत जमा खातों में शेष को राजस्व लेखे में क्रेडिट नहीं किया गया था। मृत पेंशनधारकों के मामले में बैंक ब्रांचों को भुगतान की गई पेंशन जो राज्य के कोष में लौटाई नहीं गई थी तथा जमा खातों के प्रशासन द्वारा शेषों का गैर-सत्यापन (पश्चिम बंगाल)।

सभी राज्यों में ट्रेजरियाँ कम्प्यूटरीकृत हैं। उत्तर प्रदेश में, ट्रेजरी सॉफ्टवेयर के सैलरी पैकेज में कमियाँ बताई गईं तथा संशोधनों की सिफारिश की गई। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगना के मामले में विभिन्न आईटी अनुप्रयोगों में जोखिम को कम करने तथा डाटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपायों की सिफारिश की गई है।

III हकदारी कार्यों से संबंधित निष्पादन

III क हकदारी कार्यों से संबंधित सूचना हेतु केन्द्रीकृत पोर्टल

पेंशन, जीपीएफ तथा जीई से संबंधित जानकारी संबंधित एजी कार्यालयों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। तथापि, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर सिंगल पॉइंट एन्ट्री के माध्यम से राज्य एजी कार्यालयों में संचालन को सरल बनाने हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वेबसाइट पर 'हकदारी' नाम से नया टैब उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई है, जिससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ, पेंशन तथा जीई कार्यों से डील करने वाले पीएजी/एजी (लेखा एवं हक) की वेबसाइटों को जोड़ा गया है। यह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की कार्यालय वेबसाइट के 'हकदारी' टैब के माध्यम से संचालन द्वारा संबंधित राज्य वेबसाइटों पर अपलोड की गई जानकारी को देखने हेतु संबंधित पणधारकों तथा अन्य दर्शकों को समर्थ बनाता है।



III ख अंतिम रूप दिए गए पेंशन मामलें

पेंशन प्राधिकार देने का कार्य 20 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। इन कार्यालयों ने 2016-17 के दौरान 4,17,609 मूल एवं पेंशन संशोधन मामलों को अंतिम रूप दिया है। नागरिक चार्टर के अनुसार मूल पेंशन मामलों को एजी कार्यालय में मामले की प्राप्ति से 2 माह के अंदर अंतिम रूप दिया जाना था। मामले को अंतिम रूप देने में लिया गया औसत समय असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र I तथा II मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल में 15 से 30 दिनों, आंध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु तथा तेलंगाना में 30 से 45 दिनों और कर्नाटक, केरल तथा त्रिपुरा में 45 से 60 दिनों के बीच था।

III ग सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का रख-रखाव

राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं (जीपीएफ) के रख-रखाव के लिए 22 लेखा एवं हकदारी कार्यालय उत्तरदायी है। वर्ष 2016-17 के दौरान हमने 20 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के माध्यम से 28,24,829 जीपीएफ लेखाओं का रख-रखाव किया। 27,37,565 जीपीएफ लेखाओं (97 प्रतिशत) के संबंध में लेखा स्लिप समय पर जारी की गई थी, जबकि शेष 2 कार्यालयों में उनके लेखाओं को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

2016-17 के दौरान अनुरक्षित जीपीएफ लेखाओं की संख्या	समय पर जारी की गई लेखा स्लिप की संख्या
28,24,829	27,37,565

IV ग्राहक शिकायतों के समाधान/नवाचार पहलों के लिए विशिष्ट उपाय

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग निर्धारित समय में ग्राहकों को अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा ग्राहक शिकायतों का शीघ्रता से समाधान करने की अपनी जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। इस सीमा तक प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा पणधारकों को रचनात्मकता से शामिल करने तथा इस प्रयास में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए यह लीवरेजिंग प्रौद्योगिकी हैं। यह खंड विभिन्न लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा इस संबंध में की गई कुछ पहलों को दर्शाता है।



महत्वपूर्ण क्षेत्र

IV क जीपीएफ:

- क) आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में, वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए दर्ज न की गई मर्दों से संबंधित डाटा इन मर्दों के शीघ्र समायोजन/मंजूरी के लिए ट्रेजरी अधिकारियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सांझा किया गया था। तत्पश्चात 2016-17, में अंतिम भुगतान (एफपी) के, निपटान में सुधार आया था।
- ख) असम में, अंतिम भुगतान मामलों की मासिक निपटान स्थिति को राज्य प्रशासन मशीनरी की सहायता से प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा था। मौजूदा मिसिंग क्रेडिटों के समायोजन के साथ नए सृजन को कम करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, ट्रेजरी अधिकारियों तथा जीपीएफ अंशदाताओं को संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की जाती है। जीपीएफ ग्रुप में गैर-प्रतिदाययोग्य अग्रिमों (एनआरएज) के प्रणाली द्वारा सृजित प्राधिकारों की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इन मामलों का शीघ्र निपटान हुआ था।
- ग) महाराष्ट्र में अंशदाता संतुष्टि को बढ़ाने के उद्देश्य से दर्ज न की गई सर्वाधिक मर्दों तथा मिसिंग क्रेडिटों के साथ डीडीओज के लिए कार्यशाला का आयोजन फरवरी 2017 में किया गया था।
- घ) कर्नाटक में, राज्य सरकार के एचआरएमएस डाटाबेस का एक्सेस प्राप्त किया गया था। इससे गलत वर्गीकरणों का पता लगाना सरल हो गया। अधिक पत्राचार की आवश्यकता के बिना त्रुटिपूर्ण अनुसूचियां डाउनलोड की गई थी जिससे प्रभावी पोस्टिंग हुई। आंतरिक रूप से विकसित अंतिम आहरण मॉड्यूल का अंतिम भुगतानों की राशि की गणना हेतु उपयोग किया जा रहा था। कम्प्यूटर द्वारा सृजित अंतिम भुगतान/आरबी प्राधिकारों को इस मॉड्यूल का उपयोग करते हुए जारी किया जा रहा था। अभिलेखों तक सरल अभिगम सुनिश्चित करने के लिए सभी लेखा बही कार्डों तथा नामांकन रजिस्ट्रों को रखने के लिए पीएफ लाइब्रेरी बनाई गई थी।
- ङ) केरल में एनआरए के डिजिटल प्राधिकार तथा जीपीएफ लेखाओं को बंद करना 01.02.2017 से कार्यान्वित है। एनआईसी, केरल की सहायता से प्राधिकार



पत्र अपलोड करने के लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था। एजी कार्यालय तथा राज्य सरकार के बीच यूनिक आईडी के माध्यम से लिंकेज विकसित किया गया है। इससे पीएफ प्राधिकार शीघ्रता से जारी करने के साथ-साथ स्टेशनरी तथा पोस्टेज के उपयोग में कमी में सहायता मिलती है।

IV ख पेंशन:

- क) महाराष्ट्र-I में, पूर्व सिंचाई विभाग में कर्मचारियों के जून 1985 से लंबित 161 पेंशन मामलों को सफलतापूर्वक मंजूर किया गया है। महाराष्ट्र-II में आईएफएमएस के पेंशन आवेदन मॉड्यूल के माध्यम से पेंशन आवेदनों की ऑन-लाइन प्राप्ति सक्षम है।
- ख) आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना में, अंशदाताओं/पेंशनरों की शिकायते दर्ज करने तथा इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई की सूचना देने के लिए भी व्हाट्स एप सुविधा शुरू की गई। महाराष्ट्र में पेंशन मामलों की प्राप्ति तथा निपटान के बारे में पेंशनधारकों को सूचना देने के लिए एसएमएस सुविधा शुरू की गई है।
- ग) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा तेलंगाना में पुराने पेंशन मामलों की फाइलों की पुनः प्राप्ति तथा संरक्षण को सरल बनाने के लिए तथा वैकल्पिक उपयोग हेतु स्पेस बनाने के लिए पेंशन मामलों का डिजिटलीकरण किया गया है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में वर्ष 1997-98 से बाद की पेंशन फाइलों का डिजिटलीकरण हो गया है तथा डाटा प्रबंधन प्रणाली पर अपलोड कर दिया गया है जिसका एक्सेस इंटरनेट के माध्यम से संबंधित स्टॉफ सदस्यों को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से संबंधित पेंशन फाइलों को डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित किया गया है। हरियाणा में लगभग 2.50 लाख मामलों में से 1.14 लाख मामलों का डिजिटलीकरण 2016-17 के दौरान पूरा हो गया था। यह कार्रवाई संभावित हानि के प्रति पुराने अभिलेखों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी थी जो कि आपदाओं से प्रभावित हो सकते थे।

IV ग राजपत्रित हकदारियाँ:

- क) केरल में पे स्लिप को जीईएमएस (राजपत्रित हकदारी प्रबंधन प्रणाली) से एसपीएआरके (केरल के लिए सेवा एवं पेरॉल प्रशासन संग्रह - राज्य सरकार का अनुप्रयोग) में इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा रहा है। कार्यालय ने 2016-17



के दौरान संशोधित जीई अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों, एआईएस अधिकारियों तथा उच्च-न्यायालय के राजपत्रित अधिकारियों के 45000 वेतन संशोधन मामलों को संसाधित किया जिसने मामलों के शीघ्र निपटान को सरल बनाया।

ख) जीईएमएस तमिलनाडु में भी शुरू किया गया है। दिसम्बर 2016 के बाद से जीईएमएस के उपयोग के परिणामस्वरूप पे स्लिप जारी करने में तथा राजपत्रित अधिकारियों के अवकाश लेखे अनुरक्षित करने में सुधार आया।

IV घ पणधारकों के साथ सक्रिय वचनबद्धता

सामान्य रूप से लेखा एवं हकदारी कार्यालयों ने जीपीएफ के अंतिम भुगतान मामलों के निपटान, पेंशन के प्राधिकार तथा पे स्लिप आदि जारी करने के मामलों को शीघ्रता से करने के लिए हकदारी कार्यों को व्यवस्थित करके संतुष्टि स्तरों में सुधार करने का प्रयास किया है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा हस्तांतरण तथा प्राधिकार के प्रति प्रयास से कुछ कार्यालयों में मामलों के निपटान में लगने वाले समय में कमी आई। नागरिक चार्टर में निर्धारित निपटान हेतु समयसीमा का पालन किया जा रहा है। ऑनलाइन शिकायत समाधान तंत्र कुछ कार्यालयों में कार्यशील है। अन्य में इनकी योजना बनाई गई है। इन उपायों के परिणामस्वरूप शिकायतों में गिरावट देखी गई है।

कार्यालयों ने पणधारकों के साथ सीधे संपर्क बनाने के लिए अदालतें आयोजित करने की पहल की है ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सके। छत्तीसगढ़ में, काफी समय से लंबित अंतिम भुगतान मामलों को मंजूर करने के लिए जिला स्तर पर पहली बार 6 विशेष लोक अदालतों की व्यवस्था की गई जोकि पूर्ण सूचना के अभाव से लंबित थी। झारखंड में पेंशन लाभों के निपटान तथा पेंशनरों की शिकायतों के समाधान हेतु 9 जिलों में पेंशन अदालतें आयोजित की गईं। पणधारकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु इस प्रकार निष्पादित अदालतों को मीडिया कवरेज दिया गया था। पेंशनरों के प्रतिनिधि, विभागाध्यक्ष तथा ट्रेजरी अधिकारी अदालतों में उपस्थित रहे जिसके परिणामस्वरूप मामलों के लम्बन में कमी आई।

क्षेत्रीय पीएजी/एजी (लेखा एवं हक) के उपरोक्त सभी कार्यकलापों की क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त तिमाही निष्पादन रिपोर्टों के माध्यम से मुख्यालय में मॉनीटरिंग की जाती है।



V द वे फावर्ड

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) में बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के रूप में की गई केन्द्र सरकार की ई-गवर्नेंस पहल है जिसमें राज्यों के वित्त पर शीघ्र सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के वित्तीय संव्यवहारों के कम्प्यूटरीकरण को सम्मिलित किया गया है। परियोजना प्रत्येक वित्तीय संव्यवहार के लिए यथार्थ के एकल स्रोत को प्राप्त करने के लिए डीडीओज की विभिन्न आईटी प्रणालियों, ट्रेजरी, एजेंसी बैंक, राज्य स्तर के साथ-साथ संघ स्तर के सरकारी विभागों, आरबीआई तथा एजी के एकीकरण के माध्यम से एक ऑनलाइन तथा रीयल टाइम इंटरफेस की परिकल्पना करती है। आईएफएमएस का विकास विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्तरों पर है। एजी (लेखा एवं हक) कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्य पणधारकों के रूप में राज्य सरकारों के भागीदार बने हैं।

बड़े स्तर पर कम्प्यूटरीकरण की शुरुआत के साथ सरकार में कार्यपद्धति के डिजिटलीकरण में वृद्धि की जा रही है। ले व हक कार्यालय की सरल कार्यपद्धति वर्तमान परिदृश्य के मूल्यांकन तथा इसे प्रभावी रूप से तथा शीघ्रता से अपनाने का संकेत देती है। जबकि कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाने के निरन्तर प्रयास करते हुए, राज्य सरकारों के विकास के साथ-साथ कार्यालय भी कदम उठा रहे हैं। विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे कि, सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाओं का राज्य सरकार अधिकारियों और अन्य पणधारियों के साथ लगातार विचारों के आदान प्रदान और जागरूकता जागृत करने के उद्देश्य से उपयोग किया जा रहा है। परिशुद्धता को सुधारते समय कार्य की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत किया जा रहा है। एसएमएस और व्हाट्सएप द्वारा निरन्तर अन्तराल पर पणधारियों को कुछ कार्यालय सूचना उपलब्ध करवा रहे हैं। अधिक पारदर्शिता, दक्षता और सामयिकता प्रारम्भ कर लेखाओं और सेवाएं देने की गुणवत्ता में बढोतरी करने के लिए ये सभी उपाय अपेक्षित हैं।



अध्याय 5

व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानक में परिकल्पना है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता प्रणाली स्थापित होनी चाहिए। हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों के लिए व्यावसायिक मानकों और पद्धतियों दोनों के महत्व के बारे में सतर्क हैं। यह सभी व्यवसायियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं और गुणवत्ता नियंत्रण और हमारी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के लिए बेंचमार्क का कार्य करते हैं।

1. सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की थी। गसब का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदनों में सुधार के मद्देनजर लेखाकरण मानकों का निरूपण और सिफारिश करना है। सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी कार्यक्रमों तथा योजनाबद्ध मध्यस्थताओं के वित्तपोषण हेतु संसाधनों की पहचान करने के स्थान पर, सार्वजनिक व्यय में नई प्राथमिकताओं को सुशासन, वित्तीय सावधानी, कुशलता और पारदर्शिता पर भी ध्यान देना है। गसब में सरकार (केन्द्रीय और राज्य), व्यावसायिक लेखाकरण संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक और अकादमी से उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व वाले 16 सदस्य शामिल हैं।

गसब के निम्नलिखित उत्तरदायित्व हैं:

- जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदन के मानकों को प्रतिपादित करना और सुधार करना;
- मानकों को प्रतिपादित करना और प्रस्तावित करना जो वित्तीय प्रतिवेदन उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदनों की उपयोगिता का सुधार करते हैं,
- मानकों को अद्यतित रखना और शासकीय वातावरण में बदलाव को दर्शाना;
- मानकों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
- लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है; और



- वित्तीय प्रतिवेदनों में निहित सूचना की प्रकृति और उद्देश्य की सामान्य समझ में सुधार करना।

गसब दो प्रकार के मानक तैयार करता है (I) भारत सरकार लेखाकरण मानक नामक रोकड़ आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानक (आईजीएस) जो सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्य और विधानमण्डल वाले संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं; और (II) प्रोदभूत आधारित लेखाकरण प्रणाली आधारित मानक अर्थात् भारत सरकार वित्तीय प्रतिवेदन मानक (आईजीएफआरएस) जो गसब द्वारा अनुमोदित तिथि से पायलट अध्ययन के लिए सिफारिशी बन गए हैं। पणधारकों के परामर्श से विकसित मानक, संविधान के प्रावधानों के अनुसार विचार करने और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

Iक अधिसूचित लेखाकरण मानक

मार्च 2017 तक निम्नलिखित तीन आईजीएस अधिसूचित किए गए हैं:

- आईजीएस 1: सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां प्रकटीकरण अपेक्षाएं,
- आईजीएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण,
- आईजीएस 3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम,

Iख सरकार के विचाराधीन लेखाकरण मानक

निम्नलिखित आईजीएस और आईजीएफआरएस भारत सरकार के विचाराधीन हैं:

- आईजीएस 7: विदेशी मुद्रा लेन-देन और विनियम दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ
- आईजीएस 9: इक्विटी में सरकारी निवेश
- आईजीएस 10: सार्वजनिक ऋण और सरकार की अन्य देनदारियां प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- नकद प्रवाह विवरण पर आईजीएस
- आईजीएफआरएस 1: वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण
- आईजीएफआरएस 2: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
- आईजीएफआरएस 3: सरकारी विनियम लेनदेन से राजस्व



- आईजीएफआरएस 4: सामान सूचियां
- आईजीएफआरएस 5: आकस्मिक देनदारियां (गारंटियों के अतिरिक्त) और आकस्मिक परिसंपत्तियां: प्रकटीकरण अपेक्षाएं

2016-17 के दौरान, गसब सचिवालय का कार्य सरकार की स्थाई परिसम्पत्ति रिकार्डिंग और लेखाकरण और सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणियों के मानक पर एक दिशानिर्देश नोट तैयार करने पर केन्द्रित था।

संघ एवं राज्य स्तरों पर विभिन्न विभागों/संगठनों, सरकारों से तकनीकी सलाहकारों की दो बैठकों में स्थाई परिसम्पत्ति लेखाकरण पर सलाह के ऊपर विचार विमर्श किया गया था। मसौदा सलाह में अन्य के साथ-साथ स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध लक्ष्य शीर्ष के अनुसार, सूचना प्राप्ति द्वारा, वित्तीय लेखाओं में स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय पर एक वार्षिक विवरण शामिल करने का प्रस्ताव है। इसमें लेनदेन से जुड़े स्थाई परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों को तैयार करने का भी प्रस्ताव है जो स्थाई परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण के लेन-देन के वाउचर्स को भी लिंक करेगा, जिसके कारण सरकारी व्यय में अधिक जवाबदेही होगी। सलाह को वर्तमान में अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

नकद आधारित मसौदा मानक सरकार के सामान्य प्रयोजन वित्तीय विवरणों का 'संक्षिप्त' भी तैयार किया गया है। यह मानक वर्तमान में गसब सचिवालय के अन्तर्गत विचाराधीन है।

प्रयोक्ता प्रभागों द्वारा विवरणों के आधार पर वर्तमान मानकों को संसोधित करने और मानकों को अद्यतित रखने के लिए गसब प्रयास भी कर रहा है।

II लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और दिशानिर्देश

प्रफेशनल प्रैक्टिस सेज के तकनीकी बोर्ड द्वारा विचार की निर्धारण प्रक्रिया के अनुसरण करने के बाद, नई लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों के विकास, विस्तार और कार्यान्वयन को प्रफेशनल प्रैक्टिस सेज ग्रुप (पीपीजी) का अधिदेश शामिल करता है। प्रफेशनल प्रैक्टिस सेज का तकनीकी बोर्ड भारत के सीएजी को विभिन्न लेखाकरण और लेखापरीक्षण नीतियों और प्रक्रियाओं पर सलाह देता है। तकनीकी बोर्ड की इसकी पहलों में पीपीजी द्वारा सहायता की जाती है। प्रफेशनल मानकों और प्रैक्टिसों का विकास करने और मजबूत करने के लिए पीपीजी भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोगी है। उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और भारत के सीएजी में



प्रफेशनल प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए पीपीजी ने 2016-17 के दौरान निम्नलिखित पहलों को आरंभ किया है।

IIक लेखापरीक्षण मानक

समय समय पर यथासंशोधित डीपीसी अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सीएजी ने लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2007 तैयार किए जो लेखाकरण और लेखापरीक्षण दोनों कार्यों के लिए व्यापक शासी ढाँचे प्रदान करते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षण मानक लेखापरीक्षा शासी फ्रेमवर्क की आगामी परत का गठन करते हैं और संगठन के साथ-साथ इसके कर्मचारियों के लिए लेखापरीक्षण के प्रफेशनल मानकों का निर्धारण करते हैं। निरंतर सुधार और बेंचमार्किंग के लिए चालू पहल के रूप में इन मानकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, पुनर्वगठन किया जाता है और अद्यतन किया जाता है।

लेखापरीक्षण मानको को प्रथम बार 1994 में विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया था और बाद में 2002 में संशोधित किया गया था। लेखापरीक्षण मानकों का तीसरा संस्करण 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी है। यह मापदण्ड पहले मानकों, जो प्रक्रिया आधारित थे के प्रति 'लेखापरीक्षा के प्रकार' आधारित मानक हैं।

नये मानक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के काम काज और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अन्तर्राष्ट्रीय मानको के मूल लेखापरीक्षण सिद्धान्तों की पूर्ण अपेक्षाओं को शामिल करते हैं जो सीएजी (साई इंडिया) के संस्थान को लागू लेखापरीक्षा अधिदेश और नियमों के विधिवत विचारों के साथ उपयुक्त रूप से अनुकूल बनाए गए हैं। ये मापदण्ड लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं जिन्हें लेखापरीक्षा में लागू किया जाएगा और मापदण्ड या बेंचमार्क का गठन किया जाएगा जिसके प्रति लेखापरीक्षा के परिणामों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना है।

लेखापरीक्षण मानक सामान्य और विशिष्ट मानको की शर्त लगाते हैं। सामान्य मानक मूल लेखापरीक्षा अवधारणाओं से संबंधित सिद्धान्तों और लेखापरीक्षा प्रक्रिया अर्थात् लेखापरीक्षाओं की योजना, संचालन, रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई से सम्बन्धित सिद्धान्तों का निर्धारण करते हैं और सभी प्रकार की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं। विशिष्ट मानक वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सामान्य और प्रक्रिया संबंधित सिद्धान्तों की विशिष्ट प्रयोज्यता को निर्धारित करते हैं।



॥ख डाटा विज्वलाइजेशन और इन्फोग्राफिक्स के उपयोग के लिए व्यवसायिक मार्गदर्शन

दस्तावेज का उद्देश्य भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में तैयार विभिन्न दस्तावेजों में रिपोर्टिंग तथा प्रस्तुतीकरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डाटा और सूचना प्रस्तुत करने के लिए डाटा विज्वलाइजेशन या इन्फोग्राफिक्स के उपयोग पर मार्गदर्शन प्रदान करना है।

गार्ड डाटा विज्वलाइजेशन/इन्फोग्राफिक्स की विशेषताओं की चर्चा करता है और विभागों द्वारा तैयार विभिन्न दस्तावेजों में उचित तकनीक के उपयोग के सिद्धान्तों को प्रस्तुत करता है। प्रभावी रिपोर्टिंग में टेक्स्ट, टेबल्स, ग्राफ और चार्ट और अन्य आरेखों का एक विवेक पूर्ण मिश्रण शामिल होता है जिस पर विषय वस्तु की सूचना दी जा रही है और इन्फोग्राफिक्स टेक्स्टूअल सामग्री के पूरक के लिए अभिप्रेत है। इन्फोग्राफिक्स के विवेकी संयोजन का चयन करते समय प्रफेशनल निर्णय लिया जाना है।

॥ग मार्गदर्शन टिप्पणियां

नियमित आधार पर सभी निकायों/व्यवस्थाओं के अनुपालन लेखापरीक्षाओं के नियोजन और करने को मुख्यधारा में रखने के उद्देश्य से महालेखाकार सम्मेलन 2014 के अनुवर्तन के रूप में निम्नलिखित मार्गदर्शन टिप्पणियों को वर्ष के दौरान जारी किया गया था।

- क) लाभार्थी उन्मुख योजनाओं को लागू करने वाली एमपीवी समितियों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण
- ख) पीपीपी व्यवस्थाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण
- ग) नियामक निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पण
- घ) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रासंगिकता और सामयिकता बढ़ाना: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो में अधिक वर्तमान लेनदेन पैराग्राफ शामिल करने के प्रयास करना क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक निर्देश है। टिप्पण लेखापरीक्षा के प्रयोजन हेतु वर्तमान लेन-देन को परिभाषित करता है और वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के पहले और दूसरे क्वार्टर के दौरान उच्च जोखिम ईकाईयो की लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने पर जोर देता है।



III व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा प्रक्रिया का आवधिक मूल्यांकन शामिल करता है। इसका उद्देश्य यह है कि साई का लेखापरीक्षा कार्य व्यावसायिक और लागू विधिक मानकों के अनुपालन का एक उचित आश्वासन साई को प्रदान करना है। गुणवत्ता आश्वासन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जोकि उस लेखापरीक्षा प्रक्रिया का भाग नहीं होते जिसकी वे समीक्षा कर रहे हैं। यह आंतरिक रूप से साई द्वारा या अन्य साई द्वारा की जा सकती है। वर्ष 2011-12 में एक बाह्य पीयर समीक्षा की गई थी और बाह्य पीयर समीक्षा दल ने सितम्बर 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्षेत्रीय कार्यालयों की नियमित पीयर समीक्षाएं और निरीक्षण मुख्यालय के निरीक्षण विंग द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं।

III क आंतरिक पीयर समीक्षाएं

हम गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के रूप में लेखापरीक्षा कार्यालयों की पीयर समीक्षा करते हैं। ये 'पीयर समीक्षा द्वारा गुणवत्ता आश्वासन' पर दिशा-निर्देशों द्वारा शासित की जाती हैं।

भारत के सीएजी के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 में लेखा एवं हकदारी (लेखा व हक) कार्यालयों की पीयर समीक्षा शुरू की गई। इस प्रयोजन के लिए मुख्यालय के निरीक्षण दल ने जांच सूची और प्रश्नावली का एक नया सेट ले. एवं हक. कार्यालयों के लिए तैयार किया है।

रिपोर्ट में एकरूपता निश्चित करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा तथा लेखा दोनों कार्यालयों के लिए एक नयी पीयर समीक्षा रिपोर्ट के लिए 2016-17 के दौरान एक नया पीयर समीक्षा रिपोर्ट प्रारूप भी तैयार किया गया था। सन्तुलित प्रस्तुतीकरण के लिए पीयर समीक्षाकर्ताओं से समीक्षित कार्यालयों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी प्रथाओं का उल्लेख करने का भी अनुरोध किया गया है।

वर्ष 2016-17 में, 14 कार्यालयों की पीयर समीक्षा की योजना बनाई गई और महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार द्वारा पीयर समीक्षा की गई। निरीक्षण विंग ने इन पीयर समीक्षाओं का समन्वय किया। पीयर समीक्षा रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी संबंधित कार्यात्मक विंग द्वारा की जाती है।



॥ख निरीक्षणों द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन

निरीक्षण विंग शाखा कार्यालयों सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करता है। कार्यालयों का चयन जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होता है, आमतौर पर यह त्रिवार्षिक अवधि के लिए होता है। अनुपालन लेखापरीक्षण दिशानिर्देशों को अपनाने की समीक्षा करने के लिए निरीक्षण विंग ने 2016-17 में क्षेत्रीय निरीक्षण दलों के लिए एक जांच सूची तैयार की है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, 33 मुख्य कार्यालयों (ले. व हक.-12, राज्य लेखापरीक्षा-08, केन्द्रीय लेखापरीक्षा 03 सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-02, डाक एवं दूरसंचार-01 रेलवे लेखापरीक्षा-01 और प्रशिक्षण संस्थान-03) का 330 पार्टि दिनों का उपयोग कर निरीक्षण किया गया था।

योजित और आयोजित निरीक्षण, 2016-17 के दौरान जारी लेखापरीक्षा निष्कर्ष और निपटान का विवरण निम्न प्रकार है।

निरीक्षणों की संख्या		जारी लेखापरीक्षा निष्कर्षों की संख्या	निम्न के दौरान निपटाए गए लेखापरीक्षा निष्कर्षों की संख्या	
योजित	संचालित		2016-17	पूर्व वर्षों
34	33 ⁵	3,085	164	1393

2016-17 के दौरान निरीक्षण रिपोर्टों में, निरीक्षणों के आधार पर 548 सिफारिशों को शामिल किया गया था। अन्त में, स्पष्टता के साथ रिपोर्ट करने के लिए 2016-17 में विजुअल रेप्रजेंटेशन टूल्स (जैसे कि चार्ट और ग्राफ) पर जोर दिया गया था।

⁵ टिप्पणी:- महालेखाकार (ले. व हक.) मणिपुर के निरीक्षण की योजना मार्च 2017 में बनाई गई थी लेकिन महालेखाकार (ले. व हक.) मणिपुर की प्राप्त प्रार्थना के आधार पर स्थगित कर दी गई क्योंकि उस अवधि के दौरान राज्य में चुनावों के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियोजित किया गया था।



अध्याय 6

हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

इससाई 10 निर्धारित करता है कि साई के पास प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए उपयुक्त श्रमबल, सामग्री और मौद्रिक संसाधन होने चाहिए। उन्हें अपने बजट का प्रभावी रूप से प्रबंध और उसका समुचित आबंटन करना चाहिए।


I हमारा वित्तीय प्रबंधन

हमने 2016-2017 में ₹ 4042.53 करोड़ खर्च किये। घटक-वार व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

I क व्यय के घटक

हमने अपने संसाधनों का 88.06 प्रतिशत 'वेतन और पारिश्रमिक' तथा 3.74 प्रतिशत 'यात्रा' पर व्यय किया। इस प्रकार कुल व्यय का 91.66 प्रतिशत सीधे हमारे मानव संसाधन पर खर्च हुआ।

(₹ करोड़ में)



**। ख कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान**

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कार्यालय तथा यूएन लेखापरीक्षा यूनिट को छोड़कर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का समग्र व्यय 'दत्तमत' है। सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों के बाद सिविल लेखा कार्यालयों ने सबसे अधिक व्यय किया। हमने कुल 62.41 प्रतिशत लेखापरीक्षा पर खर्च किया (मुख्यालय छोड़कर)। सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया कुल व्यय लगभग 32.83 प्रतिशत था।

कार्यालयों की श्रेणियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय	125.66	3.11
संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा	4.76	0.12
ओवरसीज़ लेखापरीक्षा कार्यालय	27.80	0.68
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	1906.50	47.16
पी एंड टी लेखापरीक्षा कार्यालय	120.53	2.98
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	221.51	5.48
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	85.86	2.12
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	155.92	3.86
एनएएए शिमला	13.28	0.33
आईसीसा, नोएडा	8.32	0.21
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान	30.84	0.76
विभाग कैंटीन	14.47	0.36
सिविल लेखा कार्यालय	1327.08	32.83
जोड़	4042.53	100

॥ हम अपने मानव संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण, हमारे लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्तियां हैं। इससाई 40 निर्धारित करता है कि साई को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए कि उसके पास अपना कार्य प्रभावशाली रूप से करने के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं। 2016-17 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल थे:

- 2016-17 के दौरान स्टाफ विंग का मुख्य फोकस क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफिंग जारी रखना था। मण्डल लेखाकारों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों



एवं डाटा एंट्री आपरेटरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को की गई समस्त मांग 2016-17 के दौरान पूरी कर ली गई। इसके परिणामस्वरूप समूह 'ग' संवर्ग में कमी का काफी हद तक समाधान हुआ।

- विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी, यदि कोई हो, के कारण कार्य प्रभावित न हो।

III हमारे लोग


हमारा श्रमबल मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत है:

श्रेणी	संख्या
आईए एण्ड एस	710*
पर्यवेक्षीय संवर्ग	15,022
लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ	26609
बहु कार्य स्टाफ	4,269
जोड़	46,610**

*इसमें अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर 06 अधिकारी शामिल हैं।

**01.03.2017 तक

आईएएण्डएडी में करीब 33.75 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धन और पर्यवेक्षीय स्तर पर हैं और लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ का 57.09 प्रतिशत बनता है। कुल संख्या का केवल 9.16 प्रतिशत (एमटीएस) सहायता कार्य प्रदान करता है। 68,198 की संस्वीकृत संख्या के प्रति वर्तमान में केवल 68.34 प्रतिशत स्टाफ ही विभाग में कार्य कर रहा है। हमने वर्ष के दौरान लेखा एवं लेखापरीक्षा स्टाफ की श्रेणी में 2836 लोगों की भर्ती की। इससे काफी हद तक कमी दूर करने में सहायता मिली।





भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा (आईएण्डएएस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। आईएण्डएडी के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह सेवा भारत सरकार की समूह 'क' सेवा कहलाती है।

पर्यवेक्षी संवर्ग - राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग (समूह ख राजपत्रित) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालन प्रबन्धन का हिस्सा हैं। अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उर्तीर्ण करने के बाद ही सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति की जाती है।

लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ - यह संवर्ग डॉटा एन्ट्री आपरेटर (डीईओ), लिपिकों, लेखापरीक्षकों/लेखाकारों और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों से बनता है और हमारे कुल श्रमबल का 57.08 प्रतिशत है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या सहायक संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहु कार्य स्टाफ - विभिन्न आईएण्डएडी कार्यालयों में सभी सहायता कार्य, बहु-कार्य स्टाफ (एमटीएस) द्वारा किया जाता है।

IV अर्हता

वर्ग 'ख' और 'ग' संवर्गों में हमारे अधिकारी और कर्मचारी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 175 डाक्टरेट, 3148 व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त अधिकारी, 5257 स्नातकोत्तर और 26759 स्नातक हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में 15 डाक्टरेट, 373 व्यवसायिक रूप से अर्हता प्राप्त⁶ अधिकारी, 163 स्नातकोत्तर और 152 स्नातक हैं।

V भर्तियाँ

हमने 2016-17 में 2860 कार्मिक भर्ती किए। लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ श्रेणी में बड़ी संख्या में भर्तियाँ (2836) की गई।

⁶ इंजीनियर, डाक्टर, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफई, सीआईए, सीआईएसए आदि।



VI लिंग संतुलन

साथ में दी गई तालिका विभाग के विभिन्न संवर्ग में लिंगानुपात दर्शाती है।

आईएण्डएएस में महिलाओं का अनुपात अधिकतम है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरुष	प्रतिशतता
आईएण्डएएस	175	535	24.64
पर्यवेक्षी संवर्ग एवं लेखा/लेखापरीक्षा स्टाफ	6982	34639	16.77
बहुकार्य स्टाफ	607	3667	14.10
जोड़	7759	38851	16.64

VII स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ और पर्यवेक्षण संवर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 229 स्टाफ एसोसिएशन और पाँच अखिल भारतीय संघ हैं। संबंधित क्षेत्रीय स्तर सेवा संघों के साथ पीएजी/एजी द्वारा राज्य स्तरीय बैठकें की गई थीं।

VIII प्रकाशन

सरकारी लेखापरीक्षा और लेखा का जर्नल फिर चालू पुनः अविष्कृत किया गया है और एक ई-जर्नल के रूप में पुनः नाम दिया गया है। जर्नल लोक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विभाग में तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रथाओं और प्रमुख घटनाओं को प्रसारित करने के आन्तरिक संचार चैनल के रूप में कार्य करने के लिए अभिप्रेत है। जर्नल नई नीति पहलों और अन्तर्राष्ट्रीय डेस्क से समाचारों का उल्लेख करता है।

सरकारी लेखापरीक्षा तथा लेखा के जर्नल के (पांचवा एवं छटा) जारी दो अंक:

सरकारी लेखापरीक्षा तथा लेखा के जर्नल के (पाचवां एवं छटा) अंक: सरकारी लेखापरीक्षा और लेखा (ई-जर्नल) के जर्नल के दो छमाही संस्करण क्रमशः अगस्त 2016 एवं जनवरी 2017 में निकाले गये थे। अगस्त 2016 का ई-जर्नल, जर्नल का पांचवा अंक था जिसे पहली बार विषयगत दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था। इस अंक में सभी योगदान क्षमता निर्माण विषय से संबंधित थे। जनवरी 2017 में निकाला गया जर्नल का छटा अंक एक विशेष संस्करण था जिसमें 28वें महालेखाकार सम्मेलन, 2016 और अक्टूबर 2016 में आयोजित संगोष्ठी पर प्रकाश डाला गया था।



IX हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करते हैं?

सूचना प्रणाली (आईएस) विंग विभिन्न कार्यात्मक द्वारा अभिज्ञात विभिन्न गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण तथा पणधारियों के प्रयोग के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह नीतियों के सूत्रीकरण, योजनाओं की तैयारी, निदेशक सिद्धान्त जारी करने, बजटिंग, निधियों के आवंटन, विभिन्न गतिविधियों की निगरानी तथा विभाग में, विभिन्न कम्प्यूटरीकरण उपक्रमों पर सत्र के बीच शोधक कदम उठाने के लिए जिम्मेदार है। यह नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की वेबसाइट का भी अनुरक्षण करता है। 2016-17 के दौरान की गई, पहलों में क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा तथा विभिन्न कार्यालयों में इंटरनेट बैंडविड्थ कनेक्टिविटी का नेशनल इंफोरमेटिक्स सेन्टर (एनआईसी) द्वारा, आईएएडी नेट के रूप में उन्नयन शामिल है।

1. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का उन्नयन

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) ढांचे को मानकीकृत करने का प्रस्ताव आईएस विंग द्वारा प्रस्तुत किया गया था और एनआईसी से सबसे उपयुक्त उपकरण सम्मिलित कर इस संबंध में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया था।
- एनआईसी के प्रस्ताव और सिफारिश किये गये उपकरणों की टेस्टिंग, के अनुसार 101 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए वीसी संचालन के लिए पीटीजेड (पैन, टिल्ट व जूम) कैमरों और 60" डिसप्ले यूनिटों के लिए सक्षम अधिकारी से मंजूरी प्राप्त की गई थी।
- 65" मोनीटर के साथ हाई एण्ड सिसको कैमरे मुख्यालय के लिए सिफारिश किये गये थे। चयनित उपकरणों की आपूर्ति हेतु नेशनल इंफोरमेटिक्स सेन्टर सर्विस इन्क. (एनआईसीएसआई) को खरीद आदेश जारी किये गये थे।
- 16.6.2017 तक 101 वीसी उपकरणों में से 84 को क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित कर दिया गया है।

2. आईएएडी नेट बैंडविड्थ का उन्नयन

- आईएस विंग द्वारा निकनेट के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जोड़ने के लिए आईएएडी नेट को स्थापित करने की योजना बनाई गई थी।



- परियोजना का उद्देश्य सभी कार्यालयों को निकनेट से कनेक्ट करके उच्च गति वाला इंटरनेट उपलब्ध कराना जो विभिन्न अनुप्रयोगों तक पहुँचने के लिए सुरक्षित गेटवे प्रदान करता है, निक डेटा संग्रहण सुविधा का उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सक्षम करना और महत्वपूर्ण डेटा को संग्रहीत करना साथ ही निक क्लाउड की सहायता के साथ भविष्य में किसी अनुप्रयोग के क्लाउड होस्टिंग का बैकअप भण्डार करना है।
- चरण-1 में, ले.व.हक. कार्यालयों में सीमाबद्ध कर, 30 लीज कनेक्शनों को प्राप्त किया गया था। इन कनेक्शनों का उसी परिसर में स्थित सभी कार्यालयों द्वारा प्रयोग किया गया था, इस प्रकार 68 कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी समर्थित बनाया गया।
- क्योंकि मूल प्रस्तावित बैंडविड्थ 25 जगहों में अपर्याप्त पाई गई थी इसलिए बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली गई। सभी 25 जगहों में उन्नयन को पूरा (जून 2017) कर लिया गया है।

3. केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर की खरीद

- आईडिया सॉफ्टवेयर के मौजूदा लाइसेन्स का अगस्त 2016 में 31.03.2017 तक नवीकरण किया गया। इसके अलावा इन लाइसेन्सों का मार्च 2017 में 31.03.2018 तक की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया था।
- 2,000 एमएस ऑफिस 2016 प्रोफेशनल प्लस सॉफ्टवेयर लाइसेन्स (अक्टूबर 2016 और मार्च 2017 में प्रत्येक 1,000) खरीदे गये थे।
- एनआईसी ने एनआईसी नेट पर आईएएडी नेट से जुड़े क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक केन्द्रीकृत 'मैक्फी' एंटीवायरस समाधान प्रदान किया है।
- कैस्पर्सकी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के 7000 लाइसेंसों का नवीकरण किया गया और वितरण किया गया।
- डाटा विश्लेषण के उद्देश्य हेतु टेबल्यू डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के 50 लाइसेंस खरीदे गए थे और 47 लाइसेंस उपयोगकर्ता कार्यालयों को दिये गये थे।



4. अंशदाताओं को जीपीएफ से संबंधित सूचना प्रदान करवाने के लिए सामान्य वेबसाइट

- पणधारियों को 'हकदारी' कार्यों के सम्बंध में सभी राज्य महालेखाकारों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को मानकीकृत करने का निर्णय लिया गया।
- जीपीएफ कार्यों के संबंध में दी जाने वाली सूचना को मानकीकृत करने के निर्णय के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। इसे बाद में अन्य सेवाओं जैसे पेंशन, जीई, एचबीए, एनसीए, इत्यादि के लिए बढ़ाया जाएगा।
- निक को एक समान मॉडल विकसित करने के लिए अनुरोध किया है।
- जीए विंग को अन्तर विश्लेषण करने और प्रत्येक कार्यालय की आवश्यकताओं को पहचानने का अनुरोध किया गया है।
- जैसा कि बैठक में निर्णय लिया गया, सभी पणधारियों चाहे कर्मचारी का संबंध किसी भी राज्य से हो, के पहुँच के एक स्रोत के रूप में कार्य करने के लिए सीएजी की मुख्य वेबसाइट में 'हकदारी' टैब का निर्माण किया गया है।

5. महालेखाकारों की वेबसाइट का निर्माण और अनुरक्षण

XXVIIIवे महालेखाकार सम्मेलन की वेबसाइट बनाई गई और विभिन्न समूहों से प्राप्त सामग्री के साथ अद्यतित की गई। इस वेबसाइट के लिए सीएजी की वेबसाइट में भी एक लिंक उपलब्ध करवाया गया है।

6. सीएजी की वेबसाइट पर संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, राज्यों के वित लेखे इत्यादि की अपलोडिंग

- सभी संघ लेखापरीक्षा रिपोर्टों को, आईएस विंग में उनकी प्राप्ति के दिन ही अपलोड किया गया था।
- सभी राज्य लेखापरीक्षा रिपोर्टों को आईएस विंग में प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपलोड किया गया था।
- सभी दस्तावेजों को जैसे ही प्राप्त हुए वैसे ही अपलोड किया गया।



7. कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए विक्रेताओं का पैनल

वर्ष के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आईटी हार्डवेयर की खरीद हेतु विक्रेताओं के केन्द्रीय पैनल पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैर-पैनल विक्रेताओं के लिए समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया है।

8. संशोधित लैपटॉप नीति

लेखापरीक्षा पार्टियों की वर्तमान कार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक क्षेत्रीय पार्टी को एक लैपटॉप उपलब्ध करवाने की वर्तमान नीति को प्रत्येक क्षेत्रीय पार्टी के लिए दो लेपटॉप उपलब्ध करवाने के लिए संशोधित किया जाय। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीति को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित किया गया था।

9. आइडिया या किसी अन्य उपयुक्त साफ्टवेयर की आवश्यकता की समीक्षा

आइडिया या किसी अन्य उपयुक्त साफ्टवेयर की आवश्यकता की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति ने सिफारिश की कि विभाग आइडिया का उपयोग जारी रख सकता है।

X राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए हमारे प्रयास

प्रकाशन

मुख्यालय से वर्ष 2016-17 के दौरान राजभाषा की त्रैमासिक पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के चार अंक प्रकाशित किये गए। क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी हिन्दी पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित कर रहे हैं।

हिन्दी कार्यक्रम

(क) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिए उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में चार तिमाही बैठकें की गई थीं।

(ख) मुख्यालय में 14.9.2016 से 28.9.2016 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया और विभिन्न



प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। कार्यालयों के दैनिक काम काज में हिन्दी के प्रयोग के प्रचार के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

(ग) मुख्यालय के अनुभागों सहित हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण के लिए राजभाषा विभाग भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया था।

(घ) संसदीय राजभाषा समिति ने मुख्यालय के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत दो क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया।

अनुवाद कार्य

जैसा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत अपेक्षित है, प्रसार से पहले निम्नलिखित दस्तावेज हिन्दी में अनुवाद किए गए:

(क) संकल्प, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञापितियाँ;

(ख) संसद या संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदन और सरकारी कागजात।

XI अवसंरचना विकास

समस्त भारत में विभिन्न स्टेशनों पर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के उपयोग के लिए आवासीय इकाईयों के साथ कार्यालय स्थल के संवर्धन हेतु कई भवन परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं जैसा नीचे विस्तृत है:-

क. निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गई हैं:

1. लखनऊ- महालेखाकार कार्यालय भवन
2. पटना- टाईप-III आवासीय क्वार्टर

ख. निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं:

1. देहरादून-एजी कार्यालय भवन
2. इटानगर-एजी कार्यालय भवन
3. शिमला- गौर्टन कैशल, भवन का जीर्णोद्धार कार्य

ग. निम्नलिखित परियोजनाएं योजना स्तर पर हैं:

1. बेंगलूरु- एच सिद्दहार् रोड पर कार्यालय भवन का निर्माण



2. हैदराबाद- कत्तल मंडी में आरटीआई भवन का निर्माण
3. भुवनेश्वर- केसरी नगर में कार्यालय भवन का निर्माण
4. पुरी- डेन्कानल हाउस में कार्यालय भवन का निर्माण
5. मुंबई- भंडूप में आवासीय परिसर का निर्माण
6. कोलकाता- उल्टाडांगा में कार्यालय एवं आवासीय परिसर का निर्माण
7. राँची- कार्यालय भवन का निर्माण
8. आईजल- आवासीय परिसर का निर्माण



अध्याय 7

आईएएंडएडी में क्षमता निर्माण

1. प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सार्वजनिक लेखापरीक्षा के माध्यम से सुशासन और जवाबदेही को बढ़ाने हेतु वचनबद्ध है। इस वचनबद्धता के आलोक में, आईएएंडएडी व्यावसायिक कौशल तथा कुशलता को अपनी मजबूत प्रशिक्षण क्षमता के माध्यम द्वारा, जो ग्रुप ए, बी एवं सी कार्मिकों को दिया जाता है, निरन्तर उन्नयन का प्रयास करता है।

आईएएडी की प्रशिक्षण कार्यनीति, प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन प्रदान करने के माध्यम से उनकी भूमिका के निष्पादन तथा मूल्य निर्माण में कार्मिकों की सहायता तथा मजबूत करने की ओर उन्मुख है। कार्यनीति, का उद्देश्य कार्यात्मक समूहों की क्षमता मांगों तथा प्रशिक्षण से संबंधित मूल वरीयताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के द्वारा प्रभावकारिता बढ़ाना है।

लक्ष्य "व्यवहारिक तथा संस्थागत संवर्धन को बढ़ावा" है।

2. आईएएंडएडी में क्षमता निर्माण

गहन प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन क्षमता निर्माण में शामिल है तथा यह साई भारत के प्रशिक्षण विंग का उत्तरदायित्व है। प्रशिक्षण विंग, महानिदेशक, एक व. प्रशासन अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, दो सहायक प्रशासन अधिकारियों तथा कार्य कुशल सहयोगी कर्मचारियों द्वारा सहायता प्राप्त डीएआई के अन्तर्गत कार्य करता है। क्षमता निर्माण के उद्देश्य निम्न हैं:

- कार्य-क्षेत्र ज्ञान सुधारना तथा इसको प्रशिक्षण सामग्री में बदलना
- ज्ञान तथा सूचना सहभाजन
- शिक्षण एवं अध्ययन वातावरण में सुधार
- अध्ययन परिणामों में सुधार करना



3. आईएण्डएडी के प्रशिक्षण संस्थान

विभाग की प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र सम्मिलित हैं।



- i) राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला : राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी (एनएएए) आईएण्डएडी का उच्चतम प्रशिक्षण संस्थान है। इसने वर्षों से आईएण्डएडी के सैकड़ों अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) को उन्हें अत्यधिक व्यवसायिक तथा सक्षम अधिकारी बनाने के उद्देश्य के साथ प्रशिक्षित किया है। आईएण्डएडी अधिकारियों को आईएण्डएडी के कर्मचारियों, के प्रबंधन की प्रशासनिक योग्यता विकसित करने के साथ एक लेखाकार तथा लेखापरीक्षक का व्यवसायिक कौशल प्राप्त करना तथा युक्त होना अपेक्षित है (जिसकी क्षमता 46,610 कार्मिकों की है)। संस्थान अधिकारियों को सेवा के बीच में तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

इसके आरम्भ से आईएएएस अधिकारियों के 62 से अधिक बैच, अकादमी में व्यापक तथा समग्र रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके संवैधानिक तथा सांविधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। यह केवल आईएएएस के अधिकारी ही नहीं हैं जो अकादमी की निपुण तथा कुशल संरचना के अन्तर्गत सफल हुए हैं, परन्तु अन्य सेवाओं, जैसे भारतीय रेलवे लेखा सेवा (1950) तथा भारतीय सिविल लेखा सेवा (1984-92) के अधिकारी भी आईएएएस परिवीक्षाधीन के साथ यहां प्रशिक्षित हुए थे।



अकादमी ने अपनी शैक्षणिक तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण विशेषज्ञता को नेपाल, भूटान तथा ओमान जैसे विदेश के अधिकारियों तक भी प्रसारित किया है। 2016-17 के दौरान एनएएए ने 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें आईएएएस, आईएएस, आईडीएएस, आईसीएएस तथा आईआरएस के 188 अधिकारी प्रशिक्षित किए गए थे।

आईएएएस अधिकारियों का प्रवेश प्रशिक्षण: भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधिकारी, भारत सरकार द्वारा नामित अलग प्रशिक्षण संस्थानों पर अन्य संगठित अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ एक 15 सप्ताह का फाउंडेशन कोर्स, करते हैं। इसके बाद वे अकादमी पर प्रवेश प्रशिक्षण से गुजरते हैं जो उन्हें व्यवसायिक सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षा प्रबंधक तथा लेखापरीक्षा कार्यकारियों के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है। अधिकारी प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2013-14 में विस्तार से समीक्षित तथा उपयुक्त रूप से संसोधित किया गया था।



अकादमी में 94 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय प्रवेश प्रशिक्षण प्रत्येक वर्ष मध्य दिसम्बर से शुरू होता है तथा एक सैंडविच पैटर्न में आयोजित किया जाता है: 54 सप्ताह का चरण-I प्रशिक्षण, उसके बाद सारे देश में दोनों, लेखापरीक्षा कार्यालयों, तथा लेखा एवं हकदारी (ए एंड ई) कार्यालयों में 34 सप्ताह का अंतः कार्य प्रशिक्षण (ओजेटी) उसके बाद अकादमी में 6 सप्ताह के लिए चरण-II प्रशिक्षण दिया जाता है। चरण-I के दौरान ओटीज़ को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा विभागीय परीक्षाओं के दो सैटो के लिए तैयार किए जाते हैं। उनका प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण संयोजन



भी होता है जो उन्हें कक्षा सत्रों में तकनीकी इनपुटों के परे सोच के एक उच्चतम स्तर को प्रदर्शित करता है। प्रशिक्षण में एक ट्रेक तथा एक अध्ययन यात्रा भी शामिल है। चरण-11 के दौरान, ओजेटी के दौरान प्राप्त अनुभवों के सहभाजन तथा इस चरण के अन्त पर उनको निर्दिष्ट किए जाने वाली जिम्मेदारियों के लिए युवा अधिकारियों को लैस करने के लिए तकनीकी कौशलों को सुदृढ करने तथा स्वतंत्र प्रभार के साथ शाखा अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित रहता है। इस चरण में अपनाई गई प्रशिक्षण कार्यप्रणाली में मुख्यतः केस स्टडी, आईएएडी के अन्दर तथा बाहर से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवादात्मक कक्षा सत्र तथा कार्यनीति तथा सिंडिकेट पेपर्स की प्रस्तुति शामिल होते हैं। प्रशिक्षुओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं तथा मानकों के प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उनका एक सप्ताह का विदेश संयोजन उच्चतम लेखापरीक्षा संस्थान के साथ भी होता है। 2015 में यह संयोजन राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय लंदन के साथ था। इस संयोजन के दौरान अधिकारी प्रशिक्षुओं का एक सतत बदलते वातावरण में सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षकों द्वारा अभिमुख होने वाली चुनौतियों, एनएओ द्वारा अंगीकृत जोखिम आधारित लेखापरीक्षा दृष्टि, आंतरिक नियंत्रण की पहचान तथा इसका मूलभूत जांच पर प्रभाव, लेखापरीक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता का आश्वासन इत्यादि को समझाया जाता है।

अनुकूलन प्रशिक्षण कार्यक्रम: समूह ख अधिकारी, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा से पदोन्नति पर उच्च स्तरीय प्रबंधकीय जिम्मेदारियों का भार उठाने के लिए प्रशिक्षित किये जाते हैं। वे अकादमी में गहन अनुकूलन प्रशिक्षण से गुजरते हैं, उनके व्यवसायिक ज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी दक्षता को अद्यतित करने के अलावा उनकी प्रमुखतः प्रबंधकीय दक्षताओं को बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट किये जाते हैं, व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व प्रशिक्षण भी केन्द्र के मुख्य क्षेत्र है।

प्रशिक्षण अधिकारियों के भिन्न पूर्व अनुभवों के फॉर्म के रूप में कार्य करता है और बृहत उत्तरदायित्व लेने के लिए अधिकारियों को कुशल बनाने का उद्देश्य है। 2016-17 के दौरान, एनएएए में 17 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था।



ii. अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केन्द्र (आईसीसा): अन्तर्राष्ट्रीय

सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केन्द्र नोएडा (आईसीसा) मार्च 2002 में स्थापित किया गया था। अप्रैल 2006 में यह एक स्वतंत्र कार्यालय बन गया। आईसीसा भारतीय



लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके अतिरिक्त केन्द्र विभिन्न सेवाओं अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, सशस्त्र सेनाएं, संसदीय सचिवालय तथा केन्द्रीय स्वायत्त निकायो, तथा अन्य साई से वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

आईसीसा, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के ई-गवर्नेन्स की पहलों के भाग के रूप में, जो देश भर में कार्यान्वित सूचना प्रणालियों की लेखापरीक्षा, की जा रही है, के लिए एक "उत्कृष्टता का केन्द्र" है। आईसीसा ई-गवर्नेन्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का केन्द्र है। केन्द्र ने विभाग में क्लिकव्यू तथा टेब्ल्यू आधुनिकतम होने पर नए डाटा एनालिसिस टूल्स, होने पर शुरुआत करने तथा कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रदान किया है। आईसीसा ने ईआरपी वातावरण यानि एसएपी, आरेकल वित्तीय, में लेखापरीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। केन्द्र इंटोसाई कोलाबोरेशन टूल का संचय भी करता है जो वैश्विक साई के बीच में सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करता है।

आईसीसा एक आईएसओ 9001: 2008 तथा आईएसओ 27001:2005 प्रमाणित संस्थान है जो कि प्रशिक्षण में गुणवत्ता प्रणाली सुनिश्चित करने तथा वैश्विक उत्कृष्ट प्रथाओं के साथ आईटी लेखापरीक्षा के संरेखण के लिए प्रयास करता है।

आईसीसा प्रत्येक वर्ष पाँच/छः अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये कार्यक्रम चार सप्ताह की अवधि के होते हैं। विदेश मंत्रालय



आईटीईसी (भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग); एससीएएपी (विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीकन सहायता कार्यक्रम) तथा सीपी (कोलम्बो योजना) के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य निम्न हैं;

- इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निधि दाता भारत सरकार तथा अन्य सरकारों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना।
- विभिन्न साई के इकट्ठे होने तथा लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचार तथा अनुभवों के सहभाजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मंच प्रदान करना।
- विभिन्न साई से सहभागियों को लेखापरीक्षा में समकालीन बेहतर प्रथाओं का प्रकटन प्राप्त करने तथा उभरती लेखापरीक्षा चिन्ताओं पर ध्यान केन्द्रित करने का एक अवसर प्रदान करना।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) से वरिष्ठ तथा मध्य स्तर अधिकारियों तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पैसिफिक तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है।

आईसीसा द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के क्षमता निर्माण में योगदान देता है। केन्द्र ने अनेक देशों अर्थात् अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम, भूटान, मालदीव्स,



नेपाल, ओमान तथा युगांडा से सहभागियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया तथा प्रदान किया। द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साई तथा संबंधित देशों के बीच बंधन को गहरा करने के लिए एक प्रभावकारी साधन है। आईसीसा ने विभागीय यूएन लेखापरीक्षा दलों को तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया है।



2015 के आरम्भ में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षण कार्य की लेखापरीक्षा करने वाली 8 टीमों को रिमोट एक्सेस लेखापरीक्षण के लिए अवसंरचना प्रदान की है।

आईसीसा ने 6 अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये, जिसके अन्तर्गत 235 अन्तर्राष्ट्रीय सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया था। इसने 4 द्विपक्षीय कार्यक्रम भी संचालित किये, जिनमें 116 सहभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

III अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी):

जयपुर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी) की स्थापना मई 2013 में हुई थी। भवन की संकल्पना एक हरित भवन के रूप में की गई थी तथा इसका उद्देश्य एकीकृत प्राकृतिक आवास निर्धारण

(जीआरआईएचए) के लिए हरित मूल्यांकन प्राप्त करना है। आईसीईडी की संरचना इंटोसाई समुदाय में पर्यावरणीय लेखापरीक्षा तथा सतत विकास तथा



इस चुनौती के लिए इसकी तैयारी के संबंध में साई भारत द्वारा निभाई जाने वाली नेतृत्व भूमिका की एक अभिव्यक्ति है। आईसीईडी को पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर इंटोसाई की वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) के रूप में मान्यता दी गई है। पहला जीटीएफ प्रशिक्षण नवम्बर 2013 में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विषय सूची साई यूएसए, एस्टोनिया, ब्राजील, नार्वे, फिनलैंड तथा, भारत से इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई। इन विशेषज्ञों ने जयपुर में प्रशिक्षण प्रदान किया। आईसीईडी ने 2014-15 के दौरान 22 साई से 15 सहभागियों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा साथ ही साथ साई बांग्लादेश एवं साई ओमान से 43 सहभागियों के लिए एक द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किया।



इसके अतिरिक्त, आईसीईडी ने पर्यावरणीय लेखापरीक्षा के क्षेत्र में 607 अधिकारियों के लिए सेवा के दौरान 24 प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये।

आईसीईडी ने पर्यावरणीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए हैंड होल्डिंग सत्र प्रदान किए जिनमें यह आश्वस्त करने कि प्रतिवेदन विस्तृत है तथा बड़ी तस्वीर प्रतिबिम्बित करते हैं, यह मानदंड-स्थिति-कारण-निष्कर्ष संस्तुति-ट्रेल को स्थापित करते समय मानदंड के चयन, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को पहचानने, डाटा के स्रोत को पहचानने तथा भाग लेने में लेखापरीक्षा टीमों की सहायता करता है। आईसीईडी ने अपनी संस्थागत भागीदारी के माध्यम से लेखापरीक्षण में एक अन्तर शैक्षिक दृष्टिकोण को सुसाध्य बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञता को इकट्ठा किया है।

iv. **क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र:**

आईएएंडएडी के पास आईए एंड एडी के ग्रुप बी तथा सी संवर्गों के क्षमता निर्माण के लिए देश भर में 9 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) तथा 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसीजे) है। प्रथम आरटीआई 1979 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। अन्य मुम्बई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू, शिलांग, रांची, नागपुर तथा इलाहाबाद में स्थित है। 1997 में, आसपास के आरटीआई के प्रशिक्षण भार के सहभाजन को तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र दिल्ली, हैदराबाद तथा बेंगलोर में स्थापित किए गए थे।

आरटीआई/आरटीसी की नीतिगत प्राथमिकताओं में ग्रुप बी तथा सी कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा अपने क्षेत्र की उत्कृष्ट प्रथाओं तक पहुंच बनाने में अधिकारियों को सक्षम करने के लिए ज्ञान तथा अनुभव का सहभाजन शामिल है। आरटीआई/आरटीसी सीधे भर्ती हुए सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (डीआरएएओज) के लिए भी 7 महीनों का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। 07 महीनों की अवधि में 3 महीनों का प्रवेश प्रशिक्षण, 1 महीने का उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यभार प्रशिक्षण तथा अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के लिए 3 महीनों का प्रारंभिक प्रशिक्षण सम्मिलित है।

हमारे संगठन में अधिकारी तथा कर्मचारी लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन तथा सूचना प्रौद्योगिकी में व्यापक रूप से प्रशिक्षित हैं। विभाग में



12 प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की विशेष प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए इन हाउस प्रशिक्षण आयोजित करने की भी आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय कार्यालय, क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम अवधि के इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

4. प्रशिक्षण कार्यप्रणाली तथा प्रक्रियाएं:

- i. **केन्द्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी)** प्रतिवर्ष प्रशिक्षण का एक एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विभाग में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। केन्द्र बिन्दु, गुणवत्ता तथा सुसंगतता सुनिश्चित करने के लिए एनएएए, आईसीसा और आईसीईडी के प्रशिक्षण कैलेण्डरों की गहराई से समीक्षा की जाती है। सीटीएसी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़ी क्षेत्रीय सलाहकार समिति के कार्य का भी निरीक्षण करती है।
- ii. **प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण** प्रशिक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर पहला कदम है। यह विभाग/संगठन की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। हमारी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को नीतिगत योजना में परिकल्पित उद्देश्यों तथा अभिज्ञात मुख्य केन्द्र क्षेत्रों से बाहर उभरना होता है। संगठन स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर पहुंचने तथा पाठ्यक्रमों के प्रभावकारी रूपांकन, कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाता है। यह विश्लेषण यह निर्धारित करने में भी सहायता करता है कि कौन से आलोचनात्मक नए या अलग कौशल आधुनिकतम चुनौतियों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

संगठन स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यकताओं की रूपरेखा बनाने के लिए मुख्यालय के सभी कार्यात्मक शाखाओं से इनपुट्स की मांग की जाती है। प्रयोक्ता कार्यालयों की प्रशिक्षण आवश्यकता के विश्लेषण के आधार पर आरटीआईज/आरटीसीज में प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक रूप से आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण के लिए नए क्षेत्र तथा प्रशिक्षण के



वर्तमान क्षेत्रों में सुधार को क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्यात्मक शाखाओं द्वारा क्रियान्वित प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण के आधार पर पहचाना जाता है।

iii. **संरचित प्रशिक्षण मापदंड** एक संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम की मन और आत्मा है। प्रशिक्षण मापदंड:

- प्रशिक्षक के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करते हैं
- प्रशिक्षुओं के लिए एक मार्गदर्शक तथा उत्तर संदर्भ के रूप में कार्य करते हैं
- प्रक्रियाओं तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेज बनाते हैं।

एसटीएमज प्रशिक्षण उद्देश्यों की जागरूकता पैदा करने में सहायता करते हैं तथा उनको पूरा करने की रणनीति में सहायता करते हैं। हमारे सभी प्रशिक्षण संस्थान नियमित अद्यतित तथा पीयर समीक्षित एसटीएमज पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। प्रशिक्षण मापदंडों के लिए विषयवस्तु अधिकारियों की एक टीम जो विषयवस्तु के विशेषज्ञ होते हैं, द्वारा तैयार की जाती है।

एसटीएमज निम्नलिखित के निर्धारण पर अभिकल्पित होते हैं:

- सहभागियों का मौजूदा ज्ञान
- सहभागियों के काम से संबंधित आवश्यकता
- वे क्या जानते हैं तथा उन्हें क्या जानना चाहिए के बीच अन्तर विश्लेषण

2014-15 के दौरान प्रशिक्षण शाखा ने एसटीएमज का अद्यतन शुरू किया था। 31 मार्च 2017 तक विशिष्ट क्षेत्र में जानकारी रखने वाले आईएएस अधिकारियों द्वारा पीयर समीक्षा के बाद 43 एसटीएमज अद्यतित किये गए थे तथा आरटीआईज/आरटीसीज को प्रसार हेतु भेजे गए थे।

5. **आईएंडएडी की क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ करना: मध्यम अवधि योजना**

हमारी प्रशिक्षण नीति का उद्देश्य ज्ञान स्मरण तथा कार्यस्थल पर स्थानान्तरण, कर्मचारियों को और अधिक प्रभावकारी बनाने में सक्षम बनाना



तथा अधिक कौशलों को पर्याप्त करने का है। आईएण्डएडी की क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ करने के लिए एक समग्र मध्यम अवधि योजना, आरटीआईज की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा 22 अगस्त, 2014 को अनुमोदित की गई थी।

अद्यतन कार्यक्रम में विद्यमान अवसंरचना का आधुनिकीकरण, नई अवसंरचना का निर्माण, जैसे प्रशिक्षण हाल, ईडीपी लैब, हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक आदि शामिल हैं।

कर्मचारी क्षमता की समीक्षा, ज्ञान केन्द्रित गतिविधियों पर अधिक जोर, पाठ्यक्रम विषय वस्तु में सुधार तथा निर्धारित प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करना, योजना के अन्तर्गत अन्य ध्यानाकर्षण क्षेत्र हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, सभी प्रशिक्षण संस्थानों को वर्ष 2015-17 के दौरान अद्यतित किया गया है। मध्यम अवधि रोड़ मैप में निर्दिष्ट सभी गुणात्मक सुधारों से संबंधित सभी उद्देश्य, जैसे प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण से संबंधित बेहतर प्रथाओं का अपनाना, प्रक्रियाओं, संकाय संसाधनों को युक्तियुक्त बनाना एवं मानकीकरण करना, प्रभाव निर्धारण, अवसंरचना प्रशिक्षण मापदंड आदि कार्यान्वित किये गए हैं। सभी आरटीआईज/आरटीसीज को उच्च गुणवत्ता अवसंरचना तथा अद्यतित शिक्षण उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

6. निष्पादन मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क

वर्ष 2016-17 के दौरान आरटीआईज की प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए आईएण्डएडी की क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षमता को सुदृढ करने हेतु मध्यम अवधि रोड़ मैप को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था। रोड़ मैप के अनुसार, आरटीआईज/आरटीसीज को आधुनिक करने तथा अपनी अवसंरचना को अद्यतित करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन आबंटित किये गए थे। उनकी प्रभाविकता बढ़ाने के लिए अन्य गैर मौद्रिक व्यवधानों को भी आरम्भ किया गया है। अद्यतन के लिए अपेक्षित है कि उचित मॉनीटरिंग प्रणाली स्थापित हो। आरटीआईज/आरटीसीज के लिए मात्रा मानदंडों सहित एक निष्पादन मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क (पीएमएफ) अभिकल्पित किया गया था। पीएमएफ कार्यात्मक ज्ञान केन्द्रों के साथ-साथ प्रभावकारी प्रशिक्षण प्रदान करने के



लिए गुणवत्ता अधिगम पर्यावरण सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, के लिए पणधारियों की अपेक्षाओं को आरटीआईज/आरटीसीज की आन्तरिक प्रक्रियाओं से लिंक करके आन्तरिकीकरण एवं स्थायित्व उत्कृष्टता अभिकल्पित करता है। पीएमएफ 2016-17 के दौरान आरम्भ किया गया था। संस्थान तथा पणधारियों द्वारा आबंटित स्कोर संस्थानों की प्रत्यक्ष जांच संचालित करके प्रशिक्षण शाखा द्वारा सत्यापित किया गया था।

7. आईएण्डएडी में डाटा विश्लेषण:

सितम्बर 2015 में अपनाई गई आईएण्डएडी बिग डाटा प्रबंधन नीति डाटा विश्लेषण में विभागीय क्षमता सृजन परिकल्पित करती है। जून 2016 में इस संदर्भ में डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण (सीडीएमए) के लिए एक केन्द्र स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालयों में डाटा विश्लेषण गतिविधियों के कोर ड्राइवर्स के रूप में विश्लेषक समूह बनाये गये। सीडीएमए तथा डाटा विश्लेषक समूह को आवश्यक तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचना प्रदान की गई थी। एनएसएसओ, ने सेंसस सहित सुसंगत बाह्य एवं तीसरी पार्टी डाटासेट डाटा विश्लेषण प्रयोजनों के लिए अर्जित किए गए थे।

‘डाटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकी’ अधिकारी प्रशिक्षुओं तथा एसएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में एक नया विषय आरम्भ किया गया था। डाटा विश्लेषण पर एक संरचित प्रशिक्षण मापदंड तैयार किया गया तथा डाटा विश्लेषण समूहों के सदस्यों के लिए विभिन्न आरटीआई/आरटीसी में सीडीएमए के संयोजन से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इन कार्यक्रमों में आरटीआई/आरटीसी से 12 कोर संकाय सहित 272 अधिकारी प्रशिक्षित किये गए थे। भागीदारों को डाटा विश्लेषण के लिए केएनआईएमई, टेबल्यू तथा सांख्यिकी में प्रशिक्षित किया गया था तथा आर के संक्षिप्त परिचय के साथ-साथ हेड्रूप का विहंगावलोकन भी दिया गया था।

प्रशिक्षण के प्रथम चरण में प्रशिक्षित अधिकारियों को प्रशिक्षक के रूप में काम कर दूसरे चरण में आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। दूसरे चरण में, सभी आईएण्डएडी कार्यालयों से 660 अधिकारी डाटा विश्लेषण में प्रशिक्षित किये जाएंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम 2017-18 के दौरान चयनित आरटीआईज/आरटीसीज में आयोजित किये जाएंगे।



2016-17 के दौरान लगभग 26 विषय पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरम्भ किये गए थे। 14 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा दोहराए गए मॉडल्स तैयार किये गए, दूसरे अन्य प्रोजेक्ट प्रक्रियाधीन है।

8. केस अध्ययन का विकास

आईएण्डएडी की प्रशिक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण शाखा का रोडमैप केस अध्ययन की तैयारी की सर्वोत्तम प्रथा को संस्थागत रूप में अभिकल्पित करता है। केस अध्ययन लेखापरीक्षा अध्यापन के सशक्त एवं व्यावहारिक साधनों का गठन करते हैं। मामलों के विश्लेषण करने में व्याख्यानों में निहित डायनैमिक परम्परागत शिक्षा के विपरीत वास्तविक जीवन के परिदृश्यों सहित सामना करने के लिए भागीदारों को बाध्य करता है जिसमें प्रशिक्षक ज्ञान प्रदान करता है तथा विधार्थी इसे धैर्यपूर्वक प्राप्त करते हैं। केस अध्ययन विधि कक्षा का निर्माण करता है जिसमें साधारणतः विद्यार्थी न केवल तथ्यों एवं सिद्धांतों को सीखता है बल्कि वास्तविक जीवन के संदर्भ में विश्लेषण, संश्लेषण, नेतृत्व एवं टीम वर्क के कौशलों को व्यवहार में लाता है।

केस अध्ययन विधि लेखापरीक्षा ज्ञान अध्यापन का एक अभिन्न अंग है। इसे मान्यता देते हुए आईएण्डएडी में प्रशिक्षण शाखा ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के संयोजन से आरटीआई, मुम्बई में पहली बार 'केस अध्ययन की तैयारी' पर एक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला दो भागों में आयोजित की गई। प्रथम भाग नवंबर 2016 में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में 18 भागीदारों, आरटीआईज/आरटीसीज के कोर संकाय सदस्यों तथा प्रशिक्षण शाखा से एक अधिकारी ने भाग लिया।

निम्नलिखित विषयों पर केस अध्ययन करने के लिए इन भागीदारों को चार समूहों में विभाजित किया गया था।

समूह I- नीति शास्त्र एवं नैतिक मूल्य

समूह II- रि-इंजीनियरिंग व्यवसायिक प्रक्रियां





समूह III- लिंग संवेदीकरण

समूह IV- डाटा की क्रॉस लिंकिंग

प्रथम भाग इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के विकास एवं अधिगम विषय-वस्तु के सहायक-निदेशक के सहयोग से किया गया था। केस अध्ययन विश्लेषण में भागीदारों को लिखित केस अध्ययन एवं मुख्य चर्चाओं से परिचित कराया गया।

दूसरा भाग फरवरी 2017 में आयोजित किया गया जहाँ सभी समूहों ने अपने केस अध्ययनों को प्रस्तुत किया, जैसे वे कक्षा वातावरण में थे।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)

अहमदाबाद के प्रोफेसर मौरिस ने इस तरह विकसित केस अध्ययन की गुणवत्ता के साथ-साथ केस अध्ययन तथा चर्चा के नेतृत्व में उसकी प्रभाविकता पर भागीदारों का मार्गदर्शन किया।

कार्यशाला श्री वेंकेटनाथन, निदेशक द्वारा सुकर बनाई गई। चार विषयों में से, तीन केस अध्ययन



आईआईएम, अहमदाबाद के विशेषज्ञ संकाय द्वारा स्वीकृत एवं अनुमोदित किये गए। केस अध्ययन आरटीआई/आरटीसी को परिचालित किए गए हैं।

9. नामित ज्ञान केन्द्र: आरटीआई/आरटीसी को ज्ञान केन्द्रों के रूप में विशेषज्ञता के वर्तमान क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के सभी नए उभरते क्षेत्रों को शामिल करने, लेखापरीक्षा तथा लेखा के सभी मुख्य वर्तमान क्षेत्रों को भी कवर करने के लिए समीक्षा की गई, यद्यपि ये पहले किसी आरटीआई/आरटीसी को नहीं दिए जा सकते हैं। तदनुसार, आरटीआई/आरटीसी को ज्ञान के केन्द्र के रूप में नियत निम्नलिखित डोमेन क्षेत्रों को परिशोधित किया गया है:

क्रम. स.	आरटीआई/आरटीसी का नाम	विशिष्टीकरण का क्षेत्र
1.	आरटीआई इलाहाबाद	सरकारी बजट गसब सहित सरकारी लेखा
2.	आरटीआई चेन्नई	सरकारी लेखाओं की वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा



क्रम. स.	आरटीआई/आरटीसी का नाम	विशिष्टीकरण का क्षेत्र
		i. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा ii. स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा
3.	आरटीआई जम्मू	i. रक्षा लेखापरीक्षा ii. विनियामक निकायों की लेखापरीक्षा
4.	आरटीआई जयपुर	i. सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा ii. निष्पादन लेखापरीक्षा iii. लाभार्थी अभिमुख योजनाएँ कार्यान्वित करने वाले एसपीवी एवं न्यास/समितियां
5.	आरटीआई कोलकाता	i. ग्रामीण स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा ii. रेलवे लेखापरीक्षा iii. अनुपालन लेखापरीक्षा
6.	आरटीआई मुंबई	i. निगम प्रशासन ii. निगम वित्त iii. वाणिज्यिक लेखापरीक्षा iv. वित्तीय रिपोर्टिंग (इपसास)
7.	आरटीआई नागपुर	i. धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का पता लगाने वाली तकनीकें और न्यायिक लेखापरीक्षा ii. अंतरण मूल्य निर्धारण सहित केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा
8.	आरटीआई रांची	i. राज्य राजस्व लेखापरीक्षा ii. लोक निर्माण कार्य लेखापरीक्षा
9.	आरटीआई शिलॉंग	i. वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के अनुसार स्वायत्त जिला परिषद की प्रमाणन लेखापरीक्षा ii. लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा (एक्यूएमएफ)
10.	आरटीआई बेंगलुरु	i. सूचना प्रौद्योगिकी ii. सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
11.	आरटीसी नई दिल्ली	i. सार्वजनिक ऋण ii. सार्वजनिक अधिप्राप्ति
12.	आरटीसी हैदराबाद	i. सामाजिक लेखापरीक्षा ii. शहरी स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा



10. आईएएस अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठा के संस्थानों में कैरिअर माईलस्टोन प्रशिक्षण:

मई 2016 में ग्रुप 'ए' अधिकारियों के लिए जारी डीओपीटी के आदेशों के अनुसार मिड कैरिअर प्रशिक्षण कार्यक्रम संशोधित किया गया था। आईएएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के निम्न चरणों के संशोधित एमसीटीपी है।

- एमसीटीपी का प्रथम चरण बिना किसी विदेशी घटक के 7-9 वर्षों की वरिष्ठता सर्विस वाले अधिकारियों के लिए चार सप्ताह की अवधि के लिए है।
- एमसीटीपी का दूसरा चरण एक सप्ताह के विदेशी घटक सहित 14-16 वर्षों की वरिष्ठता सेवा वाले अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि के लिए है। डीओपीटी द्वारा निर्धारित दो सप्ताह का बकाया नियमित अंतराल पर आयोजित विभिन्न तकनीकी कार्यक्रमों द्वारा कवर किया जाता है।
- एमसीटीपी का तीसरा चरण बिना किसी विदेशी घटक के 26-28 वर्षों की वरिष्ठता वाले अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि के लिए है।

वर्ष 2016-17 के लिए निम्नलिखित कैरिअर माईलस्टोन कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न किए गए हैं तथा भागीदारों द्वारा खूब प्रशंसा की गई।

- **भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में 6-8 वर्षों की सेवा वाले आईएएस अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम:**
 - कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक नीति तथा वित्तीय विषयों की समझ को बढ़ाना, विश्लेषक साधनों को सशक्त करना तथा प्रबंधन कौशल को बढ़ाना है।
 - 2016-17 के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रम के तहत 30 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- लोक नीति के रिचर्ड रहोडा तथा गोल्डमेन स्कूल, केलीफोर्निया विश्वविद्यालय, वर्कले एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में 15-16 वर्षों की सेवा वाले आईएएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम:



- कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकटन का विस्तार करना एवं तकनीकी इनपुटों का आयात करना, विश्लेषक साधनों को सशक्त करना एवं प्रबंधन कौशल के साथ-साथ अन्तर वैयक्तिक कौशलों को बढ़ाना है।
- 2016-17 के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रम के तहत 22 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
- **इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद में, 25-28 वर्षों की सेवा वाले आईएएस अधिकारियों के लिए उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम:**
 - कार्यक्रम का उद्देश्य नीति विकास, निष्पादन प्रबंधन, संगठन संबंधी रूपरेखा, समझौता, नैतृत्व सहित वरिष्ठ प्रबंधकों द्वारा सामना किये जा रहे बहुआयामी मुद्दों, के प्रकटन का विस्तार करना है।
 - 2016-17 के दौरान उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम के तहत 15 अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

11. ग्रुप 'बी' अधिकारियों के लिए बाह्य प्रशिक्षण

i) ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय (जेजीयू), सोनीपत, हरियाणा (दिल्ली के निकट) प्रबंधन, लोक वित्त तथा सार्वजनिक नीति पर तीन विशेष रूप से निर्मित पाठ्यक्रम आयोजित करता है

2016-17 के दौरान, ग्रुप 'बी' अधिकारियों के तीन बैच जेजीयू में इन पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पर भेजे गए थे। कोर्स विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण शाखा तथा हमारी मांगों के अनुकूल बनाए गए थे।

ii) एनआईएफएम, फरीदाबाद में वरिष्ठ व्यवसायिक कोर्स

छह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) फरीदाबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित किये जाएंगे। कार्यक्रम में यूरोप में एनआईएफएम के भागीदार संस्थान के साथ एक सप्ताह का संयोजन शामिल है।

12. सीएजी कार्यालय में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए इन-हाऊस प्रशिक्षण

पहली बार, प्रशिक्षण शाखा ने सीएजी कार्यालय में तैनात व.ले.प.अ./ले.प.अ./स.ले.प.अ./पीपीएस/पीएस/पीए/स्टेनॉ/क्लर्क/डीईओ के लिए इन-




हाऊस प्रशिक्षण प्रारम्भ एवं आयोजित किया। 2016-17 के दौरान 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 134 अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षित किये गए थे।

सम्मिलित विषय:

- पीएज/पीएस/स्टेनों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- आइडिया साफ्टवेयर पर पाठ्यक्रम
- प्रबंधन कौशल के विकास पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- एमएस एक्सेल पर पाठ्यक्रम
- निष्पादन लेखापरीक्षा पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबन्धन फ्रेमवर्क पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा पर पाठ्यक्रम

13. आरटीआई/आरटीसीज की प्रशिक्षण गतिविधियाँ

क) 2016-17 के दौरान, आरटीआई/आरटीसीज ने 671 पाठ्यक्रम आयोजित किये तथा 13,947 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। इन-हाऊस प्रशिक्षण केन्द्रों में 133 कार्यालयों ने 1,975 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए तथा 32,209 अधिकारी प्रशिक्षित किये गए।





ख) आईएएडी के अधिकारियों के लिए आरटीआईज/आरटीसीज में नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न शामिल हैं:

- ई अभिशासन की लेखापरीक्षा
- पीपीपी की लेखापरीक्षा
- इपसास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण
- दूतावास लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ओरेकल 11 जी के लिए डीबीए पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- एसएपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आईटी पर्यावरण में लेखापरीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सामाजिक क्षेत्र योजनाओं की लेखापरीक्षा
- टेबल्यू एवं क्यूलिकव्यू में डिजिटल फॉरेंसिक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

14. प्रकाशन

क) आईसीईडी ने एक ई-जर्नल "ग्रीन फाईल" का संकलन किया जिसमें विभिन्न पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से इनपुट सम्मिलित है। जर्नल की आईएएण्डएडी तथा उससे बाहर व्यापक रूप से सराहना की गई।

ख) विभिन्न केस अध्ययन क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रकाशित किये गए। उनमें से कुछ केस अध्ययन निम्नलिखित हैं:

- एसएपी पर्यावरण में धोखाधड़ी दोषपूर्णता
- टयूशन फीस भुगतान में धोखाधड़ी
- मिट्टी ढोने के लिए बिना साक्ष्य के भुगतान
- ठेकेदार को सामग्री ले जाने पर छलपूर्ण भुगतान- एक केस अध्ययन
- फर्जी माप के आधार पर ठेकेदारों को भुगतान



अध्याय 8

संगोष्ठियाँ एवं कार्यक्रम

प्रशासन में जवाबदेही, सुदृढ़ लोक वित्तीय रिपोर्टिंग की स्थापना पर निर्भर करती है। साईं इंडिया का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के लेखापरीक्षण और लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देना जिसके द्वारा पणधारकों अर्थात् विधायिका, कार्यकारी और जनता को स्वतंत्र आश्वासन देना है कि सार्वजनिक निधियों का प्रभाविकता से और अभीष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार अपने व्यावसायिक उद्देश्यों का निर्वाह करने का प्रयास करता है, जिसका अन्य बातों के साथ अर्थ है कि लेखापरीक्षक को सरकार की सहायता के रूप में सेवा कर अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से शासन उन्नयन में एक भागीदार के रूप में देखा जाता है। लोक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रत्यक्ष मांग बढ़ रही है। पर्यावरण जिसमें लेखापरीक्षित सत्त्व एवं परिणामी लेखापरीक्षा कार्य करते हैं, वे लोक नीति के कार्यान्वयन की संरचना एवं विधियों दोनों के साथ-साथ लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण की पद्धति में भी बहुत गतिशील है। उस रूप में इस गतिशील पर्यावरण के साथ कदम मिलाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आईएएंडएडी स्वयं को फिर से गढ़ता एवं नया करता रहे। पणधारियों के साथ एक नियमित आंतरिक एवं बाह्य परामर्श व्यावसायिक पद्धतियाँ एवं हमारी संरचनाएं तथा कार्यचालन की विधियों को अपनाने और अद्यतित करने, परिवेश जिसमें हमारे लेखापरीक्षित इकाई कार्य करते हैं को संवेदनशील बनाये रखने के प्रयास को सरल बनाता है। ऐसे परामर्शों को सरल बनाने के लिए, आईए एंड एडी नियमित रूप से सेमीनारों, सम्मेलनों और कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान आयोजित सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं पर नीचे चर्चा की गई है:-

अक्टूबर 20-21, 2016 के दौरान आयोजित, 28 वाँ महालेखाकार सम्मेलन

महालेखाकार सम्मेलन, एक द्विवार्षिक कार्यक्रम शासन तथा लोक जवाबदेही से संबंधित मुख्य नीतिगत मामलों पर सुविचार करने के लिए भारतीय लेखा तथा



लेखापरीक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए एक फोरम है। यह अनुभवों को साझा करने तथा लेखापरीक्षा पद्धतियों के सम्पूर्ण सप्तक की चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है।

अट्ठाईसवाँ महालेखाकार सम्मेलन 20-21 अक्टूबर, 2016 को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया।

- I. सतत विकास उद्देश्यों से संबंधित लेखापरीक्षण कार्यक्रम
- II. राजस्व लेखापरीक्षा में आने वाली चुनौतियाँ
- III. लेखा एवं हकदारी (ले.व.ह.) कार्यों पर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) का प्रभाव।
- IV. स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा: परिप्रेक्ष्य एवं मुद्दे।



28वें महालेखाकार सम्मेलन के सभी भागीदारों के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। अध्यक्ष, लोकसभा तथा अध्यक्ष, लोक लेखा समिति ने भी अपनी उपस्थिति से अवसर की शोभा बढ़ाई।



माननीय भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी; लोक सभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन; पीएसी अध्यक्ष, श्री के.वी. थॉमस; भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, श्री शशि कांत शर्मा तथा उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, डॉ० प्रसेनजीत मुखर्जी

अपने उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि संविधान के अनुच्छेद 148-151 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शक्ति देते हैं एवं राष्ट्र के लेखापरीक्षक का कार्य सौंपते हैं।



माननीय भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 28वें महालेखाकार सम्मेलन 2016 के भागीदारों को संबोधित करते हुए



राष्ट्रपति ने पीएसी तथा सीएजी के संगठन के बीच निकट संबंध पर जोर दिया तथा सुझाव दिया कि पीएसी द्वारा जांच नही की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों की विभाग की स्थायी समिति द्वारा जांच की जा सकती है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन, लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि एक सुदृढ़ संस्थान के ढांचो की उपस्थिति जिसमें सीएजी जैसे सशक्त एवं स्वतंत्र निरीक्षण निकाय शामिल है, ने तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह कहते हुए जवाबदेही बढ़ाने में सीएजी तथा संसद की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया कि दोनो के बीच में सक्रियता को शासन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा हमारी विकास तथा वृद्धि को उँचाईयों तक ले जाने के लिए पूंजीकृत किया जाना चाहिए।

श्री के.वी. थॉमस, माननीय अध्यक्ष, लोक लेखा समिति ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध बाधाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पीपीजी मॉडल्स के तहत निष्पादित किये जा रहे संरचनात्मक प्रोजेक्टों के मामलों में जवाबदेही को सशक्त करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुझाव दिया कि सभी पीपीपी प्रोजेक्टों को निधियों के स्रोत के परिप्रेक्ष्य में, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र के तहत लाया जाय।

‘लोक लेखापरीक्षण तथा लेखांकन’ पर एक दिवसीय संगोष्ठी: 22 अक्टूबर 2016 को आयोजित सुशासन के लिए उत्प्रेरक।

28वें महालेखाकार सम्मेलन के बाद 22 अक्टूबर 2016 को एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी का मुख्य विषय “लोक लेखापरीक्षण तथा लेखांकन सुशासन के लिए एक उत्प्रेरक” था। संगोष्ठी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था।

संगोष्ठी में तीन उप विषयों (i) लेखापरीक्षण में उभरते क्षेत्र (ii) सीएजी संगठन के साथ लोक नियुक्ति, और (iii) लेखापरीक्षण तथा लेखांकन पर ई-शासन का प्रभाव पर पैनल चर्चाएं की गईं। ये विषय राष्ट्रीय पर्यावरण में परिवर्तनों से सुधार करने, शासन में नई पहलों तथा सरकारी कार्यक्रमों की सुपुर्दगी और प्रभाव के अनुसार बढ़ती लोक अपेक्षाओं से उत्पन्न समकालीन एवं उभरती चुनौतियों, का प्रतिनिधित्व करता है।

अपने उद्घाटन भाषण में, माननीय प्रधानमंत्री ने शासन में परिणाम आधारित अभिगम के साथ-साथ शासन संरचना में ज्ञान आधारित सम्पूर्ण उर्ध्वधर संस्थागत



रूप में प्रौद्योगिकी तथा क्षमता निर्माण की भूमिका के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने लेखापरीक्षण की एकीकृत अभिगम की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि शासन को सहायता के रूप में सार्थक कार्य के लिए लेखापरीक्षा को सक्षम करने के साधन के रूप में किया जा सके।

विशिष्ट लोक नीति विश्लेषको, वरिष्ठ सिविल सेवकों, तथा क्षेत्र विशेषज्ञों ने इन पैनल चर्चाओं में भाग लिया तथा संबंधित उप विषयों के संबंध में अपने विचारों के विनिमय को सुकर बनाने के परिप्रेक्ष्य प्रदान किये। प्रतिष्ठित पैनलिस्टों में श्री यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष (सेबी), श्री अमिताभ कान्त, सीईओ, नीति आयोग, सुश्री अरुंधति भट्टाचार्य, अध्यक्ष (एसबीआई), श्री एच.के. दुआ, वरिष्ठ पत्रकार एवं संसद के पूर्व सदस्य, श्री अमरजीत सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री टी.वी. मोहनदास पाई, अध्यक्ष, मनिपाल ग्लोबल शिक्षा सेवा प्राईवेट लि., श्री आर चन्द्रशेखर, अध्यक्ष, एनएसएससीओएम, श्री अरविन्द सुब्रह्मण्यम, प्रमुख आर्थिक सलाहकार, श्री नवीन कुमार, अध्यक्ष, जीएसटीएन, डॉ. अरविन्द पनगरिया, उपाध्यक्ष, नीति आयोग तथा श्री अशोक लवासा, वित्त सचिव शामिल थे।

पैनलिस्टों द्वारा व्यक्त की गई पूरी जानकारी एवं विचारों के विभिन्न परिप्रेक्ष्य की सराहना की गई। संगोष्ठी से सामने आई महत्वपूर्ण सिफारिशों के अनुपालन के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है।

03 मार्च, 2017 को मुम्बई में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर (जी एस टी) पर एक दिवसीय पैनल चर्चा

जीएसटी की संकल्पना तथा आधारभूत फ्रेमवर्क पर अधिकारियों को परिचित कराने, उनके ज्ञान स्तर को बढ़ाने एवं परिवर्तित वातावरण में नई लेखापरीक्षा चुनौतियों का सामने करने के लिए समर्थ बनाने के लिए 03 मार्च 2017 को प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) मुम्बई कार्यालय में वस्तु एवं सेवा कर पर एक दिवसीय पैनल चर्चा आयोजित की गई थी।

सीईआरए/सीआरए के अधिकारियों; मुम्बई में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा के विभागाध्यक्ष; भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय से प्रधान निदेशक(सेवा कर); लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य; केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के मुख्य आयुक्त, आयुक्त एवं अतिरिक्त आयुक्त; व्यवसायिक संस्थानों के अध्यक्षों जैसे आईसीएआई के पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद



(डब्ल्यूआईआरसी) के साथ-साथ लेखा शास्त्र एवं विधि के व्यवसायिकों ने चर्चा में भाग लिया।



मुम्बई में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर पैनल चर्चा के भागीदार

पैनलिस्टों का विवरण नीचे दिया गया है:

विषय	पैनलिस्टों के नाम
आदर्श जीएसटी विधि	<ol style="list-style-type: none">1. श्री पीयूष पटनायक, मुख्य आयुक्त (सेवा कर) -मुम्बई जोन2. श्री राजीव कपूर, सीमा शुल्क आयुक्त(अपील), मुम्बई-III जोन3. सुश्री एम. हिमाबिंदु, प्रधान निदेशक (सेवा कर) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय4. श्री प्रशांत कुमार, अपर आयुक्त कार्यालय सीसीओ, एसटी, मुम्बई जोन
आईजीएसटी की अवधारणा- माल अथवा सेवा का स्थान तथा पूर्ति का स्थान एवं राज्यों एवं केन्द्र के बीच संव्यवहार प्रवाह तथा राजस्व वितरण	<ol style="list-style-type: none">1. सीए संतोष दलवी, सांझेदार, केपीएमजी2. सीए वेंकटकृष्णन, बीएसआर सहयोगी कम्पनियाँ (केपीएमजी)3. सुश्री एम हिमाबिन्दू, प्रधान निदेशक (सेवा कर), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली



जीएसटीएन तथा लेखापरीक्षा पर्यावरण पर इसके प्रभाव	<ol style="list-style-type: none">1. सीए श्रुति शाह, सदस्य, पश्चिम भारत आईसीएआई की क्षेत्रीय परिषद2. सीए (डॉ.) विष्णु कनहेरे. संस्थापक वी.के.कनहेरे एण्ड कम्पनी3. श्री एस.जी. नरसिम्हन एवं श्री चारुदत्त पांडे (लागत लेखा, प्रबंधन लेखांकन सलाहकार लीड, आर नानाबहोए एण्ड कम्पनी)
सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की तुलना में जीएसटी अधिनियम में लेखापरीक्षा पहलू	<ol style="list-style-type: none">1. प्रोफेसर (डॉ) भवानी प्रसाद पांडा कुलपति, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय2. श्री डी के शेखर, महालेखाकार लेखापरीक्षा-III, महाराष्ट्र3. श्री एल बट्टी नारायण, वकील, साझेदार, लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरण, अटार्नी

चर्चा ने हमारे अधिकारियों के लिए कराधान, अकाउंटेंसी तथा विधि के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया। इस पहल ने जीएसटी के संबंध में क्षमता निर्माण प्रक्रियाओं के महत्व में वृद्धि की।

“पारिस्थितिकी तंत्र के आर्थिक मूल्यांकन तथा कैसे नेशनल पार्क अपने प्रभाव के क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा आजीविका के उत्तेजकों के साधन हैं” पर एक दिवसीय पैनल चर्चा 10 मार्च 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

“पारिस्थितिकी तंत्र के आर्थिक मूल्यांकन तथा कैसे नेशनल पार्क अपने प्रभाव के क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा आजीविका के उत्तेजकों के साधन हैं” पर एक दिवसीय पैनल चर्चा 10 मार्च 2017 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

पैनल की अध्यक्षता नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई तथा संचालन श्री केशव वर्मा, कार्यक्रम निदेशक, ग्लोबल टाईगर पहल, वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया। दूसरे वक्ता थे: (i) डॉ राजेश गोपाल, महासचिव, ग्लोबल टाईगर फोरम (ii) श्री राबर्ट हुग जोन्स, कार्यकारी उपाध्यक्ष, क्लेमसन विश्वविद्यालय, (iii) प्रोफेसर ब्रेट ए राईट, इन आगरल डीन, क्लेमसन विश्वविद्यालय (iv) प्रोफेसर टिमोथी आर बूसिंगर, अकादमिक मामलों के डीवीएम उपाध्यक्ष, ओबरन विश्वविद्यालय, अलाबामा तथा (v) प्रोफेसर राबर्ट फ्रिटज बाल्डविन, क्लेमसन, विश्वविद्यालय, यूएसए।



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ पैनल संचालक, श्री केशव वर्मा, कार्यक्रम निदेशक, ग्लोबल टाईगर पहल तथा अन्य वक्ता

चर्चा का विषय, विशेषकर विकास एवं सामाजिक मामलों के अतिरिक्त सतत विकास वृद्धि के तहत तिपाई के तीन पैरो में से एक बनने वाले पर्यावरण मामलों को ध्यान में रखते हुए सामयिक एवं प्रासंगिक था।



अध्याय 9

प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा संपर्क

हमारे मूल पणधारकों में संसद, राज्य विधानमंडल एवं जनता शामिल है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए एक लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (कोपू) है जो साई इण्डिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करते हैं। अन्य प्रमुख पणधारकों में सरकारी विभाग एवं मंत्रालय, के साथ-साथ साई इण्डिया द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा की विषय वस्तु में विशेष हित वाले संगठन एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं।

हमारे पणधारकों के साथ वार्तालाप एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों एवं पणधारकों के साथ हमारा संपर्क साई इण्डिया से उनकी अपेक्षाओं को समझने में सहायता करता है एवं हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाबदेही कार्य को अर्थ प्रदान करता है। हमारी एक प्रलेखित सूचना नीति है जो बाहरी पणधारकों के साथ हमारे संपर्क का मार्ग दर्शन करती है।

1. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में उन्हें सलाह देता है तथा निष्पादन में सुधारों के लिए सुझाव देता है तथा सीएजी के अधिदेश में संवैधानिक एवं सांविधिक फ्रेमवर्क में लेखापरीक्षा पर केन्द्रित करता है। यह लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में नेतृत्व एवं निर्देशन को बढ़ाने के लिए नियोजित महत्वपूर्ण साधनों में से एक है तथा इस प्रकार से लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार करता है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विविध क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति, विभाग से उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा अपर उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक शामिल हैं। पहला लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था, उसके पश्चात बोर्ड सात बार पुनर्गठित किया गया है। (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013 एवं 2015)। आठवें बोर्ड की अवधि 2 सितम्बर 2017 तक है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड ने 07 अप्रैल 2016 तथा 10 नवंबर 2016 को बैठक की।



इन दोनों बैठकों के दौरान जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण अवक्रमण, नदी सफाई परियोजनाएं, भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा, सामाजिक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, बिग डाटा विश्लेषण, स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और पीपीपी परियोजनाओं की लेखापरीक्षा से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था।

II राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी तरह संबंधित प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार की अध्यक्षता में, राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। बाहरी सदस्य उत्कृष्ट शिक्षाविद, व्यवसायिक तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से नियुक्त किए जाते हैं। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार तथा अनुभवी व्यवसायिकों के बीच व्यवसायिक चर्चा हेतु एक फोरम बनाकर हमारी लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता को बढ़ाना है।

लगभग सभी राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड गठित किए गए हैं। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्ष में दो बार बैठक भी होती है तथा बोर्ड का पुनर्गठन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। वर्ष के दौरान लगभग सभी राज्यों में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।

III लेखापरीक्षित इकाइयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाइयों लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य पणधारकों में से एक हैं। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा के बाद में होता रहता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले ही लेखापरीक्षित इकाइयों को दे दी जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल निष्पादन लेखापरीक्षा के आरंभ एवं समाप्ति पर एन्ट्री एवं एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षित इकाइयों को लेखापरीक्षा शंकाओं एवं निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार एवं कार्यवाही करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। जब एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक क्रमबद्ध प्रकृति की सतत् अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा की चिंताओं की सूचना दी जाती है।



लेखापरीक्षित इकाईयों के अधिकारियों को विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

IV लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ संपर्क

लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) संघ एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो संसद/विधान सभा के पटल पर रखे जाते हैं, पीएसी/कोपू को विचारार्थ भेजे जाते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं उसके प्रतिनिधि बैठक के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/कोपू की सहायता करते हैं। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर कार्यकारिणी से सूचना अपेक्षित होती है। तब समिति एक की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बैठकों में चर्चा न की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, कार्यकारिणी को लेखापरीक्षा को विधिवत जांच की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2016-17 में केन्द्रीय पीएसी/कोपू ने 55 बैठकें आयोजित की तथा 30 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा की जैसा कि नीचे सारांशिकृत किया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2016-17 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं की संख्या
वाणिज्यिक	7	6
रक्षा एवं संचार	6	4
रेलवे	13	5
रिपोर्ट केन्द्रीय	13	7
स्वायत्त निकाय	9	4
सीआरए(आईएनडीटी)	7	4
सीआरए(डीटी)	0	0
कुल	55	30



वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य पीएसी/कोपू की 708 बार बैठकें हुईं एवं 1674 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा हुई जैसा कि नीचे तालिका में सारांशिकृत किया गया है:

विंग का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2016-17के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं की संख्या
मध्य क्षेत्र	64	160
पूर्वी क्षेत्र	64	694
उत्तरी क्षेत्र	197	191
पूर्वोत्तर क्षेत्र	91	180
दक्षिण क्षेत्र	89	117
पश्चिम क्षेत्र	203	332
कुल	708	1674

V शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क

हम अनेक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) एवं भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों की समितियों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षण मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, ऐथिकल स्टैण्डर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीयर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है ताकि इन व्यवसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। हमारे स्टाफ एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए हमारे प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क में रहते हैं।

VI मीडिया के साथ संपर्क

मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता में मुख्यालय का संचार नीति सेल प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं जनता के साथ प्रभावी संचार के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जहाँ पर राज्य में कोई



प्रधान महालेखाकार नहीं है वहाँ राज्यों/यूटीज़ में मीडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रधान महालेखाकार या सबसे वरिष्ठ महालेखाकार स्तर अधिकारी उत्तरदायी है।

हम संसद एवं विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने ग्राहकों को लेखापरीक्षा संदेश पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंधित विधान मंडल में प्रस्तुति के उपरान्त सामान्यतः एक प्रेस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। उनके संसद/राज्य विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु को दर्शाते हुए प्रैस सार भी जारी किये जाते हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। हम चयनित निष्पादन लेखापरीक्षाओं के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के उच्च संक्षिप्त सार देने के लिए सीडी के साथ छोटी पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन करते हैं।

इस प्रकार का वार्तालाप विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में सूचना के प्रसार एवं यदि हमारे पणधारियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो जारी करने या विकृतियों को या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तथ्यों की गलत व्याख्या को हटाने के लिए अभिप्रेत है।



अध्याय 10

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान

साई इंडिया अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षण मानकों और पद्धतियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी है। मुख्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय संबंध विभाग अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के संपर्क के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा हेतु उत्तरदायी है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

- क. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई)
- ख. सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का एशियन संगठन (एसोसाई)
- ग. वैश्विक कार्यकारी समूह (अब वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम) एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय निकाय
- घ. अन्य साई के साथ द्विपक्षीय संबंध
- ड. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

क. इंटोसाई

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाहरी सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक मुख्य संगठन के रूप में कार्य करता है। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष परामर्शी स्थिति वाला एक गैर-सरकारी संगठन है। वर्तमान में, इंटोसाई में इनके सदस्यों के रूप में 193 साई है। इसके अलावा, विश्व बैंक सहित इसके 5 सहायक सदस्य हैं। इंटोसाई की चार प्रमुख समितियां हैं जो इसके चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यम हैं। ये समितियां हैं;

1. व्यवसायिक मानक समिति (पीएससी)
2. क्षमता निर्माण समिति (सीबीसी)
3. नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज सर्विसेज़ कमेटी (केएससी)
4. वित्त तथा प्रशासन समिति (एफएसी)



इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी

इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी निम्न स्तर पर है:

- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक नॉलेज शेयरिंग तथा नॉलेज सर्विस/लक्ष्य 3 (केएससी) एवं इसकी स्टीयरिंग समिति की इंटोसाई समिति के अध्यक्ष हैं। इसके बल पर सीएजी इंटोसाई के शासी बोर्ड के सदस्य भी हैं। केएससी के छत्र के अन्तर्गत कार्यरत ग्यारह कार्यचालन गुप हैं। कार्यचालन गुप विशेष क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन तथा सर्वोत्तम पद्धतियां देने के लिए समर्पित है। केएससी मुख्य समिति में आज 123 सदस्य और 02 पर्यवेक्षक हैं। हम नॉलेज शेयरिंग समिति की वेबसाइट www.intosaiksc.org का भी रखरखाव करते हैं।
- इंटोसाई गोल चेयर्स द्वारा स्थापित इंटोसाई की व्यवसायिक घोषणाओं (एफआईपीपी) के हाल ही में संपन्न इंटोसाई को स्थायी स्थिति प्रदान की गई। यह फोरम इंटोसाई की व्यवसायिक घोषणाओं की विषय-वस्तु एवं गुणवत्ता के लिए जवाबदेह होगा। एफआईपीपी की अध्यक्ष सुश्री के. गंगा डीएआई (सीआरए) हैं तथा इसके विभिन्न साई से अन्य 15 सदस्य हैं।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक आईटी लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीआईटीए) पर इंटोसाई कार्यकारी गुप के अध्यक्ष हैं। समूह को आईटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में साई के हितों का समाधान करने के लिए 1989 में बनाया गया था। डब्ल्यूजीआईटीए के उद्देश्य अनुभवों के विनिमय की सूचनाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने तथा द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय सहयोग प्रोत्साहित करने के द्वारा साई की सहायता करना है। वर्तमान में डब्ल्यूजी में 46 सदस्य तथा 04 पर्यवेक्षक हैं।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने लक्ष्य 01 के तहत इंटोसाई की अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति की अध्यक्षता करने की जिम्मेवारी का कार्य भार लिया है। यह उप समिति सार्वजनिक क्षेत्र में अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए वैश्विक उच्च गुणवत्ता रूप से स्वीकृत मानकों एवं दिशानिर्देशों का विकास करने और प्रसार करने के उद्देश्य के साथ 2004 में स्थापित की गई थी।
- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विभिन्न इंटोसाई समितियों/उप समितियों/कार्यकारी गुप/टास्क फोर्स के एक सदस्य हैं।



- इंटोसाई समुदाय के साथ निरंतर सम्पर्क सुकर बनाने के लिए केएससी के अध्यक्ष के रूप में साई इंडिया ने इंटोसाई विकास पहल, नार्वे (आईडीआई) के सहयोग से इंटोसाई समुदाय का पोर्टल (www.intosaicommunity.org) विकसित किया है। साई सदस्यों के बीच विचारों के बेहतर तरीके से संप्रेषण एवं साझा करने को समर्थ बनाने के लिए पद्धति के समुदाय, ब्लॉग्स, चैट रूम, पुस्तकालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पोल्स/सर्वे आदि के लिए पोर्टल में सुविधाएँ हैं।

साई-इंडिया की सक्रिय भागीदारी वाली इंटोसाई की कुछ मुख्य घटनाओं की चर्चा नीचे की गई है:

आईटी लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीटीए) पर इंटोसाई ग्रुप की 25वीं बैठक तथा आईटी लेखापरीक्षा, पर निष्पादन लेखापरीक्षण सेमिनार, ब्राजीलिया 26-29 अप्रैल 2016

28 से 29 अप्रैल 2016 तक 8वें निष्पादन लेखापरीक्षण सेमिनार के संबंध में, आईटी लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीआईटीए) पर इंटोसाई कार्यकारी ग्रुप की 25वीं बैठक ब्राजीलिया, ब्राजील में 26 से 27 अप्रैल 2016 तक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्रीमती अजंता दयालन, उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई थी।

बैठक का उदघाटन श्री मिनिस्ट्रो आरल्डो सेडराज, डी आलीवीरा, अध्यक्ष ब्राजील लेखा कोर्ट के द्वारा किया गया था। 25वीं बैठक में 25 सदस्य देशों के 55 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।



इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए की 25वीं बैठक के सहभागी



साई सदस्यों ने विभिन्न परियोजनाओं पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और कंट्री पेपर भी प्रस्तुत किए। बैठक में डब्ल्यूजीआईटीए कार्ययोजना 2017-19 को अंतिम रूप दिया गया तथा डब्ल्यूजीआईटीए कार्ययोजना के लिए पांच परियोजनाओं का चयन किया गया।

यूएन ईसीओएसओसी की उच्च स्तरीय पॉलिटिकल फोरम (एचएलपीएफ) तथा वित्त तथा प्रशासनिक समिति की 13^{वीं} बैठक, वाशिंगटन डी.सी., 20-22 जुलाई 2016



यूएन ईसीओएसओसी की उच्च स्तरीय पॉलिटिकल फोरम बैठक के सहभागी

यूएन ईसीओएसओसी की उच्च स्तरीय पॉलिटिकल फोरम बैठक के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जिसमें महानिदेशक (आंतरिक संबंध) निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा, यूएन बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स तथा सीएजी के सचिव शामिल थे। बैठक में सीएजी ने तीन आयामों-(I) भारत के राष्ट्रीय लेखापरीक्षक के रूप में, (II) इंटोसाई के नॉलेज शेयरिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में, (III) यूएनबोर्ड ऑफ ऑडिटर्स के सदस्य के रूप में, धारणीय विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के प्रति साई भारत के योगदान की विशिष्ट स्थिति पर प्रकाश डालते हुए यह सुनिश्चित करने की "एसडीजी के कार्यान्वयन में कोई पीछे न छूट जाए" सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का योगदान की थीम पर अभिभाषण दिया। इन भूमिकाओं में से प्रत्येक सभी कार्यों के अन्तर्गत साई भारत द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर भी सीएजी ने प्रकाश डाला। महासचिव, आर्थिक और सामाजिक मामले, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र ऑस्ट्रिया तथा संयुक्त अरब अमिरात के स्थायी प्रतिनिधि ने भी इस बैठक में भाग लिया।

वित्त तथा प्रशासनिक समिति (एफएसी) की 13^{वीं} बैठक में संशोधित इंटोसाई सांविधियों पर तथा बिग डाटा पर नवीन वर्किंग समूह बनाने पर विचार विमर्श



किया गया। नवीन नीतिगत योजना (2017-22) के अन्तर्गत मुख्य निष्पादन संकेतकों पर भी सतत विचार विमर्श किया गया।

नॉलेज शेयरिंग समिति (केएससी) की 8^{वीं} इंटोसाई स्टीरिंग समिति की बैठक मेक्सिको सिटी, मेक्सिको 7-9 सितम्बर 2016

नॉलेज शेयरिंग समिति (केएससी) की 8^{वीं} इंटोसाई स्टीरिंग समिति की बैठक 7 से 9 सितम्बर 2016 तक मेक्सिको सिटी, में आयोजित हुई। केएससी अध्यक्ष सीएजी, के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता श्री एच.प्रदीप राव, ने की।



नॉलेज शेयरिंग समिति (केएससी) की 8^{वीं} इंटोसाई स्टीरिंग समिति की बैठक के सहभागी

केएससी कार्य योजना 2017-22 के अनुमोदन के अतिरिक्त बैठक में छः आईएसएसएआई/इंटोसाई जीओवी तथा XXII इंटोसाई के पृष्ठांकन के लिए अन्य दस्तावेज भी अनुमोदित किए गए। केएससी के अन्तर्गत सीएनएओ चीन की अध्यक्षता में किए जाने वाले बिग डाटा पर नवीन वर्किंग समूह के निर्माण पर भी निर्णय किया गया। साई इंडोनेशिया अगली केएससी स्टीरिंग समिति की बैठक का आयोजन बाली इंडोनेशिया में करेगा।

इंटोसाई प्रोफेशनल घोषणाओं (एफआईपीपी) के लिए इंटोसाई फोरम की 3सरी बैठक, नई दिल्ली, भारत, 26-30 सितम्बर 2016

एफआईपीपी की तीसरी बैठक नई दिल्ली, भारत में 26-30 सितम्बर 2016 के दौरान आयोजित की गई। इस बैठक में 16 प्रतिनिधि शामिल हुए। एफआईपीपी ने



अपनी नीतिगत विकास योजना को अंतिम रूप दिया, जिसमें शासी मंडल तथा इंटोसाई (पीएससीके माध्यम से) द्वारा वर्गीकरण सिद्धान्तों और मुख्य परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया। बैठक की अध्यक्षता सुश्री के.गंगा एफआईपीपी अध्यक्ष तथा उप सीएजी ने की।



भारत के सीएजी के साथ एफआईपीपी की तीसरी बैठक के सहभागी

इंटोसाई क्षमता निर्माण समिति तथा 9^{वीं} इंटोसाई डोनर स्टीरिंग समिति की वार्षिक बैठक केप टॉउन, दक्षिण अफ्रीका 3-6 अक्टूबर 2016

इंटोसाई क्षमता निर्माण समिति तथा 9^{वीं} इंटोसाई डोनर स्टीरिंग समिति की वार्षिक बैठक केप टॉउन, दक्षिण अफ्रीका में 3-6 अक्टूबर, 2016 को आयोजित की गई थी। सीएजी ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। “क्षमता के समर्थन में साई सहयोग को अधिकतम करना” तथा “साई क्षमता विकास के समर्थन में साई पीएमएफ के लाभों को अधिकतम करना” थीम पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ, इंटोसाई गोल चेयर की बैठक भी साथ साथ आयोजित की गई।



(एएनयू), जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी), यूएन आर्थिक तथा सामामजिक मामले विभाग (यूएनडीईएसए), यूएन पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), जलवायु परिवर्तन पर यूएन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) का प्रतिनिधित्व करने वाले 115 सहभागी शामिल हुए।

बैठक की कार्यसूची में इंटोसाई डब्ल्यूजीईए कार्ययोजना 2017-2019 का अनुमोदन तथा 8 थीमों पर विचार विमर्श/प्रस्तुतीकरण शामिल था।

साई नॉर्वे से अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति की अध्यक्षता का पदभार लेना, नई दिल्ली, 28-29 नवम्बर 2016

इंटोसाई शासी बोर्ड ने आबू धाबी में अपनी 67^{वीं} बैठक में अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति (सीएएस) की अध्यक्षता साई नॉर्वे से साई भारत को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तदनुसार, साई नॉर्वे के प्रतिनिधियों ने सीएएस का कार्यभार हस्तांतरित करने के लिए 28-29 नवम्बर 2016 को सीएजी कार्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया और साई भारत के प्रतिनिधियों को कार्यभार हस्तांतरित किया।



साई नॉर्वे के एक प्रतिनिधि के साथ श्री वी. कुरियन, महानिदेशक

XXII इंकोसाई आबूधाबी, संयुक्त अरब अमीरात, 5-11 दिसम्बर 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 5 से 11 दिसम्बर 2016 तक आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित XXII इंकोसाई 2016 में साई-भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया।



यूई में XXII इंकोसाई के सहभागी

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने नॉलेज शेयरिंग तथा नॉलेज सेवा (केएससी)-गोल 3 के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2014-16 के लिए केएससी की कार्यकलाप रिपोर्ट तथा 2017-2019 कार्ययोजना (जो कि नीतिगत योजना 2017-22 के साथ संलग्न थी) प्रस्तुत की। कॉंग्रेस ने केएससी के अंतर्गत विभिन्न वर्किंग समूह/टास्क फोर्स द्वारा विकसित 6 आईएसएसएआई/ इंटोसाई जीओवी भी स्वीकार किए। कॉंग्रेस ने बिग डाटा पर नवीन वर्किंग समूह के निर्माण और क्रय लेखापरीक्षा पर समूह के लिए क्रय लेखापरीक्षा पर कार्यबल के रूपांतरण का भी अनुमोदन किया।

संशोधित इंटोसाई संविधियों के अनुसार, केएससी गोल-3 के अध्यक्ष के रूप में सीएजी को इंटोसाई के शासी बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया।

अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति (सीएस) की 14^{वीं} बैठक, नई दिल्ली भारत 20-21 फरवरी 2017

साई भारत द्वारा इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उप-समिति की अध्यक्षता की जाती है। साई भारत ने सीएस की 14^{वीं} बैठक की 20-21 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में मेजबानी की। एफोसाई (ई) तथा आईडीआई एक पर्यक्षक के अतिरिक्त इस बैठक में छह साई सदस्य शामिल हुए। पीएससी/एफआईपीपी को प्रस्तुत करने हेतु सीएस कार्ययोजना 2017-2019 पर बैठक में विचार विमर्श एवं स्वीकार किया गया।



डॉ. पी. मुखर्जी, उप सीएजी के साथ सीएस की 14^{वीं} बैठक के सहभागी

कार्य योजना में निम्नलिखित दो परियोजनाएं शामिल हैं:

परियोजना 1- नए इससाई 4000 को कार्यान्वित करने के लिए साई की मदद करने के लिए अनुपूरक अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश तैयार करना।

परियोजना-2 एफआईपीपी के एसडीपी के वरीयता 2 के भाग के रूप में की जाने के लिए अनुसूचित सीएस की प्रासंगिकता की परियोजनाओं में, विषय विशेषज्ञ के रूप में अन्य समितियों के साथ जुड़ना।

इंटोसाई प्रोफेशनल उदघोषणा (एफआईपीपी) के लिए फोरम की चौथी बैठक, लक्सम्बर्ग सिटी, 20-23 फरवरी 2017

20 से 23 फरवरी 2017 तक युरोपीयन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, लक्सम्बर्ग में एफआईपीपी की 4^{थी} बैठक आयोजित की गई थी। सुश्री के.गंगा, उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अध्यक्ष एफआईपीपी बैठक में शामिल हुईं। साई ब्राजील से पीएससी पर्यक्षक के साथ पंद्रह में से तेरह सदस्य बैठक में शामिल हुए।

इंटोसाई यथोचित प्रक्रिया में एफ आईआईपी की भूमिका, नीतिगत विकास योजना (एसडीपी) तथा एसडीपी में वरीयता परियोजना के लिए एफ आईपीपी की कार्ययोजना कार्यान्वित करना, एफआईआईपी की आंतरिक प्राक्रियाओं जैसे उसकी संचार नीति और कार्य चालन प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण, एफआईपीपी दिशानिर्देश जैसे जीयूआईडीएस के लिए ड्राफ्टिंग कन्वेंशन; अक्सर पूछे गए प्रश्न पर बैठक में विचार विमर्श किया गया।



सुश्री के गंगा, उप-सीएजी एवं अध्यक्ष एफआईपीपी के साथ एफआईपीपी की 4थी बैठक के सहभागी

एसोसाई

1978 में स्थापित, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टिट्यूशन (एसोसाई) सात क्षेत्रीय इंटोसाई के कार्य चालने समूहों में से एक है। नई दिल्ली में अपनी पहली बैठक से यह 1979 में अस्तित्व में आया। भारत एसोसाई का चार्टर सदस्य है। वर्तमान में इसमें 46 सदस्य हैं।

एसोसाई के उद्देश्य निम्न हैं :

- लोक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देना
- गुणवत्ता और निष्पादन में सुधार के उद्देश्य से सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और निरंतर शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- लोक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सूचना के केन्द्र रूप में और विश्व के अन्य भागों में संस्थानों के साथ क्षेत्रीय लिंक के रूप में सेवाएं देना।
- संबंधित सदस्य संस्थानों तथा क्षेत्रीय समूहों की सरकारों में सेवारत लेखापरीक्षकों में घनिष्ट सहयोग तथा भाई-चारे को बढ़ावा देना।

2012-2015 के दौरान भारत के सीएजी एसोसाई के अध्यक्ष थे। एसोसाई के पूर्व अध्यक्ष होने के कारण भारत के सीएजी 2018 तक एसोसाई के शासी बोर्ड में रहेंगे।



सरकारी लेखापरीक्षा के एसोसाई जर्नल के संपादक के रूप में हम एसोसाई जर्नल वर्ष में दो बार प्रकाशित करते हैं। साई सदस्यों द्वारा एसोसाई जर्नल के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। 2015 में जर्नल का रूपान्तरण हुआ और थीम आधारित अप्रोच अपनाई गई। अप्रैल 2016 में इस जर्नल को ई-जर्नल बना दिया गया। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एन्हांसिंग पब्लिक ऑडिट” थीम आधारित ई-जर्नल का अंक (अक्टूबर -2016) अपलोड किया जा चुका है। जर्नल www.asosaijournal.org पर उपलब्ध है।

एसोसाई के कुछ महत्वपूर्ण आयोजन जिनमें साई भारत की सक्रिय भागीदारी है, का वर्णन निम्नानुसार है :

पर्यावरण लेखापरीक्षण पर 6^{वां} सेमिनार और एसोसाई डब्ल्यूजीईए, की 5^{वीं} कार्य चालन बैठक आईसीईडी, जयपुर 17-19 सितम्बर 2016

एसोसाई के सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थानों के बीच पर्यावरण लेखापरीक्षण पर ज्ञान और अनुभव बांटने के लिए प्रत्येक दो साल में एक बार पर्यावरण लेखापरीक्षण एसोसाई कार्य चालन समूह पर कार्य चालन बैठक और पर्यावरण लेखापरीक्षण (डब्ल्यूजीईए) पर सेमिनार का आयोजन किया जाता है।



सुश्री रीता मित्रा, उप-सीएजी के साथ पर्यावरण लेखापरीक्षण पर 6^{वां} सेमिनार और एसोसाई की 5^{वीं} कार्य चालन बैठक में शामिल सहभागी

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने पर्यावरण लेखापरीक्षण पर 6^{वां} सेमिनार और पर्यावरण लेखापरीक्षण पर एसोसाई कार्य चालन समूह की 5^{वीं} कार्य चालन बैठक



का 17 से 19 अक्टूबर 2016 तक पर्यावरण लेखापरीक्षण और सतत विकास (आईसीईडी) जयपुर में मेजबानी की।

साई के एसोसाई सदस्यों से उनचास प्रतिनिधियों एफ्रोसाई और आर्थिक तथा सामाजिक मामले विभाग संयुक्त राष्ट्र (यूएनडीईएसए) से प्रतिनिधि, इस सेमिनार में शामिल हुए। सेमिनार के लिए थीम थी: (i) नीति के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा; (ii) राष्ट्रीय सतत विकास को बढ़ावा देने में साई की भूमिका।

एसोसाई शासी बोर्ड की 51^{वीं} बैठक बाली इंडोनेशिया, 13-14 फरवरी 2017

एसोसाई शासी बोर्ड बैठक (जीबीएम) 13-14 फरवरी 2017 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित की गई। कुल 69 प्रतिनिधियों ने (शासी बोर्ड तथा साई की लेखापरीक्षा समिति सदस्यों के साथ साथ पर्यवेक्षकों) भाग लिया तथा एसोसाई के महत्वपूर्ण ऐजेंडा पर विचार विमर्श किया।



शासी बोर्ड तथा एसोसाई की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य

सीएजी की अध्यक्षता में, एक प्रतिनिधिमंडल 51^{वीं} जीबीएम में शामिल हुआ, श्री अनादि मिश्रा, सीएजी के सचिव तथा सुश्री अतूर्वा सिन्हा, निदेशक (आईआर) इस प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्य थे।

51^{वीं} जीबीएम ने नियमित कार्यसूची पर रिपोर्टों को स्वीकार किया जिनमें, वि.व. 2016 के एसोसाई वित्तीय विवरण, 2018-2020 के लिए बहु वर्षीय बजट योजना बनाना, 2017 के लिए संशोधित बजट, 2016 वार्षिक प्रचालन योजना के लिए मूल्यांकन, 2017 वार्षिक प्रचालन योजना, एसोसाई ई-जर्नल तथा क्षमता विकास कार्यक्रम शामिल थे।



**वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम (पूर्ववत वैश्विक कार्यचालन के रूप में ज्ञात समूह)
डर्नस्टाइन, आस्ट्रिया, 23-24 मई 2016**

वैश्विक लेखापरीक्षा नेतृत्व फोरम (जीएएलएफ), उन्नीस महालेखापरीक्षकों का समूह (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सहित), अनौपचारिक रूप से संगठित अपनी सरकारों तथा अधिकारियों से संबंधित वर्तमान तथा उभरते हुए मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा जानकारी साझा करने और परस्पर सहयोग करने के अवसर को खोजने के लिए वर्ष में एक बार मिलता है।

23 से 24 मई 2016 को डर्नस्टाइन ऑस्ट्रिया में 3सरी जीएएलएफ बैठक आयोजित हुई। बैठक की मुख्य थीम " सतत विकास की लेखापरीक्षा साई की पूर्व शर्तें और प्रभाव" था। उपरोक्त बैठक में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व श्री राकेश जैन, उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (आरसी/एलबी) ने किया।

जीएएलएफ की अगली बैठक (I) लेखापरीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग तथा (II) नीतिगत योजना विषय पर 17-19 मई 2017 को कोपनहेगेन, डेनमार्क में आयोजित होगी।

ब्रिक्स साई नेताओं की प्रथम बैठक बीजिंग, चीन, 24 जून 2016

24 जून 2016 को बीजिंग में ब्रिक्स साई नेताओं की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में समान हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोच्च सहयोग और सहकार्य, संबंधित सरकारों को महत्व प्रदान करने के मद्देनजर आर्थिक तथा सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श हुआ।



भारत के सीएजी तथा ब्रिक्स साई नेताओं की प्रथम बैठक के अन्य भागीदार



ब्रिक्स साई नेता आगे विचार विमर्श के लिए वर्किंग लेवल ग्रुप बनाने और विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग के प्रस्ताव को आगे ले जाने के लिए राजी हो गए। समुचित समय आने पर सार्वजनिक लेखापरीक्षण के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए ब्रिक्स साई द्वारा एक समझौता ज्ञापन भी हस्तारित किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक दो वर्षों में नेताओं की बैठक आयोजित की जाएगी।

इस बैठक के साथ-साथ नानजिंग में एक अन्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएजी को राष्ट्रीय लेखापरीक्षा विश्वविद्यालय चीन की ओर से मानद प्रोफेसरशिप प्रदान की गई

XXIII राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षक कॉन्फ्रेंस, नई दिल्ली, 21-23 मार्च 2017

XXIII राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी सीएजी द्वारा 21-23 मार्च 2017 को नई दिल्ली में की गई। इस तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 25 साई अध्यक्षों के अतिरिक्त 36 देशों के 74 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कॉन्फ्रेंस में दो उप विषयों नामतः "लेवेरेजिंग टेक्नोलॉजी इज पब्लिक ऑडिट" तथा "एनवायन्मेंट ऑडिट: ए कॉमनवेलथ पर्सपेक्टिव" के संदर्भ में मुख्य विषय "फॉस्टरिंग पार्टनरशिप फॉर कैपेसिटी डिवलपमेंट इन पब्लिक ऑडिट" पर विचार विमर्श किया गया।



XXIII राष्ट्रमंडल महालेखापरीक्षक कॉन्फ्रेंस के सहभागी

उप-विषय के विचार विमर्श की अध्यक्षता क्रमशः प्रो. मूसा जूमा असद, तंजानिया के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा श्री माइकल फेगुसन, कनाडा के महालेखापरीक्षक ने की। दोनों उप-विषयों पर आधार व्याख्यान क्रमशः साई दक्षिण अफ्रिका तथा साई ऑस्ट्रेलिया ने दिया। साई केमन द्वीप, केन्या, मलेशिया, पाकिस्तान तथा युनाइटेड किंगडम ने लेखापरीक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर अपने अनुभव के दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जबकि बांग्लादेश, कैमरून, मलेशिया पाकिस्तान



तथा जाम्बिया साई ने पर्यावरण लेखापरीक्षा पर अपने अनुभव साझा किए। साई भारत ने साई भारत में डाटा विश्लेषण तथा पर्यावरण लेखापरीक्षा में साई भारत के परिप्रेक्ष्य पर विडियो प्रस्तुतीकरण दिया।

कॉन्फ्रेंस का अंतिम परिणाम विवरण <http://cagc2017.org/wp-content/uploads/2017/03/resultStatement.pdf> पर उपलब्ध है।

अन्य साई के साथ द्विपक्षीय संबंध

वर्तमान में हमारे 16 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों नामतः अफगानिस्तान, चीन, भूटान, ब्राजील, कुवैत, मालदीव, मंगोलिया, ओमान, पोलैंड, वेनेजुएला, रूस, दक्षिण अफ्रिका, कंबोडिया, वियतनाम, ईरान तथा यूक्रेन के साथ समझौता जापन तथा राजस्व, पर्यावरण तथा आईटी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए साई बांग्लादेश के साथ विनियम पत्र हस्ताक्षरित है। साई चीन, कुवैत तथा पोलैंड के साथ नियमित द्विपक्षीय आदान-प्रदान जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम, अस्थायी विशेष नियुक्ति, कार्यशालाएं आदि आयोजित किए जाते हैं। भारत में साई भारत तथा सहयोगी साई द्वारा उनके देशों में आयोजित महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

16^{वीं} इंडो-पोलिश सेमिनार वॉरसा, पोलैंड, 8-12 अक्टूबर 2016

“स्टेट बजट एग्जीक्यूशन ऑडिट-मेथेडोलॉजी ऑफ द ऑडिट एनेलेसिस ऑफ मॉनेटरी गार्डइलाइंस एंड द अप्रूवल फॉर द गर्वमेंट” पर 16वां इंडो-पोलिश सेमिनार वॉरसा, पोलैंड में 8-12 अक्टूबर 2016 तक आयोजित किया गया। डॉ. पी. मुखर्जी, उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस सेमिनार में शामिल हुआ।

23^{वां} इंडो-चीन सेमिनार, नई दिल्ली, 14-15 अक्टूबर 2016

“पर्यावरण लेखापरीक्षण” पर 23वां इंडो-चाइना सेमिनार 14-15 अक्टूबर 2016 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सेमिनार में सुश्री किन बोयोंग की अध्यक्षता में चीन गणतंत्र के नेशनल ऑडिट ऑफिस ऑफ पीपल से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ तथा श्री राकेश जैन, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता की।

दोनों पक्षों ने पर्यावरण लेखापरीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और इस संबंध में अपने अनुभव साझा किए।



भारत के सीएजी तथा डीजी (आईआर) के साथ 23वें इंडो-चाइना सेमिनार के सहभागी

8वां संयुक्त इंडो-कुवैत सेमिनार, कुवैत, 7-10 नवम्बर 2016

“सुशासन में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका” पर 8वां इंडो-कुवैत सेमिनार 7-10 नवम्बर 2016 तक कुवैत में आयोजित किया गया। श्री अश्विनी अत्री अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अध्यक्षता में तीन सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने इस सेमिनार में भाग लिया।

चीन के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय के प्रतिनिधि मंडल का दौरा, 21-23 दिसम्बर 2016

साईं भारत के विदेशी निवेश लेखापरीक्षा के अनुभवों के अध्ययन के लिए, 21 से 23 दिसम्बर 2013 तक, श्री चेन डाशी, महानिदेशक, सीएनएओ, चीन की अध्यक्षता में चार सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यालय का दौरा किया।

प्रतिनिधि मंडल ने डॉ. पी.मुखर्जी उप सीएजी तथा श्री एच.पी.राव, उप सीएजी (वाणिज्यिक) से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने विदेशी निवेश लेखापरीक्षा से संबंधित कई मामलों पर श्री वी. रविन्द्रन, महानिदेशक (आरसी), श्री वी.कुरियन, महानिदेशक (वाणिज्यिक) तथा सुश्री प्रवीन मेहता, महानिदेशक (प्रशिक्षण) से भी चर्चा की।



डॉ. पी. मुखर्जी उप सीएजी तथा सीएनएओ, चीन के प्रतिनिधिमण्डल के अध्यक्ष

साई जाम्बिया से प्रतिनिधिमंडल का दौरा, 16-20 जनवरी 2017

श्री जॉर्ज चिति मुंबा, अध्यक्ष क्रय और आपूर्ति विभाग, साई जाम्बिया की अध्यक्षता में चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्ययन दौरे हेतु 16-20 जनवरी 2017 के दौरान भारत का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य प्रशिक्षण मॉड्यूलस के विकास और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबंधन पर साई भारत के अनुभवों से सीखना था। प्रतिनिधि मंडल ने हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों आईसीसा, नोएडा और आईसीईडी, जयपुर का प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबंधन में परिज्ञान प्राप्त करने के लिए दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यालय में डॉ.पी. मुखर्जी, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से भी मुलाकात की।



साई जाम्बिया से आये प्रतिनिधिमंडल के साथ डॉ. पी. मुखर्जी, उप सीएजी, डीजी (प्रशिक्षण) तथा डीजी (आईआर)



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ तंजानिया के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की बैठक, 24 जनवरी 2017

प्रो. मुसा जे. असद, तंजानिया के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने मुख्यालय में 25 जनवरी 2017 को सीएजी से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य सार्वजनिक लेखापरीक्षण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों की तलाश करना था।



भारत के सीएजी और प्रो. मुसा जे असद, तंजानिया के सीएजी

फिलीपीन्स लेखापरीक्षा आयोग के अध्यक्ष का दौरा 30-31 मार्च 2017

श्री माइकल जी एग्यूनाल्डो, अध्यक्ष फिलीपीन्स लेखापरीक्षा आयोग की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने 30-31 मार्च 2017 को भारत का दौरा किया।



श्री माइकल जी एग्यूनाल्डो, अध्यक्ष साई फिलीपीन्स भारत के सीएजी के साथ



दौरों के दौरान, अध्यक्ष ने भारत के सीएजी से मुख्यालय में मुलाकात की और हमारे अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीसा) नोएडा, तथा पर्यावरण लेखापरीक्षा तथा सतत विकास अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीईडी), जयपुर का भी दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य इन प्रशिक्षण संस्थानों के संस्थापन और प्रबंधन पर साईं भारत के अनुभव से सीखना था।

यूएन तथा यूएन एजेंसियां

सीएजी जुलाई 2014 से जून 2020 तक की अवधि के लिए यूएन लेखापरीक्षा बोर्ड (बोर्ड) के सदस्य है। यूके (जर्मनी जुलाई 2016 से) तंजानिया इस बोर्ड के अन्य सदस्य है। बोर्ड के तीनों सदस्यों के बीच कार्य आबंटन के अनुसार, निम्नलिखित यूएन संस्थाओं के संबंध में साईं भारत मुख्य लेखापरीक्षक हैं:

1. यूएन सचिवालय (खंड 1)
2. युनिसेफ (संयुक्त राष्ट्र बाल निधि)
3. यूएनओपीएस (परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय)
4. यूएनजेएसपीएफ (संयुक्त राष्ट्र संयुक्त स्टाफ पेंशन निधि)
5. यूएनसीसी (संयुक्त राष्ट्र अनुकंपा आयोग)
6. एसक्रो अकाउंट
7. आईटीसी (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र)
8. यूएनपीकेओ मिशन
9. सीएमपी (केपिटल मास्टर प्लान)
10. यूएनओजेए (यूएन की ईआरपी प्रणाली) तथा
11. सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी कार्य नीति

वर्ष 2012 से छह वर्ष की अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संस्था (डब्ल्यूआईपीओ) के लिए सीएजी बाह्य लेखापरीक्षक हैं।



हाल ही में आयोजित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनमें साईं भारत ने सक्रिय भाग लिया, इस प्रकार है:

यूएन लेखापरीक्षक बोर्ड तथा यूएन बाह्य लेखापरीक्षक पैनल, बैठक न्यूयॉर्क, यूएसए, 26 जुलाई 2016 तथा 16-22 नवम्बर 2016

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 26 जुलाई 2016 को आयोजित यूएन लेखापरीक्षक मंडल के 70वें नियमित सत्र (2016) में भाग लिया।

16 से 22 नवम्बर 2016 की अवधि के दौरान, भारत के सीएजी ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, तकनीकी समूह बैठक, यूएन बाह्य लेखापरीक्षक सत्र तथा न्यूयॉर्क, यूएसए में आयोजित यूएन लेखापरीक्षक बोर्ड की बैठक में भी भाग लिया। इन बैठकों में भारत ने वर्किंग समूह के अध्यक्ष के रूप में, "न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट" पर प्रस्तुतीकरण दिया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने 1 जनवरी 2017 से दो वर्षों की अवधि के लिए 31 दिसम्बर 2018 तक यूएन लेखापरीक्षक बोर्ड का कार्यभार ग्रहण किया है।

सीएजी ने यूएन महासचिव, श्री एंटोनियो गुटरेस से 26 जनवरी 2017 को यूएन मुख्यालय में मुलाकात की

श्री शशि कान्त शर्मा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 26 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटरेस से यूएन मुख्यालय, न्यूयॉर्क में मुलाकात की। बैठक के दौरान सीएजी ने महासचिव को यूएन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अनुरक्षण और वर्धित करने के लिए लेखापरीक्षक बोर्ड के निरंतर सहयोग के लिए आश्वस्त किया।

सीएजी ने महासचिव को वर्तमान वर्ष में प्रमुख लेखापरीक्षा केन्द्रित क्षेत्रों की पहचान करने और लेखापरीक्षक बोर्ड पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की संक्षिप्त जानकारी दी। श्री शशि कान्त शर्मा ने श्री गुटरेस को सूचित किया कि लेखापरीक्षक बोर्ड क्रॉसकटिंग थीम के रूप में विभिन्न यूएन संस्थाओं में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्री गुटरेस ने यूएन में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और लेखापरीक्षक बोर्ड को पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया।



अनुबंध I
31 मार्च 2017 को संगठनात्मक चार्ट
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक

सीएजी के सचिव

उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (प्रशासन एवं स्टाफ)	महानिदेशक (पीपीजी) महानिदेशक (प्रशिक्षण) महानिदेशक (आईआर) महानिदेशक (मुख्यालय) महानिदेशक (परीक्षा)	प्रधान निदेशक (एसएमयू) प्रधान निदेशक (स्टाफ) प्रधान निदेशक (आईएस) प्रधान निदेशक (आईटी लेखापरीक्षा) प्रधान निदेशक (राजभाषा)	प्रधान विधिक सलाहकार प्रधान निदेशक (पी) प्रधान निदेशक (सीडीएमए) एसी (एन)
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट केंद्रीय और स्थानीय निकाय)	महानिदेशक (केंद्रीय) प्रधान निदेशक (केंद्रीय) प्रधान निदेशक (पीसी)	सांख्यिकीय सलाहकार प्रधान निदेशक (एलबी एवं एबी)	
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखे और अध्यक्ष, गसब)	महानिदेशक (सरकारी लेखे-I) महानिदेशक (सरकारी लेखे-II) प्रधान निदेशक (संघ लेखे)	महानिदेशक (गसब) महानिदेशक (गसब-I) प्रधान निदेशक (गसब-I) प्रधान निदेशक (गसब-II) प्रधान निदेशक (गसब-II) प्रधान निदेशक (गसब-III)	
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (केंद्रीय राजस्व/लेखापरीक्षा)	महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर) प्रधान निदेशक (प्रत्यक्ष कर)	प्रधान निदेशक (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) प्रधान निदेशक (सेवा कर) प्रधान निदेशक (सीमा शुल्क)	
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड)	महानिदेशक (वाणिज्यिक) प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक)		
उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	प्रधान निदेशक (रेलवे), प्रधान निदेशक (रक्षा एवं संचार) प्रधान निदेशक (रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा)		
अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वी क्षेत्र), प्रधान निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) 4 राज्य: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल		
अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (मध्य क्षेत्र)	प्रधान निदेशक (मध्य क्षेत्र-I) प्रधान निदेशक (मध्य क्षेत्र-II) 5 राज्य: उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़		
अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (उत्तरी क्षेत्र)	प्रधान निदेशक (उत्तरी क्षेत्र-I), प्रधान निदेशक (उत्तरी क्षेत्र -II) 6 राज्य: दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा		
अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	महानिदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र), प्रधान निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र) 8 राज्य: मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम		
अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दक्षिण क्षेत्र)	महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र), प्रधान निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) 4 राज्य: कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी		
अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र)	महानिदेशक (पश्चिमी क्षेत्र), प्रधान निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) 4 राज्य: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा		
अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (निरीक्षण)	प्रधान निदेशक (निरीक्षण)		

टिप्पणी: क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख म.नि./प्र.म.ते./प्र.नि./म.ते. होते हैं जो संबंधित डीएआई/एडीएआई को रिपोर्ट करते हैं।



अनुबंध II

31 मार्च 2017

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय

I लेखापरीक्षा कार्यालय-संघ और संघ राज्य क्षेत्र

क सिविल

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, बेंगलुरु
6. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चंडीगढ़
7. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, हैदराबाद
9. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, लखनऊ
11. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, मुम्बई
12. महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय प्राप्ति, नई दिल्ली

टिप्पणी: संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की लेखापरीक्षा, महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय, चंडीगढ़ के कार्यक्षेत्र में आती है। संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप की लेखापरीक्षा महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, चेन्नई के कार्यक्षेत्र में आती है। दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली से संबंधित लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, अहमदाबाद के कार्यक्षेत्र में आती है।



ख रक्षा

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, पुणे
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना, नई दिल्ली
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, नौसेना मुम्बई
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध फैक्ट्रियां, कोलकाता

ग डाक एवं दूरसंचार

1. महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, दिल्ली

घ रेलवे

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
4. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
5. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
6. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे, गुवाहाटी
7. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार)
8. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, बेंगलुरु
9. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
10. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
11. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व रेलवे, कोलकाता



12. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता

13. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन इकाईयां और मेट्रो रेलवे, कोलकाता

14. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, मुंबई

15. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम रेलवे, मुंबई

16. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

17. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे-वाणिज्यिक, नई दिल्ली

18. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद

ड वाणिज्यिक

1. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, बेंगलुरु

2. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई

3. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद

4. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-I, कोलकाता

5. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-II, कोलकाता

6. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-I, मुंबई

7. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,II, मुंबई

8. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-I, नई दिल्ली

9. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-II, नई दिल्ली

10. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-III, नई दिल्ली

11. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड,-IV, नई दिल्ली

12. प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, रॉची



च विदेश स्थित

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, लंदन
2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वाशिंगटन डीसी
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, कुआलालम्पुर, मलेशिया

II बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय

1. निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा, रोम इटली (जुलाई 2016 में बन्द)
2. निदेशक, बाह्य लेखापरीक्षा, न्यूयार्क (जून 2014 में स्थापित)

III लेखापरीक्षा कार्यालय-राज्य

1. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
3. महालेखाकार, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर
4. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहटी
5. महालेखाकार, (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
6. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार गोवा, गोवा
8. महालेखाकार (ईएंडआरएसए) गुजरात, अहमदाबाद
9. महालेखाकार (जीएंडएसएसए) गुजरात, राजकोट
10. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ़
11. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
12. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर
13. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, राँची



14. प्रधान महालेखाकार (जीएंडआरएसए), कर्नाटक, बेंगलुरु
15. प्रधान महालेखाकार (ईएंडआरएसए), कर्नाटक, बेंगलुरु
16. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), केरल, तिरुवनंतपुरम
17. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), केरल, तिरुवनंतपुरम
18. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
19. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), मध्य प्रदेश, भोपाल
20. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), I, महाराष्ट्र, मुंबई
21. महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, महाराष्ट्र, नागपुर
22. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-III, महाराष्ट्र, मुंबई
23. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल
24. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलांग
25. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मिजोरम, आइजोल
26. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नागालैंड, कोहिमा
27. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली, नई दिल्ली
28. महालेखाकार (जीएंडएसएसए), ओडिशा, भुवनेश्वर
29. प्रधान महालेखाकार (ईएंडआरएसए), ओडिशा, भुवनेश्वर
30. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब, चंडीगढ़
31. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), राजस्थान, जयपुर
32. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), राजस्थान, जयपुर
33. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), सिक्किम, गंगटोक
34. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), तमिलनाडु और पुडुचेरी, चेन्नई



35. प्रधान महालेखाकार (ईएंडआरएसए), तमिलनाडु, चेन्नई
36. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला
37. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
38. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
39. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहदादून
40. प्रधान महालेखाकार (जीएंडएसएसए), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
41. महालेखाकार (ईएंडआरएसए), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

IV लेखा और हकदारी कार्यालय-राज्य

1. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), असम, गुवाहटी
3. महालेखाकार (ले. व ह.), बिहार, पटना
4. महालेखाकार (ले. व ह.), छत्तीसगढ़, रायपुर
5. महालेखाकार (ले. व ह.), गुजरात, राजकोट
6. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), हरियाणा, चंडीगढ़
7. महालेखाकार (ले. व ह.), हिमाचल प्रदेश, शिमला
8. महालेखाकार (ले. व ह.), जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर
9. महालेखाकार (ले. व ह.), झारखंड, रांची
10. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), कर्नाटक, बेंगलुरु
11. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), केरल, तिरुवनंतपुरम
12. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.),-I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
13. महालेखाकार (ले. व ह.),-II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर



14. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.),-I, महाराष्ट्र, मुंबई
15. महालेखाकार (ले. व ह.),-II, महाराष्ट्र, नागपुर
16. महालेखाकार (ले. व ह.), मणिपुर, इम्फाल
17. महालेखाकार (ले. व ह.), मेघालय, शिलांग
18. महालेखाकार (ले. व ह.), नागालैंड, कोहिमा
19. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), ओडिशा, भुवनेश्वर
20. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), पंजाब, चंडीगढ़
21. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), राजस्थान, जयपुर
22. वरिष्ठ. उप महालेखाकार (ले. व ह.), सिक्किम, गंगटोक
23. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), तमिलनाडु, चेन्नै
24. महालेखाकार (ले. व ह.), त्रिपुरा, अगरतला
25. महालेखाकार (ले. व ह.),-I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
26. महालेखाकार (ले. व ह.),-II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
27. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.), उत्तराखंड, देहरादून
28. महालेखाकार (ले. व ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

V प्रशिक्षण संस्थान

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय लेखा एवं लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला
2. महानिदेशक, सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नोएडा (यू.पी.)
3. महानिदेशक, पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत् विकास के लिए आंतरिक केंद्र, जयपुर
4. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद
5. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै



6. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
7. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
8. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण, संस्थान, कोलकाता
9. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुंबई
10. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण, संस्थान, नागपुर
11. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राँची
12. प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलॉग
13. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलुरु @
14. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद @@
15. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली @@@

@महालेखाकार (ले. एवं ह.) कर्नाटक, बैंगलुरु के प्रभार के अधीन

@@प्रधान महालेखाकार (जी एण्ड एसएसए) आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, हैदराबाद के प्रभार के अधीन

@@@महानिदेशक, लेखापरीक्षा, केंद्रीय व्यय, नई दिल्ली के प्रभार के अधीन